लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
२६ सितम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक--सभा

सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

*२१३३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान बनाने के लिये राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि का आवण्टन किया गया था।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकान बनाने के लिए आवण्टित राशि सम्बन्धी अलग आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। विस्थापित व्यक्तियों के आवास सम्बन्धी विभिन्न योजनायों के लिये कुछ ७४१ लाख रुपये—४१४ लाख रुपया पश्चिमी क्षेत्र के लिए तथा ३२७ लाख रुपया पूर्वी क्षेत्र के लिये—आवण्टित किये गये थे।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या म जान सकता हूं पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों के लिए आवण्टित धनराशि किस प्रकार व्यय की गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह धनराशि मकानों के बनाने तथा भूमि के अर्जन तथा उसके सुधार आदि के लिये आवण्टित की गई हैं तथा पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के लिये आवण्टित धनराशि इन्ही कार्यों पर व्यय की गई है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि भूमि अर्जन, आवास तथा मकान बनाने आदि के सम्बन्ध में मंत्रालय की कोई निश्चत योजना है, अथवा यह अनुदान राज्य सरकारों द्वारा अनूमोदित तरीकों पर ही व्यय किया जाता है। मैं इन योजनाओं की रूपरेखा जानना चाहता हूं।

श्री जे० के० भोंसले : ये सभी अनुदान राज्य सरकारों को, विशिष्ट कार्यों के लिए दिये जाते हैं। सत्य यह है कि हम ने यह निर्णय किया है कि क श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिये। इसी आधार पर, ये सभी योजनायें बनाई गई हैं। इसलिये धनराशि को 'तदर्थ रूप में व्यय करने का प्रश्न नहीं है, यह कार्य योजनाबद्ध रीति से हो रहा है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अनुदानों में से कुछ धनराशि इन उपनगरों को भी दी गई थी ; क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस अनुदान सहायता के द्वारा कितने मकान आदि बन थे ;

श्री जे० के० भोंसले : समस्त भारत के विभिन्न उपनगरों में लगभग १,५०,००० मकान तथा आवास अम तक हमने बनाये हैं तथा हमने लगभग ५० या ५५ करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

अल्प-आय वर्ग आवास योजना

*२१३४. **श्री डाभी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २९ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अल्प-आय वर्ग आवास योजना को लागू करने के लिये की गई कार्यवाही की अन्तिम स्थिति क्या है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५५-५६ में बम्बई सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितना अनुदान दिया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस समय मेरे पास आँकड़े नहीं हैं। परन्तु पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में मैं यह सूचना दे चुका हूं।

श्री डाभी : क्या बम्बई सरकार ने व्यक्तियों अथवा सहकारी समितियों को इस कार्य के लिये कोई ऋण दिये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा ऐसा ही विचार है।

श्री शिवनंजप्पा : क्या इस योजना का विस्तार देहाती क्षेत्रों में भी कर दिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि आवास निर्माण के लिये मांगे गये आवेदन पत्रों के लिये बहुत कम समय निर्धारण के कारण बहुत से व्यक्ति समय पर अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, यदि हां, तो क्या सरकार, समय बढ़ाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस विषय पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं तथा मुझे कुछ राज्य सरकारों के सम्बन्ध में विदित है जिन्होंने आवेदन पत्रों के भेजने का समय बढ़ा दिया है।

कागज़

*२१३५. **श्री झूलन सिंह**: क्या **निर्माण आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार की ब्लाटिंग पेपर समेत, कागज़ की कुल वार्षिक आवश्यकतायें क्या हैं तथा उसका मूल्य क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों में, ब्लाटिंग पेपर समेत, कितने मूल्य का हाथ से बना कागज़ खरीदा गया।

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) गत तीन वर्षों की वार्षिक आवश्यकता औसतन २५,२१० टन कागज़ थी जिसका मूल्य ३१२ लाख रुपये था।

(ख)

१९५३–५४	. .	३.५१ लाख रुपये
१९५४–५५	. .	०.१८ लाख रुपये

श्री झूलन सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अनुसार सरकार राज्य की समस्त आवश्यकता, हाथ से बने कागज़ उद्योग के उत्पादन से पूर्ण करने का विचार कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है तथा इस प्रकार की योजना को कार्यरूप में परिणत भी करना सम्भव नहीं है।

श्री कामत : यदि पूर्णरूप से नहीं तो लगभग कितने अनुपात में, वर्ष में यह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है तथा इन

टोकरियों की सामग्री का बाद में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत में अधिक कागज के उत्पादन के प्रयत्न किये गये तथा यदि हां, तो कहां ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हाथ से बना कागज अथवा कारखाने का कागज ?

श्री एस० एन० दास : कारखाने का कागज ।

सरदार स्वर्ण सिंह : कारखाने का कागज समस्त देश में है । कुछ कारखनों के विस्तार के तथा नये कारखाने प्रारम्भ करने की योजनायें हैं ।

श्री जयपाल सिंह : वन गवेषणा संस्था में गन्ने की खोई से कागज के उत्पादन के गवेषणा कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है । संभवतः खाद्य तथा कृषि मंत्रालय यह सूचना दे सके ।

नेपाल के साथ व्यापार

*२१३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो वस्तुएं नेपाल को निर्यात की जाती हैं उन पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता परन्तु जो वस्तुएं नेपाल से भारत में आयात की जाती हैं उन पर नेपाल सरकार उत्पादन-शुल्क लगाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार करती है जिससे कि नेपाल से आयात की गई वस्तुओं पर भी यह शुल्क न लगाया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). नेपाल को जो माल भेजा जाता है उस पर लिये गये उत्पादन-शुल्क की छूट देने की व्यवस्था कर दी गयी है । यह ज्ञात नहीं है कि नेपाल सरकार भारत को भेजे जाने वाले माल पर उत्पादन शुल्क लेती है या नहीं । यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर ही सरकार निश्चय करेगी कि कोई कार्रवाई करनी आवश्यक है या नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : नेपाल सरकार का जो माल वहां से हिन्दुस्तान में आता है उस पर ड्यूटी चार्ज करती है जबकि हिन्दुस्तान सरकार जो माल नेपाल में भेजती है उस पर कोई डयूटी चार्ज नहीं करती, ड्यूटी फ्री भेजती है, तो क्या भारत सरकार भी जो माल नेपाल में जाता है उस पर डयूटी लगायेगी ?

श्री करमरकर : मैं सुन नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि जब नेपाल से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं पर नेपाल सरकार शुल्क लेती है तब भारत सरकार नेपाल को बिना शुल्क वस्तुयें भेज रही है । जब तक सांख्यकी एकत्रित की जाती है, क्या भारत सरकार भी, भारत से नेपाल को निर्यात होने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगायेगी ?

श्री करमरकर : नेपाल और हिन्दुस्तान के बीच में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ है और हिन्दुस्तान से जो माल नेपाल जाता है उसके ऊपर हम कोई ड्यूटी नहीं लगाते, अब नेपाल सरकार जो अपने वहां से आने वाले माल पर एक्सपोर्ट डयूटी लगाती होगी, उससे तो हमें फायदा है क्योंकि नेपाल में हमारे यहां से जो माल बिना डयूटी के जायेगा और इसलिये उसकी खपत वहां पर ज्यादा होगी और नेपाल सरकार जो वहां से इधर आने वाले माल पर एक्सपोर्ट

ड्यूटी बिठाती है तो भी हमारे इंटरेस्ट में ही होगा ।

श्री विभूति मिश्र : नैपाल से गर्म मसाले शहद, लकड़ी आदी बहुत सी ऐसी चीजें इधर आती हैं जो कि ड्यूटी चार्ज हो जाने से हिन्दुस्तान में बहुत महंगी बिकती हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिये नैपाल सरकार से कोई दरख्वासत करेगी कि वह उस ड्यूटी में कमी करें या ड्यूटी फ्री भेजे जैसा कि हम उधर भेजते हैं ?

श्री करमरकर : अगर वाक़ई उसके बारे में माननीय सदस्य कोई दिक्कत समझते हों तो उसके बारें में नोटिस दें और हम उस पर तब गौर करेंगे कि क्या किया जा सकता ह ।

श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार को, भारत से नैपाल को गई वस्तुओं के विदेशों को पुन निर्यात की कोई सूचना है ?

श्री करमरकर : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

श्री जयपाल सिंह : यहां से वस्तुयें बिना शुल्क जाती हैं । क्या उन वस्तुओं का नैपाल से विदेशों में पुनर्निर्यात होता है ?

श्री सी० डी० पांडे : तिब्बत को ।

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिय परन्तु मेरे विचार से नहीं ।

भेषज

*२१३७ **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ तथा १९५४ में आयातित भेषजों का देश में निर्मित भेषजों से क्या अनुपात है ;

(क) कितने व्यापारिक सार्थ, प्रयोग-शाला नथा कारखानें 'सीरम' तथा टीके की औषधियां बनाती हें ; और

(ग) क्या भारत में निर्मित 'सीरम' तथा टीके देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) आयातित भेषज तथा देश में निर्मित भेषजों में बहुत अन्तर है । इसलिये अनुपात निकलना संभव नही है ।

(क) २५

(ग) एन्टी-कौलरा, एन्टी-प्लेग, टी० ए० बी० लिम्फ तथा एन्टी-रैबीज के टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं परन्तु कुछ 'सीरम' तथा एन्टी-टाक्सिन जैसे एन्टी-डिपथेरिया, एन्टी-टैटानस, एन्टी-गैस गैने-जरेंने आदि जिनकी आम जनता को रोग से सुरक्षित करने के लिये आवश्यकता है, के उत्पादन की स्थिति भिन्न है ।

श्री इब्राहीम : सरकारी प्रयोगशालाओं में कितने प्रतिशत 'सीरम' तथा टीके बनाये जाते हैं ;

श्री कानूनगो : राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों के १८ की तुलना में 'सीरम' तथा टीके के केवल सात गैर-सरकारी निर्माता हैं ।

श्री इब्राहीम : इनकी शुद्धता की जाँच के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री कानूनगो : भेषज नियंत्रण अधि-नियम के अतिरिक्त जो कि समस्त देश में लागू है, के अतिरिक्त, सभी संस्थाओं में जांच तथा परीक्षण किया जाता है ।

डा० रामा राव : अब भी बहुत सी आवश्यक भेषजों का निर्यात विदेशों से किया जाता है । औषधि सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों के अधार पर क्या मैं जान सकता हूं पैनिस्लीन के अतिरिक्त, कुछ अन्य भेषजों के भारत में निर्माण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है !

श्री कानूनगो: विषय सर्वदा विचाराधीन है तथा अब हम मूल तथा माध्यमिक वस्तुओं के निर्माण के कार्यक्रम पर काय कर रहे हैं जिससे अन्तिम वस्तु बनाई जायें । यह एक दीर्घकालीन कार्यवाही है ।

दामोदर घाटी परियोजना

*२१३८. **श्री बी० के० दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि बांध के चालू होने के पश्चात् दामोदर घाटी परियोजना की पानी निकालने तथा नहर की पद्धति पर नदी को रूपनारायण की ओर ले जाने पर, तथा हुगली पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा इन दोनों नदियों पर इसका क्या प्रभाव होगा ; तथा

(ग) इन दोनों नदियों को नाशकारी प्रभाव, यदि कोई होता है तो, स बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई ओर विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग), अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २]** ।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार को यह जानकारी है कि रूपनारायण नदी की दशा बहुत खराब है तथा दामोदर नदी से जल संभरण का विचार किया गया है ?

श्री हाथी : जहां तक बांधों का सम्बन्ध है, इसके खराब होने की हमें कोई सूचना नहीं है । परन्तु फिर भी हम ने अग्रेतर परिवर्तन की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार के हेत एक समिति नियुक्त की है ।

श्री बी० क० दास : क्या यह एक विशेष समिति है अथवा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की कोई गवेषणा शाखा है ?

श्री हाथी : जी नहीं, यह एक विशेषज्ञ समिति है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि 'कोलाघाट' के रेल के पुल के कारण रूपनारायण के बहाव की स्थिति और भी खराब हो गई है तथा अभी राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने वाला एक सड़क पुल अलग बनाया जा रहा है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार रेल व सड़क पुल बनाने का विचार करेगी तथा तदनुसार परिवहन मंत्रालय को सलाह देगी ?

श्री हाथी : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न रेलवे तथा परिवहन मंत्री को सम्बोधित होना चाहिये था ।

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण से यह ज्ञात होता है कि बांध निर्माण के परिणाम स्वरूप २५ प्रतिशत जल रोक लिया जायेगा क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार है कि कुछ सीमा तक निम्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होगा ?

श्री हाथी : जी नहीं, इसका प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यद्यपि यह २५ प्रतिशत कम होगा परन्तु नीचे बैठने वाली मिट्टी रेत आदि को आगे बहने नहीं दिया जायेगा तथा इस लिये रेत के साथ अधिक जल जाने की हानि पर प्रतिबन्ध होगा ।

हरिजनों के लिये आवास योजना

*२१३९ **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हरिजनों के लिये एक आवास योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब प्रारम्भ होगी ?

निर्माण आवास और संभरण, मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और ख सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन गन्दी बस्तियों की सफाई व भंगियों की आवास योजना बनाने का विचार कर रही है ।

श्री गिडवानी : हरिजनों के सम्बन्ध में विचारित योजना किस प्रकार की है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें क्योंकि जो मैंने बताया वह यह है कि यह विचाराधीन है ।

श्री बोगावत : हरिजनों के आवास के लिये कितनी धनराशि रक्षित होगी तथा क्या सरकार नगरपालिकाओं, स्थानीय पदाधिकारियों को बाध्य करेगी कि वह हरिजनो के आवास के लिये नगरों तथा गांवों के अन्दर स्थान देंगे ?

सरदार स्वर्ण सिह : यह प्रश्न कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र ही है ।

श्री तिम्मय्या : मैं जान सकता हुं कि क्या सरकार ने हरिजनों के आवास के निर्माण के लिये राज्य सरकारों से कोई योजनायें मांगी हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हुं कि कुछ दिन पूर्व के एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य उपमंत्री के इस उत्तर के सम्बन्ध में कि गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये धनराशि ऋणरूप में दी जायेगी, तथा अनुदान के रूप में नहीं, सरकार का क्या विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिह : प्रथम भाग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों के आवास की कोई योजनायें नहीं मांगी है । दूसरे भाग के सम्बन्ध में, कि वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये, योजना तथा विषय सरकार के विचाराधीन है तथा अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग

*२१४० **श्री एस० एन० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग सम्बन्धी सर्वे समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर कोई निश्चय किया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि रिपोर्ट कब तक गवर्नमेंट के पास आने वाली है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस महीने के आखिर तक यह समिति अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट पेश करेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हुं कि अब तक इस कमेटी ने किन किन राज्यों का दौरा किया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरी जानकारी मैं इस समिति ने दौरा तो नहीं किया, लेकिन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातें की हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि समिति ने सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है या कुछ एक राज्यों के ही प्रतिनिधियों से ?

श्री एस० एन० मिश्र : अब तक यह सिलसिला जारी है । बहुतों से बातें हो चुकी हैं और जिन से और बातें करना मुनासिब समझा जायेगा उन से बातें की जायेंगी ।

श्री एन० आर० मुनस्वामी : इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और उन्हें प्रतिवेदन

तैयार करते हुए किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा ?

श्री एस० एन० मिश्र: इस समिति के पांच सदस्य हैं, जो प्रोफेसर डी० जी० कर्वे के सभापतित्व में काम कर रही है । समिति के अन्य सदस्य ये हैं : प्रोफेसर डी० आर० गाडगील, श्री बी० एल० मेहता, श्री गोविन्दन नायर, और श्री नंजप्पा, जो वैकल्पिक सदस्य है । डा० डी० के मलहोत्रा, योजना आयोग के उपसचिव, समिति के सचिव के रूप में काम कर रहे है । समिति के उद्देश्य ये हैं : प्रथम यह कि तीय पंचवर्षीय योजना के काल में उपभोग्य वस्तुओं का अधिक बढ़ा हुआ उत्पादन गांवों में और छोटे पैमाने के उद्योगों में पैदा किया जाये और दूसरा यह कि इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ना चाहिये और तीसरा यह कि इस क्षेत्र में उत्पादन और विपणन मुख्यत: सहकारिता के आधार पर होना चाहिये ।

क्रोम अयस्क

*२१४१. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रोम अयस्क के निर्यात के बारे में सरकार की नवीनतम नीति क्या है; और

(ख) क्या उड़ीसा खान मालिकों को पहले किये गये अपने संविदाओं को मान्यता देने की अनुमति दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) क्रोम अयस्क के निर्यात के लिये दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक आम अनुज्ञप्ति दी जाती है । तथापि निर्यातकों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें ३१ दिसम्बर, १९५५ के बाद के लिये विदेशी व्यापारियों को माल भेजने के बारे में वचनबद्ध नही होना चाहिये ।

(ख) ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या यह सच है कि २७ सितम्बर, १९५४ तारीख के प्रेस टिप्पण के अनुसार न तो समय सीमा लगाई गई थी और न ही निर्यात की मात्रा पर कोई सीमा लगाई गई थी और क्रोम अयस्क के निर्यात के लिये साफ अनुज्ञप्ति दी गई थी । और बाद में एक प्रेस नोट द्वारा जून १९५५ के पश्चात के वादों के बारे में प्रतिबन्ध लगाया गया था ?

श्री करमरकर : हमने १९५४ के आरम्भ में स्थिति का पुनरीक्षण किया और हम ने जनवरी से जून १९५४ तक के लिये प्रसिद्ध व्यापारियों द्वारा निर्यात के लिये १५,००० टन अलग रख लिये और शेष १५,००० टन को वादों की अनुज्ञप्तियां देने के लिये प्रयोग में लाया गया था । १९५४ के लिये ३०,००० टन के कोटे में से वास्तव में २३,३६२ टन माल भेजा गया था । १९५५ में (जनवरी से जुलाई) २५,४०७ टन माल भेजा गया था । क्योंकि निकट भविष्य में क्रोम अयस्क के लिये हमारी मांग बढ़ जायेगी इसीलिये हम धीरे चलते हैं और सावधानी से चलते हैं ।

श्री आर० एन० एस० देव : पहला प्रेस नोट भ्रमोत्पादक था, क्या इस कारण सरकार उन खान-मालिकों को, जिन्होंने लम्बे समय के लिए वायदे कर रखे हों अपने संविदाओं को पूरा करने की अनुमति देने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : हम उनको कोटा देते रहते हैं और समय-समय पर उनको चेतावनी देते रहे हैं । जैसा कि मैंने कहा, १९५४ में हम ने विशेषकर पिछले वायदों के लिये १५,००० टन का कोटा अलग रख लिया था । १९५५ में हम ने आवन्टन किया है और कह दिया है कि लोग दिसम्बर, १९५५ के अन्त

तक निर्यात ज़ारी रख सकते हैं । यदि हमारी नीति जान लेने के बाद भी और कुछ वायदे किये जाते हैं तो हमारे लिये उन वायदों को पूरा करना कठिन होगा । क्योंकि जैसा कि हमें पता लगा है यह वायदे इतने बड़े हैं कि हम कभी भी उन्हें पूरा नहीं कर सकते । उदाहरण के लिये जैसी कि हमें सूचना मिली है, अवशेष वायदे १९५६ और ५७ तक चले गये हैं और हम उन वायदों की गारन्टी नहीं दे सकते ।

श्री सारंगधर दास : क्या भतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने समस्त क्रोम अयस्क का विस्तृत तथा व्यापक सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि लोहा तथा मैंगनीज़ अयस्कों के समान बहुत सा क्रोम अयस्क फालतू बच जायेगा जिसका कई वर्षों तक निर्यात किया जा सकता है ?

श्री करमरकर : प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अनुसार हम निश्चय के साथ १५ लाख टन क्रोम अयस्क का अनुमान लगा सकते हैं और यह हमारी निकट भविष्य की आवश्यकताओं के मुकाबले में बहुत अधिक नहीं है क्योंकि हमारे इस्पात संयंत्रों का विस्तार होगा । अन्य सर्वेक्षण के बारे में उन्हें सम्बद्ध मंत्रालय से प्रश्न पूछना चाहिये ।

कोसी परियोजना

*२१४२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी के पुश्तों के आधा करने के प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में पूना गवेषणा केन्द्र में नमूने के तौर पर किये गये प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : पूर्वी पुलियां--नमूने के तौर पर किये गये प्रयोगों से पता चलता है कि पानी के बहाव के ऊपर की ओर तथा पानी के बहाव के नीचे की ओर की पुश्तों के स्थानों में कुछ परिवर्तन आवश्यक था, और जिन स्थानों की पानी की खपत अधिक थी, उनको 'ठोकरों' द्वारा सहारा देने की आवश्यकता थी ।

पश्चिमी पुश्ते--नमूने के तौर पर किये गये प्रयोगों से मालूम हुआ है कि पुल से ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर के पुश्ते ठीक थे ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सच है कि नमूने के तौर पर किये गये प्रयोगों से यह पता चला है कि कोसी की दोनों पुश्तों के बीच के स्थान में रहने वाले लोगों की हालत पुलियां तैयार हो जाने के बाद अधिक खराब हो जायेगी ?

श्री हाथी : नमूने के प्रयोगों से ऐसी बात मालूम नहीं हुई है । पानी केवल ३ से ५ इंच तक चढ़ेगा और यह उन को कोई हानि नहीं पहुंचायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि दोनों मोड़ों, अर्थात बंगाओं और झामता के दक्षिण में जो क्षेत्र है वहां पानी का दबाव तेज होगा और दोनों पुलियों के बनने के कारण अधिक हानि पहुंचायेगा ?

श्री हाथी : संभवत: माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि जब पुश्तों के बांधने का काम पूरा हो जायेगा और जल छटेगा, तब पानी का दबाव अधिक होगा, इस कारण उस क्षेत्र को बहुत हानि होगी । यह तथ्य नहीं है । हम ने पुश्तों के बीच दस मील का स्थान रखा है इस कारण पानी अधिक तेजी के साथ नहीं बहेगा और पुश्ते तैयार हो जाने के पश्चात उस क्षेत्र को कोई भी हानि नहीं होगी ।

श्री एल० एन० मिश्र: इस सम्बन्धी नमूने के प्रयोग कब पूरे हो जायेंगे ?

श्री हाथी : कुछ नमूने के प्रयोग पूरे हो चुके हैं, अर्थात परिवर्तन सम्बन्धी । अन्य दो प्रयोग भी प्राय: पूरे होने वाले हैं । अब हमा

कुछ अधिक प्रयोग करने वाले हैं और उनकी पूर्ति में लगभग ४ महीने लगेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को विदित है कि कोसी परियोजना का मुख्य प्रशासक इस बात का कोई भेद नहीं देता कि परियोजना वैज्ञानिक एवं वित्तीय दृष्टि से ठोस नही है ? वह लोगों को यह बात कह रहा है ।

श्री हाथी : मुझे ऐसी सूचना नहीं मिली है कि परियोजना वित्तीय या वैज्ञानिक दृष्टि से ठोस नहीं है ।

सायगोन की घटना

*२१४३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने २० जुलाई, १९५५ की सायगोन के दंगों के कारण हुई क्षति की पूर्ति के प्रश्न के बारे में कोई निर्णय किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : वियतनाम में अधीक्षण और नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने, २० जुलाई, १९५५ के सायगोन के दंगों के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति के इकट्ठे दावे फ्रांसीसी उच्च सभा के पास भेज दिये हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : वियतनाम सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि के दावे भेजे गये हैं ?

श्री सादत अली खां : मैं ठीक आंकड़े बताने में असमर्थ हूं, किन्तु दावे फ्रांसीसी उच्च सत्ता के पास एक साथ भेजे गये हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या वियतनाम सरकार का कोई उत्तर आया है ?

श्री सादत अली खां : अभी नहीं जनाब ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इन दंगों को हुए दो महीने से अधिक हो गये हैं, अब हम कितने समय के अन्दर इस पत्र के निश्चित उत्तर की आशा कर सकते हैं ?

श्री सादत अली खां : हमें उत्तर के अतिशीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

डा० रामा राव : जब विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग काम करते हैं, तो क्या उन आयोगों की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य नहीं होता, और क्या दक्षिण वियतनाम की सरकार प्रतिकर देने का उत्तरदायित्व स्वीकार करती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दंगों के शीघ्र पश्चात्, दक्षिण वियतनाम की सरकार न बताया कि वह प्रतिकर देगी । स्पष्ट है कि इस कारण उसे उत्तरदायित्व को स्वीकार करना होगा ।

गिरडीह की कोयले की खानों में छंटनी

*२१४४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न लिखित बातें बताई गई हों :

(क) गिरडीह की भदुआ राज्य कोयले की खानों में कितने मज़दूरों की छंटनी हुई थी;

(ख) उनमें से कितनों को भूतकाल म छंटनी-सहायता दी गई थी और किस दर पर;

(ग) क्या सरकार ने शेष मज़दूरों के लिये भी सहायता स्वीकृत की है;

(घ) यदि हां, तो किस दर पर;

(ङ) गिरडीह कोयला खानों में ऐसे मज़दूरों की संख्या कितनी है जिन्हें अन्य राज्य कोयला खानों में वैकल्पिक कार्य दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था; और

(च) उनको परिवहन तथा आवास सम्बन्धी क्या सुविधायें दी गई थीं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : विवरण से पता चलता है कि शेष केवल ३६० मज़दूरों को ही उपर्युक्त दरों पर उपदान दिया गया था, जबकि १३२ मज़दूरों को पूर्वसूचना के बजाये एक मास की मज़दूरी मिली थी । २६० मज़दूरों के साथ यह विभेद क्यों किया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : दोनों प्रकार के मज़दूरों को भुगतान श्रम न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार किया गया था ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : इस विवरण के सम्बन्ध में एक और प्रश्न भी है । मुझे सूचित किया गया है कि कुछ मज़दूर उड़ीसा और मध्य प्रदेश जाना चाहते थे । क्या उन लोगों को उन स्थानों पर जाने के लिये रेलवे पास तथा अन्य सुविधायें देने के लिये कोई व्यवस्था की गई थी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री पी० के० बोस : क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का कोई विचार नई योजनायें बनाने का है और क्या सरकार इन नई योजनाओं में छंटनी किये अनुभवी खान मज़दूरों को अधिमान देगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में नई खानें खोलने की प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव ध्यान में रखा जायेगा ।

भारतीय वाद्ययन्त्र

*२१४५. **श्री संगण्णा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा मद्रास में भारतीय वाद्ययन्त्रों के निर्माण के लिये स्थापित की जाने वाली संस्था में प्रशिक्षण देने के लिये उम्मीदवारों के चुनाव के लिये कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा की जाने वाली है; और

(ख) क्या प्रशिक्षण के लिये कोई आदिवासी उम्मीदवार भी चुना जायेगा, क्योंकि आदिमजाति के लोगों के वाद्ययन्त्र कुछ विचित्र तथा सामान्य वाद्ययन्त्रों से भिन्न होते हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की भारतीय वाद्ययंत्रों के निर्माण में प्रशिक्षण देने के लिये एक संस्था की स्थापना करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्रों की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : स्पष्ट है कि इस प्रश्न की जांच अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा की जा रही है और वर्तमान म आरम्भ करने के लिये कुछ ही प्रकार के वाद्यों पर विचार किया गया है ।

श्री संगण्णा : किस अभिकरण के द्वारा आंकड़े एकत्र किये गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि उसने उन विभिन्न संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया है जो इन वाद्यों तथा इस विषय के सम्पर्क में हैं ।

श्री कामत : प्रश्न के भाग (ख) के बाद वाले अंश के सम्बन्ध में मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्री अधिक सक्षम नहीं हैं ? ये विशेष प्रकार के वाद्य हैं और उत्पादन मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं आते ।

अध्यक्ष महोदय : यह मत का प्रश्न है ।

भारत-पाकिस्तान बाढ़ आयोग

*२१४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने हिमालय की उन नदियों का परिमाप करने के लिये जो भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहती हैं, एक संयुक्त भारत-पाकिस्तान विशेषज्ञ आयोग की स्थापना करने की प्रस्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्थापना पर विचार किया है और कोई निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है । पाकिस्तान सरकार ने यह सुझाव दिया है कि पूर्वी प्रदेश में बाढ़ों के नियंत्रण के लिये दोनों सरकारों को सहयोग करना चाहिये भारत सरकार ने इस सुझाव का स्वागत किया है और उसके अनुसार इंजीनियरों के एक दल ने हाल ही में कराची का भ्रमण किया । बाढ़ चेतावनियों आदि के दिये जाने के सम्बन्ध में तथा प्राविधिक मामलों पर होने वाले सहयोग के सम्बन्ध में एक करार किया गया था । इस विषय पर आगे वार्ता दोनों सरकारों में बाद को होने वाली है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस सम्बन्ध में जो वार्ता निकट भविष्य में होने वाली है क्या वह मन्त्रि-स्तर पर होगी ?

श्री हाथी : वह मन्त्रि-स्तर पर ही होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत सरकार के सम्मुख क्या विशेष सुझाव रखे गये हैं और क्या भारत सरकार अथवा दोनों सरकारों ने इस क्षेत्र के परिमाप अर्थात् सम्पूर्ण पूर्वी प्रदेश के लिये ऐसे आयोग की स्थापना करना स्वीकार कर लिया है ?

श्री हाथी : संयुक्त आयोग की कोई प्रस्थापना नहीं है; यह तो, केवल बाढ़ों सम्बन्धी जानकारी दी जाने तथा सहकारी उपायों के विषय में है ।

प्लास्टिक के ग्रामोफोन रेकार्ड

*२१४९. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की एक प्लास्टिक निर्माण करने वाली फर्म ने सरकार से प्लास्टिक के ऐसे ग्रामोफोन रेकार्ड बनाने की इच्छा प्रकट की है जो लगातार ४५ मिनट तक बजाया जा सकता है ;

(ख) क्या उसने आर्थिक सहायता के लिये आवेदन किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) उक्त फर्म को किन शर्तों पर सहायता दी जायेगी और वह सहायता अनुदान के रूप में होगी अथवा ऋण के रूप में; और

(ङ) क्या ये रेकार्ड एक मिनट में ७८ चक्कर लगाने वाले ग्रामोफोनों पर बजाये जायेंगे अथवा इनका उपयोग केवल प्रसारण केन्द्रों (ब्राडकास्टिंग स्टेशनों) पर ही किया जा सकेगा जहां एक मिनट में ३३।। चक्कर लगाने वाले रकार्ड बजाये जाते हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, फर्म ने पहले से ही ऐसे रेकार्ड बनाना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) से (घ). पुनर्वास मंत्रालय ने हाल ही में बम्बई सरकार को बम्बई की फर्म द्वारा लचीली पी० वी० सी० शीटिंग के निर्माण के विकास के सम्बन्ध में ४·५३ लाख कापियां मंजूर किया है ।

राज्य सरकार फर्म को कारखाने में लगी मशीनरी के मूल्य का ५० प्रतिशत तक ऋण देगी जो अधिकतम २·३३ लाख रुपये तक हो सकता है । ऋण दस वर्ष के लिये दिया जायेगा और ब्याज ४।। प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जायेगा । ऋण (ब्याज सहित) ८ वार्षिक किस्तों में वसूल किया जायेगा । राज्य सरकार फर्म को भूमि खण्ड आवंटित करेगी और फर्म को विशिष्ट विवरण के अनुसार कारखाने की इमारत बनवायेगी । इस इमारत में विभागीय प्रभारों को मिला कर २.२० लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा और इसका आवंटन किराये के आधार पर किया जायेगा ।

आशा यह की जाती है कि फर्म इस योजना को २६ अगस्त, १९५६ से पहले ही कार्यान्वित कर देगी ।

(ङ) यह फर्म न केवल प्रमाप-रेकार्ड ही तैयार करती है (जो ७८ चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से बजाये जाते हैं) वरन् अधिक देर तक बजने वाले रेकार्ड भी बनाती है (जो ३३।। चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से बजते हैं) दानों प्रकार के रेकार्ड बजाये जाने वाले ग्रामोफोन अब बाजार में उपलब्ध हैं ।

श्री बी० एन० मिश्र : उस फर्म का नाम और उसका ब्योरा क्या है तथा जो रेकार्ड बनाया गया है उसका मूल्य और आकार क्या होगा ?

श्री कानूनगो : रेकार्ड का मूल्य बताने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं क्योंकि यह अनेक आकारों और विभिन्न किस्मों के होते हैं । बम्बई की जो फर्म रेकार्ड बनाती है और बेचती है उसका नाम म्यूजिक मास्टर्स लिमिटेड है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार ने वर्तमान रेकार्डों की तुलना में जो लाख के बने होते हैं, प्लास्टिक रेकार्डों के आर्थिक लाभ का पता लगाया है ? यदि प्लास्टिक रेकार्ड बनाने की अनुमति दे दी गई तो देश के लाख उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री **कानूनगो** : प्लास्टिक के रेकार्ड अधिक टिकाऊ होंगे ।

श्री **पी० सी० बोस** : मेरा प्रश्न था कि देश के लाख उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री **कानूनगो** : प्रभाव देखना पड़ेगा; हमारी कोई पूर्वधारणा नहीं है ।

श्री **बी० एन० मिश्र** : रेकार्ड का आकार क्या होगा मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री **कानूनगो** : मूल्य और आकार के सम्बन्ध में मैं पूर्वसूचना के लिये कह चुका हूं ।

दिल्ली में विद्युत् संभरण

*२१५१. श्री **राधा रमण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत का वर्तमान संभरण शहरी क्षेत्रों की घरेलू आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है;

(ख) औद्योगिक कार्यों के लिये दिल्ली में विद्युत् की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) विद्युत्-संभरण में दिल्ली कब आत्म-निर्भर होगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) १९५९ तक की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये सभी आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा चुका है। ५०० किलोवाट तक की मांगें चालू वित्तीय वर्ष में पूरी कर दी जायेंगी जब कि अधिक लोड के लिये मंजूरी १९५६ में नंगल से १०,००० किलोवाट की द्वितीय किस्त प्राप्त होने के पश्चात् दी जायेगी । ४०,००० किलोवाट के अग्रेतर संभरण के लिये आशा यह की जाती है कि १९६० में किसी समय किया जायेगा जबकि भाखड़ा बांध स्टेशन चालू हो जायेगा । इसका उपयोग बाद की मांगों को पूरा करने के लिये किया जायेगा ।

(ग) १९६० से आगे ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार ने दिल्ली में उपलब्ध विद्युत् के संभरण के अनुपात के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है जो सरकारी, घरेलू तथा औद्योगिक आदि कार्यों के लिये दी जायेगी ?

श्री हाथी : घरेलू कार्यों के लिये अधिक विद्युत् दी जायेगी ।

श्री राधा रमण : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कोई अनुपात निश्चित किया गया है ?

श्री हाथी : अनुपात कोई भी निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री राधा रमण : औद्योगिक कार्यों के लिये विद्युत संभरण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उन में से कितनों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

श्री हाथी : मैं इसके लिये पूर्वसूचना चाहूंगा ; इसका निर्णय तो दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड कर रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था पिछले सात आठ वर्षों से नहीं की गई है और यदि हां, तो वहां शीघ्र ही बिजली पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हाथी : यह मामला सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है ।

भारत सेवक समाज

*२१५२. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिये राष्ट्रीय निधि में से भारत सेवक समाज को अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) वह किन-किन मदों पर खर्च की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) तथा (ख). सन् १९५३–५४ से अगस्त १९५५ तक भारत सेवक समाज द्वारा प्रस्तावित स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार से ६,६४,५९७ रुपये की कुल रकम मंजूर की गई थी । मंजूर की गई योजनायें इस प्रकार हैं : पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई सम्बन्धी कामों में वृद्धि, गांवों से मिलाने वाली सड़कों का निर्माण या पुल या कस्वर्ट बना कर उनका सुधार, स्कूल और दवाखानों के लिये इमारतें, गोदाम, वाचनालय सहित पुस्तकालय के लिये कमरे और सामुदायिक केन्द्र या दालान आदि ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सेवक समाज की ओर से भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भी कोई कार्य किये गये हैं । यदि हां, तो वे कार्य तथा उनके ऊपर खर्च की जाने वाली राशि के आंकड़े क्या हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, बहुत से राज्यों में भारत सेवक समाज द्वारा काम किये गये हैं । मैं उनकी सारी तफसीलात नहीं दे सकता कि किन किन में कितनी कितनी रकम खर्च हुई है । लेकिन मैं ने उन योजनाओं के स्वरूप का कुछ वर्णन कर दिया है जिन में भारत सेवक समाज लगा हुआ है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : इसमें कोई काम हरिजनों के कल्याणार्थ भी किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : ये स्थानीय योजनायें हरिजनों के लाभ के लिये भी होती हैं । इन में पीने के पानी वगैरह की व्यवस्था से तो हरिजनों का लाभ होता ही है ।

डा० रामसुभग सिंह : जिन जिन इलाकों में ऐसे काम करने के लिये भारत सेवक समाज को ६ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं, उन इलाकों में भारत सेवक समाज के तत्वावधान में सभा सम्मेलन कराने के लिये कितने रुपये दिये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह प्रश्न तो स्थानीय विकास योजनाओं से सम्बन्ध रखता है और सभाओं से या और कामों से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है । मैं नहीं समझता कि उसके लिये कोई अनुदान दिया जाता है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रचार, प्रकाशन और प्रोपेगेंडा पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह तो एक विस्तृत प्रश्न है जिसका भारत सेवक समाज के अन्य कामों से ताल्लुक है । प्रचार वगैरह के लिये तो इस काम में कोई व्यवस्था है नहीं ।

गोआ के सत्याग्रही

*२१५५. **श्री कामत**: क्या **प्रधान मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :

(क) गोआ में अब तक कितने कितने भारतीय सत्याग्रही मारे गये निरुद्ध किये गये दोषी ठहराये गये, उद्धिवासिन किये गये अथवा उन पर अभियोग चलाया गया ;

(ख) क्या गोआ के पुर्तगाजी अधिकारियों ने अपने द्वारा मारे गये कुछ सत्याग्रहियों के शव भी वापस देने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्य कितनी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उन सत्याग्रहियों की अस्थियां भारतीय महावाणिज्य दूत के गोआ से चलने से पूर्व ही उनको दे दी गई थीं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क)

१. मारे गये भारतीय सत्याग्रही			१८
२. दोषी ठहराये गये	"	,,	१३
३. उद्धिवासित किये गये		,,	कुछ नहीं
४. अभियोग चलाये जाने वाले		,,	२
५. निरुद्ध	,,	,, ,,	३६

(ख) से (घ). हमारे वाणिज्य दूत ने पुर्तगाली अधिकारियों से १५ अगस्त को गोली चलाने में मारे गये सात भारतीय सत्याग्रहियों के शव भी देने के लिये निवेदन किया था । उन्होंने उत्तर दिया कि शवों की परीक्षा हो जाने के पश्चात् उनका दाह संस्कार कर दिया गया था । इन सत्याग्रहियों के शव हमारे वाणिज्य दूत को उनके गोआ से चलने के पहले दे दिये गये थे ।

श्री कामत : निरोध, उद्धिवासित आदि के ये आंकड़े किस काल के हैं ? उन सत्याग्रहियों की ओर से प्रतिवाद करने के लिये क्या प्रबन्ध

किये गये हैं जिन पर हाल ही में मुकदमा चलाया जाने वाला है और जिनकी संख्या विवरण के अनुसार २ या ३ है ? हमारे पक्ष की ओर से कौन कौन वकील होंगे ?

श्री सादत अली खां : जिन सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया जायेगा उनकी ओर से प्रतिवाद करने के लिये हमारे एक भारतीय वकील श्री पडके रखे गये हैं, जिन्हें प्रतिवाद में सहायता देने के लिये रखा गया है और इन दो सत्याग्रहियों के प्रतिवाद के लिये एक स्थानीय वकील भी रखा गया है । मैं नहीं समझता कि किसी को उद्विवासित किया गया है ।

श्री कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की विपरीत नीति होते हुए भी सत्याग्रही गोआ में बराबर चलते चले जा रहे हैं--मैं गट्र गुरुजी के गोआ में प्रवेश करने का उल्लेख कर रहा हूं--और अक्तूबर में कुछ और सत्याग्रही जाने वाले हैं--और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने पुर्तगाली सरकार से सारे कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध समाप्त कर रखे हैं, क्या सरकार न हमारे हितों का वहां प्रतिनिधित्व करने और जहां कहीं आवश्यक सम्पर्क बनाये रखने अथवा इस प्रकार का अन्य कार्य करने के लिये किसी भिन्न शक्ति के साथ कोई व्यवस्था की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं । अभी तक हमारी ओर से कार्य करने के लिये न तो किसी को नियुक्त किया गया है और न किसी से प्रार्थना ही की गई है । किन्तु ऐसा करने का विचार किया जा रहा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस सभा के सदस्य, श्री टी० के० चौधरी पर, जो इस समय गोआ में नजरबन्द हैं, शीघ्र ही मुकदमा चलाया जाने वाला है और यदि हां, तो क्या उन पर औरों के साथ-साथ एक-दो महीने में मुकदमा चलाया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं कह सकता कि उन पर मुकदमा कब चलाया जायेगा । मैं समझता हूं कि उन पर मुकदमा चलाया जाना था और बाद में यह स्थगित कर दिया गया । हमें इसके सिवाय कोई और जानकारी नहीं है कि एक-दो वकील वहां जाकर उनसे मिले परन्तु उन्होंने कोई निश्चित जानकारी नहीं दी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या १५ अगस्त को यह मांग की गई थी कि सत्याग्रहियों के शव सौंप दिये जायें और क्या इन शवों को इस मांग किये जाने के बाद भी जला दिया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं ठीक-ठीक तो नहीं कह सकता, परन्तु ऐसी मांग की ज़रूर गई थी--१५ अगस्त को या १७ अगस्त को प्रातःकाल, अर्थात् घटना के तुरन्त बाद । हमें बताया गया कि उनका दाह-संस्कार पहले ही किया जा चुका था, परन्तु इसकी सत्यता में कुछ सन्देह है । हो सकता है कि उन्हें उक्त मांग किये जाने के बाद ही जलाया गया हो ।

श्री **कामत** : क्या इस खबर में कोई सत्यता है कि ब्रिटिश सरकार इस मामले में बीच में पड़ने या पुर्तगाली सरकार से बातचीत करने के लिये तैयार है? क्या ब्रिटेन इस प्रश्न पर भारत की नीति का समर्थन कर रहा है ?

श्री जवाहरलाल नहरू : जी नहीं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है ।

सीमेंट के कारखाने

*२१५६. **श्री आर० एस० दीवान** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने किसी उपक्रमी व्यापारी को सौराष्ट्र में

सीमेंट के कारखान स्थापित करन की अनुमति देने से इसलिये इनकार कर दिया है कि वहां पर्याप्त परिवहन-सुविधाएं नहीं हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीकानूनगो) : जी नहीं ।

श्री आर० एस० दीवान : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के औद्योगीकरण की शीघ्र आवश्यकता है और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सौराष्ट्र में बृहत्तर औद्योगीकरण की संभाव्यतायें हैं, क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय से सौराष्ट्र की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कहा है ?

श्री कानूनगो : परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना कठिन है क्योंकि कोयला बहुत दूर से लाना पड़ता है, और परिवहन की उपलब्धता के अतिरिक्त, कुछ औद्योगिक उपक्रमों के लिये उसकी लागत बहुत अधिक है ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या यह सच नहीं है कि एक उद्योगपति से, जिस ने एक सीमेंट फैक्टरी आरम्भ करने की अनुज्ञा मांगी थी, रेलवे ने रेल द्वारा कोयला मंगाने की मांग न रखने के लिये कहा था वरन् उससे समुद्र द्वारा कोयला मंगाने का प्रबन्ध करने के लिये कहा था और इस प्रकार उसको अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैं ने मुख्य उत्तर में कहा है, अनुज्ञा देने से इनकार कभी नहीं किया गया है । परन्तु यह सच है कि बहुत से औद्योगिक उपक्रम सौराष्ट्र में समुद्र के द्वारा कोयला मंगाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं । जहां तक सीमेंट का प्रश्न है देश में उसके उत्पादन के लिये सौराष्ट्र से अच्छे स्थान और भी हैं ।

श्री आर० एस० दीवान : माननीय मंत्री ने अभी अभी जो उत्तर दिया है क्या उसका अर्थ यह है कि रेल द्वारा कोयला मंगाने से समुद्र के द्वारा मंगाने का खर्च कम होता है ?

श्री कानूनगो : यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो ।

किंग्ज़वे कैम्प

*२१५७. श्री **मोतीलाल मालवीय** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंग्ज़वे कैम्प शरणार्थी बस्ती के कितने परिवार पुराने फ़ौजी बैरकों में रह रहे हैं;

(ख) बैरक कितने हैं और एक बैरक में कितने परिवार रहते हैं; और

(ग) क्या सरकार इन विस्थापित व्यक्तियों को नये क्वार्टर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) आज कल १,०४० परिवार रह रहे हैं ।

(ख) (१) १०४ बैरक हैं, और

(२) प्रत्येक बैरक में दस परिवार रहते हैं ।

(ग) जी हां, केवल उचित अधिकारियों को ।

श्री मोतीलाल मालवीय : उन्हें कब तक नये मकान दे दिये जायेंगे ? क्या सरकार इन विस्थापितों को किंग्ज़वे कैम्प के नज़दीक की विस्थापित बस्तियों में खाली पड़े मकानों को देने में प्राथमिकता देगी ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं निश्चित तौर पर अभी इसके बारे में नहीं कह सकता । बहुत सारे मकान जो बन रहे थे वे अभी तक तैयार नहीं हो पाये हैं लेकिन जब वे बन कर

तैयार हो जायेंगे तो विस्थापितों को हम उन बस्तियों में जरूर ले जायेंगे ।

श्री मोतीलाल मालवीय : क्या ऐसे भी कुछ बैरक्स हैं जो खाली पड़े हैं, और अगर हैं, तो कितने हैं और क्या सरकार उनको किराये के तम्बुओं में चलाये जा रहे प्राइमरी स्कूलों के उपयोग के लिये देने का इरादा रखती है ?

श्री जे० के० भोंसले : बहुत सारे बैरक्स तो हमें देहली युनिवर्सिटी को खाली होने पर देने हैं और उनके देने के बाद जो बैरक्स खाली होंगे तब आपके स्कूलों के बारे में विचार करेंगे ।

श्री मोतीलाल मालवीय : मेरा प्रश्न यह था कि किंग्जवे कैम्प में जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, वे अभी किराये के तम्बुओं में चल रहे हैं, तो क्या जो बैरक्स खाली पड़े हैं, वह क्या प्राइमरी स्कूलों के उपयोग के लिये अभी फिलहाल दिये जायेंगे ?

श्री जे० के० भोंसले : उस पर विचार करेंगे ।

आण्विक बिजली घर

*२१५६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में एक आण्विक बिजली घर स्थापित करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा की सरकार का भारत को एक एटॉमिक रिएक्टर देने का प्रस्ताव इस योजना में किस सीमा तक सहायक होगा तथा इस परियोजना की गति को तीव्र करेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) भारत में आण्विक बिजलीघरों को स्थापित करने की समस्या का आर्थिक पहलू इस समय विचाराधीन है ।

(ख) कनाडियन रिएक्टर की सहायता से किये गये प्रयोगों तथा सामग्री परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुभव आण्विक बिजलीघरों की रचना में सहायक होगा । थोरियम जैसी उपयोगी वस्तु से जो कि पश्चिमी तट की मोनाजाइट रेत में भारी मात्रा में मिलता है विखण्डनीय पदार्थ (यूरेनियम २३३) तैयार करने के सम्बन्ध में प्रयोग तथा गवेषणा कार्य करने में भी रिएक्टर से सहायता मिलेगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या इस रिएक्टर पर इतना नियंत्रण किया जा सकता है कि यूरेनियम से प्लूटोनियम तैयार किया जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस रिएक्टर पर इतना नियंत्रण किया जा सकता है कि यूरेनियम से कुछ तैयार किया जाये--यह मैं भी नहीं सुन सका वस्तु कौन सी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह रिएक्टर एक गवेषणा रिएक्टर है और जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया इससे थोरियम से यूरेनियम तैयार करने के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य तथा प्रयोग करने में सहायता मिलेगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : सरकार भारतीय नागरिकों को नाभिकीय विद्युत शक्ति प्रौद्योगिकी सिखाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझा नहीं कि माननीय सदस्य जानना क्या चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इससे नाभिकीय शक्ति का उत्पादन करने के लिये प्रयत्न किये

जा रहे हैं ; क्या इसके लिये कोई प्रयोग किये जा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नहरू : जो मूल उत्तर मैंने पढ़ कर सुनाया है उसमें मैं ने अभी अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री कामत : जेनेवा में हाल ही में हुये अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने वाली किन शक्तियों ने भारत के साथ अणु सम्बन्धी जानकारी का विनिमय करने के लिये ।वशेषता शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणुशक्ति का विकास करने के सम्बन्ध में, अपनी रजामन्दी प्रकट की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सब शक्तियों की तालिका में नहीं बता सकता हूं, मैं तो वास्तव में जानता भी नहीं हूं । मैं जानता हूं कि कुछ देशों से हम कुछ सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं, जानकारी का विनिमय कर रहे हैं, उन देशों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे अमरीका, इंगलैंड, फ्रांस, सोवियट यूनियन, स्कैंडिनेवियन देश, कनाडा तथा कुछ अन्य देश ; सूची मेरे पास नहीं है ।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें (उत्तर प्रदेश)

*२१६१. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाढ़ नियंत्रण के बारे में एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उस योजना को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ; और

(घ) उस के लिये कितनी राशि की सहायता का वचन दिया है ?

सिंचाई और विद्युत **उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[दखिय परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री राम शंकर लाल : ६ से १३ की जो सूचनायें हैं, उनके बारे में जांच कब तक खत्म हो जायेगी ?

श्री हाथी : निश्चित समय तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन दो तीन महीने तक खत्म हो जायगी ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट के सामने घाघरा के लिये भी कोई बड़ी योजना विचाराधीन है ?

श्री हाथी : एक योजना तो है लेकिन विस्तृत योजना तो बाद में बनेगी अभी तो सर्वे हो रहा है ।

श्री राम शंकर लाल : राप्ती नदी पर जो डम बनाने की तजवीज है, उसके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री हाथी : उसके लिये कोई एक विस्तृत योजना तो सर्वे समाप्त होने के बाद ही बनाई जा सकती है ।

डा० राम सुभग सिंह : राज्य सरकार की ओर से सीमा की नदियों पर बाढ़ नियंत्रण करने की योजना भारत सरकार के रिवर कमिशंस के सामने पेश की जाती है तो क्या उसमें उस राज्य सरकार की भी राय ली जाती है जिस राज्य की सीमा में उस नदी का दूसरा तट पड़ता है ?

श्री हाथी : स्टेट गवर्नमेंट्स की राय ज़रूर ली जाती है जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश, जिनकी कि सीमा पर गंडक नदी पड़ती है, तो उसके सम्बन्ध में उन दोनों राज्य सरकारों की राय ली जाती है ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : रिवर कमिशंस का मतलब

ही है कि कोआर्डिनेशन हो सके, दोनों स्टेट्स जिनका कि उससे ताल्लुक़ है, उनके इंटरस्ट्स का ख़याल रखा जा सके ।

शुल्क बैटरियां

*२१६२. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य के ज़िला कृष्णा में रेडियो की शुष्क बैटरियों के अभाव के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभाव की पूर्ति करने के लिये कौन से उपाय किय गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : कितने व्यक्ति अथवा समवाय इन शुष्क बैटरियों का आयात करते हैं ?

श्री कानुनगो : इस देश में पांच समवाय ऐसे हैं जो शुष्क बैटरियां तय्यार करते हैं और उन की कुल क्षमता तथा उत्पादन देश की मांग से कहीं अधिक है । जहां तक स्थानीय अभाव का सम्बन्ध है, हम ने यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला क्या है । हो सकता है कि वितरण प्रणाली की किसी अड़चन के कारण ऐसा हुआ हो ।

अयस्को (कच्ची धातुओं) का निर्यात

*२१६३. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्ची धातुओं के निर्यात करने वालों ने सरकार के पास एक संयुक्त ज्ञापन भेजा है कि कच्ची धातुओं के निर्यात का अभ्यंश रेलवे के मालडिब्बों की संभरण स्थिति में हुए सुधार के परिणामस्वरूप बढ़ा कर उतना कर दिया जाये जितना कि जनवरी—जून, १६५५ में था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां । संभवत: निर्देश संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, कलकत्ता को भेजे गये ६ सितम्बर, १६५५ के अभिवेदन की ओर है ।

(ख) और (ग). चालू अवधि की नीति में इस बात का उपबन्ध पहले ही कर दिया गया है कि अनुपूरक आवंटनों के प्रार्थना-पत्रों पर तभी विचार किया जायेगा जब कि जहाज़ से माल भेजने वाले पुराने व्यापारी तथा खानों के मालिक यह महसूस करें कि उन के साधारण आवटन प्राप्त आर्डरों और माल डिब्बों की उपलब्धता के अनुसार व्यापार का पूरा पूरा लाभ उ ाने के लिये अपर्याप्त हैं ।

अधिग्रहण की गई इमारतें

*२१६४. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मत्री, २६ सितम्बर, १६५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न सख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कनाट सर्कस, नई दिल्ली की अधिग्रहण की गई इमारतों को छोड़ देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन इमारतों के वर्तमान कब्ज़ेदारों के लिये आवास-स्थान की क्या व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अन्य क्षेत्रों की तरह कनाट प्लेस की अधिग्रहण की हुई इमारतें भी धीरे धीरे और जब भी सम्भव होगा छोड़ ी जायेंगी । जब इमारतें छोड़ी जाती हैं तो सरकार उन कब्ज़ेदारों के लिये, जो सरकारी आवास के हक़दार हैं, सरकारी या अन्य अधिग्रहण की हुई इमारतों में, वैकल्पिक आवास-स्थान खोजने का प्रयत्न करती है ।

श्री एम० डी० जोशी : अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ में विशेषत: निर्दिष्ट इमारतों में से एक यार्क होटल था । क्या सरकार को ज्ञात है कि आजकल यार्क होटल में कुछ पत्रकार और सवाददाता निवास कर रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि ऐसा है तो मेरे लिये यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि कुछ पत्रकारों को सरकारी आवास स्थान दिये गये हैं ।

श्री एम० डी० जोशी : यदि सरकार इस होटल को छोड़ने जा रही है, तो सरकार इन पत्रकारों और संवाददाताओं को आवास-स्थान देने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जो उत्तर मैं ने अभी पढ़ा है उसके दूसरे वाक्य में मैं ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है ।

कच्ची पटसन का मूल्य

*२१६५ **श्री एन० वी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्ची पटसन के मूल्य में एक दम से असाधारण गिरावट हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अगस्त के मध्य से वर्तमान मास के आरम्भ तक कच्ची पटसन के मूल्यों में कुछ गिरावट हुई थी, परन्तु वह न तो एकदम से हुई थी और न असामान्य ही थी । गत वर्ष इन्हीं दिनों मूल्यों में ऐसी ही गिरावट हुई थी । जान पड़ता है कि इस ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति को रोक दिया गया है और मूल्य चढ़ते जा रहे हैं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ए न बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कच्ची पटसन का मूल्य फरवरी में ३९ रुपये ८ आने था और सितम्बर के पहले सप्ताह में गिरकर २३ रुपये ८ आने हो गया था, क्या सरकार इस का कोई उपाय कर रही है कच्ची पटसन का मूल्य एक आर्थिक स्तर पर स्थायी हो जाये ?

श्री करमरकर : इस में डरने की कोई बात नहीं है इस लिये सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने कच्ची पटसन के आर्थिक मूल्य का कोई हिसाब लगाया है, और यदि हां, तो वह मल्य क्या है ?

श्री करमरकर : स प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है, परन्तु सरकार के मतानुसार मल्य का वर्तमान स्तर अनार्थिक नहीं है ।

श्री ऐल० एन० मिश्र : कच्चे पटसन के मूल्य प्रत्येक वर्ष इन्हीं दिनों में क्यों गिर जाते हैं और इस का क्या कारण है कि जैसे ही कच्ची पटसन कृषकों के हाथ से निर्यातकों के हाथ में पहुंचती है मूल्य बढ़ने लगते हैं ? नियमित-रूप से यही होता है—क्या सरकार ने इस की जांच करने की कोशिश की है ?

श्री करमरकर : जैसा कि मैं ने कहा, हम ने अगस्त में मूल्यों में कुछ गिरावट देखी थी परन्तु मेरी समझ में इस में कोई असाधारण बात नहीं है ।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये इंजीनीयर

*२१६६. **डा० सत्यवादी** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटी परियोजनाओं के लिये प्रशिक्षित इंजीनियरों के अभाव को पूरे करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत देश में खोले गये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) वे किन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). इस जानकारी को देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५**]

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेन्ट कितने इंजीनियरों की कमी महसूस कर रही है ?

योजना तथा ौर विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : कुछ हद तक महसूस हो रही है।

डा० सत्यवादी : इस वक्त रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरों की कितनी कमी है ?

श्री हाथी : हम ने एक कमेटी ऐप्वाइंट की है जिस का नाम टेकनिकल पर्सोनल कमेटी है, वह इस बारे में जांच कर रही है और उस की रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ मालूम हो जायेगा ।

डा० रामा राव : सिंचाई तथा अन्य विभागों में इंजीनियरों की इतनी भारी मांग को देखते हुए, क्या यह दुख का विषय नहीं है कि प्रशिक्षण के लिये छांटे गये तीस उम्मीदवारों से केवल नौ ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है ? जैसा कि विवरण से पता चलता है, इसका कारण यह था कि प्रशिक्षण के बाद नौकरी दिये जाने की कोई गारण्टी नहीं दी गई थी । क्या सरकार बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर भर्ती करने और विभिन्न विभागों में काम करने के लिये उनको प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हाथी : अनुभव यह बताता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिये बड़ी संख्या में आते नहीं हैं क्योंकि जैसे ही उनकी नियुक्ति की जाती है वे अपनी स्थायी नौकरियों पर चले जाते हैं ।

विस्थापित विद्यार्थी

*२१६९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूलों और कालिजों में पढ़ने वाले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को १९५४-५५ में कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित स्कूलों और कालिजों को उपर्युक्त काल में अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १९५४-५५ में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को १,००,९५,६४७ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी ।

(ख) पश्चिम की तरह पूर्व में विस्थापित स्कूलों और कालिजों को कोई सहायता नहीं दी गई है । परन्तु १९४९ से ले कर १९५२ तक की अवधि में कलकत्ते के कालिजों की

अत्यधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए विस्थापित कालिज विद्यार्थियों को कलकत्ते से इधर-उधर भेजने के लिये "विसर्जन योजना" के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की सरकार को ८० लाख रुपये का एक ऋण दिया गया था । पश्चिम बंगाल सरकार को ३६२ माध्यमिक स्कूलों का प्रसार करने के लिये ६६·८२ लाख रुपये और नौ हाई स्कूल खोलने के लिये ५·७७ लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई थी । पूर्व राज्यों के १२३८ प्राथमिक स्कूलों के लिये लगभग १·३१ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को अधिकतम रक़म क्या दी जाती है और हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को अधिकतम रक़म क्या दी जाती है ?

श्री जे० के० भोंसले : कालेज के विद्यार्थी को ६० रुपये तथा माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थी को अधिकतम ४० रुपये दिये जाते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित कालेजों तथा स्कूलों से उनके पुनर्वास के लिये भूमि तथा धन के रूप में पुनर्वास अनुदान दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है

श्री० जे० के० भोंसले : मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं है, किंतु क्योंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी कलकत्ता में हैं, इसलिये मेरा विचार है कि वह अभ्यावेदन उनके पास अवश्य पहुंचा होगा । मुझे विश्वास हैं कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : जहां तक विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा संस्थाओं का सम्बन्ध है क्या मैं उन्हें दिये गये अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्ध रखने वाले पृथक्-पृथक् आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : इसके सम्बन्ध में, जैसा कि मैं ने निवेदन किया, १९४९ से १९५२ के बीच पश्चिम बंगाल सरकार को ८० लाख रुपये दिये गये थे--शेष अनुदान हैं ।

सस्ते रेडियो सैट

*२१७०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते रेडियो सैट बनाने की योजना में कहां तक प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सामुदायिक रेडियो सैटों के नक्शों के जिन्हें दिसम्बर, १९५४ में हुए रेडियो निर्माताओं के एक सम्मेलन में अन्तिम रूप दिया गया था, भारतीय मानक संस्था द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, और निर्माताओं ने इन नक्शों के आधार पर रेडियो निर्माण करने के लिये टेंडर दे दिये हैं । इस वर्ष स्वीकार किया गया कम से कम मूल्य-कथन १३० रुपये है जिसमें लाउड-स्पीकर का मूल्य सम्मिलित नहीं है । किन्तु, आशा की जाती है कि जब अगले वर्ष तक निर्माता मांग को पूरा करने के लिये पूर्णतया कील कांटे से लै हो जायेंगे तो पर्याप्त कम कीमत को प्राप्त करना संभव हो जायेगा ।

श्री झूलन सिंह : शिक्षा तथा प्रचार कार्य के लिये रेडियो के महत्त्व को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार रेडियो सैटों की कीमत को और कम करने के लिये कोई उपाय कर रही है ?

डा० केसकर : मूल प्रश्न सामुदायिक रेडियो सैटों के बारे में है ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इन सस्ते रेडियो सैटों को शुष्क बैटरियों से चलाने की लागत में कोई कमी करन के लिये कोई गवेषणा कार्य किया गया है ? ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क बैटरी से चलाये जाने पर एक रेडियो पर इस समय क्या लागत आयेगी ?

डा० केसकर : शुष्क बैटरी वाला सैट सस्ता होता है अथवा गीली बैटरी वाला इस प्रश्न का उत्तर देना तो मेरे लिये संभव नहीं होगा । शुष्क बैटरी वाले सैट को एक बहुत ही व्यावहारिक वस्तु माना गया है क्योंकि गीली बैटरी को दुबारा चार्ज कराना एक बहुत से झंझट का काम है और विशेषतया उस समय जबकि सैट दूर स्थित ग्रामों में हो । इसलिये हमने जो नक्शे जारी किये हैं, उनके अनुसार शुष्क बैटरी सैट को सदैव प्राथमिकता दी गई है, हम अब गीली बैटरियों के लिये सैट नहीं बनाते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन के कारखाने की मशीनरी

*२१४७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पटसन के कारखानों की मशीनरी बनाने के लिये कोई संयंत्र स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्थापना किस अवस्था पर है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सरकार ने तीन सार्थों को पटसन के कारखानों की मशीनरी बनाने के लिये पहले ही मंजूरी दे दी है ।

विस्थापितों की यात्रा पर कावट

*२१४८. **श्री धुसिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार भारत से खोकरापार के मार्ग से आने वाले विस्थापितों को निरुत्साहित करती या रोकती है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). अक्तूबर, १९५२ में पारपत्र योजना के लागू हो जाने से पाकिस्तान सरकार ने केवल लाहौर–अमृतसर मार्ग को ही पश्चिमी वर्ग में सड़क द्वारा यात्रा के लिये अधिकृत मार्ग निश्चित किया था । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को प्रार्थना की थी कि जो लोग मुख्यतया राजस्थान तथा सिन्ध के बीच यात्रा करना चाहते हों उनको सुविधा देने के लिये मुनावाओ (भारत) तथा खोकरापार (पाकिस्तान) के बीच भी एक अतिरिक्त मार्ग अधिकृत किया जाये । पाकिस्तान सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हुई थी । बहुत से यात्रियों ने जिन्होंने मुनावाओ तथा खोकरापार मार्ग को सुविधापूर्ण समझा उसी मार्ग से यात्रा करते रहे । पाकिस्तान सरकार यात्रियों को उनके पास उचित प्रमाण पत्र न होते हुए भी इस माग से पाकिस्तान आने की आज्ञा देती रही, किन्तु पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिये इस मार्ग से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई ।

अप्रैल, १९५५ में इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हुआ और १ अगस्त, १९५५ से मनावाओ-खोकरापार मार्ग को दोनों देशों के बीच यात्रा के लिये

एक अधिकृत मार्ग घोषित कर दिया गया है। भारतीय चौकी पर रखे गये आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि जो लोग जो कि होने वाले इच्छित प्रव्रजकों को जारी किये गये आपात प्रमाण पत्रों के आधार पर भारत से पाकिस्तान जाते हैं, उनकी औसत संख्या प्रतिदिन दी है। जो दूसरे व्यक्ति इस मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं उनके पास मान्य भारतीय या पाकिस्तानी पारपत्र और मान्य दृष्टांक होते हैं जिनके आधार पर उन्हें धारण करने वाले व्यक्ति दूसरे देश में एक निर्धारित अवधि तक घूम सकते हैं।

सरकारी प्रकाशन

*२१५०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किये गये प्रकाशनों का पूरा सैट संसद् सदस्यों को पूर्ति प्रतियों के रूप में क्यों नहीं दिया जाता है; और

(ख) किस आधार पर उन्हें बहुत ही थोड़े प्रकाशन तथा पत्रिकायें दी जाती हैं ?

सचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). यह तो पहले से ही निर्णय कर लिया गया है कि संसद् सदस्यों को सामान्यतः प्रार्थना करने पर पंचवर्षीय योजना तथा अन्य प्रचार कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रकाशन निशुल्क भेजे जायें। किन्तु प्रकाशन डिवीज़न के घाटे को कम से कम करने के लिये प्राक्कलन समिति द्वारा सिफारिश की गई नीति के अनुसार अन्य प्रकाशनों का निश्शुल्क दिय
नहीं हो सका है। किन्तु कुछ महंगे प्रकाशन रियायती मूल्यों पर दिये जा रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

*२१५३. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पटसन के भारतीय खरीदारों को पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन से कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(ख) निर्यात के लिये पाकिस्तानी पटसन की कम से कम कीमत अब क्या है और पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन से पहले क्या थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के पश्चात पाकिस्तानी पटसन भारतीय खरीदारों के लिये सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस देश के लिये निर्धारित कम से कम निर्यात मूल्य का, जो कि भारतीय रुपयों में निर्धारित किया गया था, पुनरीक्षण नहीं किया है।

(ख) कीमतें 'पहले निर्यात' वर्ग के आधार पर निर्धारित की गई थीं और इस प्रकार थीं :

पाकिस्तान से स्टर्लिंग में सौदा करने वाले देशों को निर्यात करने के लिये ८० पौण्ड प्रति टन।

भारत को निर्यात करने के लिये ९५२ रुपये (भारतीय) प्रति टन।

उपर्युक्त कीमतें अवमूल्यन से पहले निर्धारित की गई थीं और अब भी वही लागू हैं।

कपड़ा उद्योग जांच समिति

*२१५४. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २५ जुलाई १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा

करेंगे कि कपड़ा जांच समिति की विभिन्न सिफारिशों पर अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : अभी प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

माही नदी पर बांध

*२१५८. **श्री भीखा भाई** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने पंचलवासा पर माही नदी के आर पार एक बांध निर्माण किये जाने की एक प्रस्थापना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापित बाध की अनुमानित लागत क्या है तथा उसमें केन्द्र का अंशदान कितना है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना की अनुमानित लागत १·९५ करोड़ रुपये है । योजना के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता की मात्रा का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*२१६०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी रकम पृथक रखी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). छोट पैमाने के उद्योगों के विकास के कार्यक्रम राज्य सरकारों तथा छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड द्वारा तैय्यार किये गये हैं । इन कार्यक्रमों के लिये कुल कितनी रकम अलग रखी जाये इस प्रश्न पर योजना आयोग अभी विचार कर रहा है ।

कोयला आयुक्त संगठन

*२१६७. **श्री के० के० बसु** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुख्य खनन इंजीनियर (रेलवे बोर्ड) का पद कोयला आयुक्त के अधीन कर दिया गया है;

(ख) क्या कोयला उद्योग का विकास कार्य भी कोयला आयुक्त के अधीन रखा गया है; और

(ग) क्या कोयला आयुक्त के विभाग कर्मचारियों को स्थायी बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतोश चन्द) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कर्मचारिवृन्द की कुछ प्रतिशतता को स्थायी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बैंज़ोल प्राप्ति संयंत्र

*२१६८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरकों तथा केमिकल्ज़ फैक्टरी लिमिटिड में बैंज़ोल प्राप्ति सयत्र स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थापित किये जाने से अब तक प्राप्त किये गये बैंज़ोल की कीमत तथा विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) प्रति दिन प्राप्ति की औसत मात्रा कितनी है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) १५–९–१९५५ तक प्राप्त किये गये साफ न किये गये बेंज़ोल की मात्रा १,६१,९४७ गैलन थी और उसी तारीख़ तक उस कच्चे बेंज़ोल से निकाले गये साफ बेंज़ोल तथा मोटर बेंजोल की क़ीमत १,९७,०६६ रुपये ६ आने ३ पाई थी ।

(ग) १,५७२ गैलन कच्चा बेंजोल ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*२१७१. **श्री विभुति मिश्र**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के औद्योगिक यूनिटों के विकास के लिये सरकार ने बिहार सरकार को १९५४–५५ में कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : ३,२३,५२० रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था किन्तु बिहार सरकार ने इसमें से २ लाख रुपये ही लिये हैं ।

औद्योगिक सम्पदायें

*२१७२. **श्री गिडवानी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १२ मार्च १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके पश्चात भारत में छोटे उद्योगों को सहायता देने के लिये औद्योगिक सम्पदायें बनाने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सम्पदायें कहां स्थापित की जायेंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पहले पहल, ऐसी सम्पदाओं को दिल्ली, सौराष्ट्र, बम्बई, मद्रास, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की प्रस्थापना है ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह

*२१७३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्यऔर उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में लाग होने वाली औद्योगिक विधियां अंदमान तथा निकोबार द्वीपों में भी लागू होती हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्यात की वस्तुओं के मूल्य

*२१७४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** क्या **वाणिज्यऔर उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्यात वस्तुओं के आन्तरिक मूल्यों को नियमित करने के लिये कोई व्यवस्था है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम और भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के उपबन्धों द्वारा सरकार निर्यात वस्तुओं के आन्तरिक मूल्यों पर नियंत्रण रखती है । निर्यात की मात्रा सम्बन्धी विनियमन और निर्यात शुल्कों के सामयिक व्यवस्थापन ने सरकार को आन्तरिक मूल्यों को उचित स्थिर स्तरों तक रखने में सहायता दी है ।

सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद

*२१७५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने हाल ही में विश्व कपड़ा निर्यात व्यापार का एक सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध है ;

(ग) इस प्रतिवेदन में भारतीय निर्यात की स्थिति कैसे बताई गई है ; और

(घ) भारतीयकपड़ा निर्यात को बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सूती कपड़ा निर्यात संबर्द्धन परिषद् के सांख्यिकीय पदाधिकारी ने १९५५ के पूर्वार्द्ध में हुये सूती कपड़े के विश्व व्यापार का एक सांख्यिकीय पुनर्विलोकन किया है । उस द्वारा किये गये पुनर्विलोकन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एस-३४४/५५]

(ग) भारत विश्व व्यापार में दूसरे स्थान पर ही रहा है । यद्यपि सूती कपड़े का विश्व व्यापार १९५५ के पहले छः मासों में जनवरी से जून १९५४ की तुलना में ९ प्रतिशत कम हो गया है, तथापि भारत के निर्यात में केवल ६.१ प्रतिशत की ही कमी हुई है ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखागया, **देखिये** संख्या एस-३४४/५५]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*२१७६. **श्री आर० एस० दीवान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार बहु-भाषा भाषी राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के कार्य को, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने तक स्थगित करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

योजना उपमंत्री (**श्री एस० एन० मिश्र**) : (क) तथा (ख). योजना आयोग राज्यों द्वारा भेजी गई योजनाओं की जांच करता रहा है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कार्य हो रहा है और ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पूर्व उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन

*२१७७. **श्री कामत** : क्या सूचना **और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में समाचारों को रखने के लिये कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). आकाशवाणी के समाचार विभाग को, समाचारों की प्रमाणिकता, परिशुद्धता और परिष्कृत रुचि का ध्यान रखते हुये समाचारों को उनके समाचारीय मूल्य के आधार पर ही सम्मिलित करने का स्वविवेक दिया गया है ।

आकाशवाणी केन्द्र विजयवाड़ा

*२१७९. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिये रेडियो कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये पूर्वाकांक्षित आधार क्या है ; और

(ख) क्या विजयवाड़ा की आकाशवाणी केन्द्र केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिये कोई कार्यक्रम प्रसारित करता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिये रेडियो-कार्यक्रम प्रारम्भ करन के लिये पूर्वाकांक्षित आधार यह है कि रेडियो स्टेशन के सेवा-क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या पर्याप्त अधिक हो और राज्य सरकारों तथा/अथवा नियोजकों द्वारा रेडियो सुनने का सन्तोषजनक प्रबन्ध किया गया हो ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

बिलासपुर विलय

*२१८०. **डा० सत्यवादी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** ९ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा-नांगल परियोजना के लिये बिलासपुर द्वारा पंजाब को न्यूनतम क्षेत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये गत वर्ष नियुक्त की गई समिति की मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ; और

(ख) उसके सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). प्रतिवेदन अभी तक सरकार के विचाराधीन है और इस प्रक्रम पर समिति की सिफ़ारिशों को बता देना लोक हित में नहीं होगा ।

मास्को मे भारतीय दस्तकारियों की प्रदर्शनी

२१८१. श्री **राधा रमण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा मास्को में भारतीय दस्तकारियों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब होगी और कितनी कालावधि के लिये होगी ; और

(ग) उस प्रदर्शनी में कौन कौन सी विशेष वस्तुयें प्रदर्शित की जायेंगी ।

उत्पादन उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रदर्शनी के सितम्बर, १९५५ के अन्त तक आरम्भ होने की आशा है और वह लगभग एक मास तक जारी रहेगी ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ठ ११, अनुबन्ध संख्या ६]**

नेपाल मे विमान पत्तन

*२१८२. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा नेपाल में सभी ऋतुओं में चालू रहने वाले कौन कौन से विमान पत्तन बनाये गये हैं ;

(ख) उनके निर्माण पर कितनी लागत आई है ;

(ग) क्या सरकार नेपाल में कुछ और विमान पत्तन बनाने की प्रस्थापना करती है ; और

(घ) यदि हां, तो जिन स्थानों पर वे बनाये जायेंगे उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (घ). भारत सरकार ने अभी अभी काठमाण्डू के गौचर विमान पत्तन के विमान उतरने वाले मार्ग को पक्का करने का कार्य पूरा किया है, इस पर लगभग २५ लाख रुपये लागत आई है । भारत सरकार नेपाल सरकार से सिमरा, वैरवा, बिराटनगर और पोखरा में विद्यमान विमान पत्तनों में कतिपय सुधार करने के बारें में विचार विमर्ष कर रही है ।

डी० ए० वी० कालिज शरणार्थी कैम्प, लाहौर

*२१०३. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डी० ए० वी० कॉलिज शरणार्थी कैम्प, लाहौर में ऐसे कितने हिन्दू और सिख विस्थापित व्यक्ति हैं जो कि भारत लाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) ये व्यक्ति उस कैम्प में कब रह रहे हैं; और

(ग) उन्हें वापिस लाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). १ सितम्बर, १९५५ को उस कैम्प में भारत लाये जाने के लिये प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों की संख्या २४५ थी । इनमें से अधिकांश जनवरी, १९५५ से उस कैम्प में हैं ।

(ग) इन व्यक्तयों को शीघ्रता से भारत लाये जाने में प्रमुख कठिनाई पाकिस्तान के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उनको आयकर भुगतान प्रमाणपत्र दिये जाने में हो रही देरी है ।

लोहा और इस्पात

*२१८४ **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष में भारत में लोहे और इस्पात की खपत में कोई वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । इस्पात की नियंत्रित किस्मों के लिये प्राप्त हुई मांगों के आधार पर खपत १९५४ में १५ लाख टन से बढ़ कर अब १९५५ में लगभग २० लाख टन हो गई है ।

विदेशी पुरस्कार

*२१८५. **श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नागरिकों के नाम क्या हैं जिन्हें २६ जनवरी, १९५० के पश्चात् विदेशी पुरस्कार, प्रमाण पत्र और पदक मिले हैं; और

(ख) उन्हें दिये गये प्रत्येक पुरस्कार और पदक का विवरण क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७]**

शाहदरे में विस्थापित व्यक्ति मार्केट

*११८६. **श्री राधा रमण :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने शाहदरे में एक विस्थापित व्यक्ति मार्केट बनाने के बारे में दिल्ली राज्य सरकार की एक प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना का रूप क्या है;

(ग) यह प्रस्थापना कब कार्यान्वित की जायेगी; और

(घ) उस पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी, हां ।

(ख) एक मार्केट बनाने के उद्देश्य से शाहदरा नगर में ४,५०० वर्ग गज़ भूमि का अधिग्रहण करने की प्रस्थापना है ।

(ग) यह बताना कठिन है कि इस प्रस्थापना को कार्यान्वित करने में कितना समय लग जायेगा, परन्तु इतना कहा जा सकता है कि यह कार्य, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किये जाने और उसकें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के तुरन्त पश्चात् ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(घ) इस पर आने वाले अनुमानित खर्च को बताने वाले प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

तावा जल विद्युत परियोजना

११३५. श्री कामत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तावा जल विद्यत परियोजना (तावा नदी होशंगाबाद ज़िला मध्य प्रदेश) को मध्य प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास-स्थान

११३६. श्री हेम राज : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३, १९५४ और जुलाई, १९५५ के अन्त तक दिल्ली में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये और उन्हें आवंटित किये गये;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें जुलाई, १९५५ के अन्त तक क्वार्टर नहीं मिले हैं;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लियें क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना की गई है; और

(घ) यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[दखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये ४५३२ क्वार्टर और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये १२९६ क्वार्टर बनाये जा रहे हैं और आगामी वर्ष में ततीय श्रे ी केलिये ६२०० और चतुर्थ श्रेणी के लिये २४०० और क्वार्टर बनाने की प्रस्थापना है ।

(घ) इस समय सरकार की नीति कर्मचारियों की समग्र मांग को पूरा करन की नहीं है । तथापि आशा की जाती है कि १९५८–१९५९ तक कर्मचारियों की ८० प्रतिशत मांग पूरी हो जायेगी ।

प्रलेखीय चलचित्र

११३७. श्री **डा० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में चलचित्र विभाग और वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा विदेशों को राज्यवार कुल कितने प्रलेखीय चलचित्र और समाचारीय चलचित्र भेजे गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ९]**

भारतीय उच्चायोग, लन्दन

११३८. श्री **इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त को १९४७ से कौन कौन से कार्य करने पड़े हैं ; और

(ख) उच्चायुक्त के कार्यालय में सेवा-युक्त विशियों को प्रति वर्ष कितने वेतन तथा भत्ते आदि दिये जा रहे हैं ?

वैदेशिककार्य-उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ख) २६६,०३० पौण्ड, २ शिलिंग, ३ पेंस जिसमें भत्तों की रकम ६०५ पौण्ड, २ शिलिंग, ७ पेंस भी सम्मिलित है ।

कपड़ा

११३९. श्री **इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९३९, १९४२, १९४५, १९४८, १९५१ और १९५४ में पृथक् पृथक् सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी; और

(ख) यदि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ११]**

नलीदार लोह की चादरें

११४०. श्री **इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में देश में उत्पादित नलीदार लोहे की चादरों का परिमाण क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को आवंटित अभ्यंश कितना था ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) क्रमशः ९१,३३४,८४,४६० और १०७,७९८ टन ।

(ख) इस्पात का आवंटन वर्गवार नहीं किया जाता है, इसलिये नलीदार लोहे की चादरों के आवंटन के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

कुटीर उद्योग

११४१. श्री **एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानीपत तथा श्रीनगर में स्थित कुटीर उद्योगों को फ़ौजी कम्बल बनाने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या यह कम्बल नर्धारित विशिष्टता स्तर के थे;

(ग) यदि हां, तो सरकारी प्रयोग के लिये खरीदे गये कम्बलों का मूल्य ;

(घ) क्या किसी अन्य कुटीर उद्योग को क़िस्म में सुधार करने और नियमित तथा शीघ्र संभरण करने की व्यवस्था करने के लिये इसी प्रकार कोई सहायता दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५४–५५ में इन एककों को कम्बलों के लिये जो ग्रॉर्डर दिये गये थे उन में मिल में बनाये गये कम्बलों की तुलना में नीचे दिखाई गई सीमा तक मूल्य अधिमान दिया गया था :—

पानीपत	११.३ प्रतिशत
श्रीनगर	४ प्रतिशत

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) १९५४–५५ में पानीपत तथा श्रीनगर में स्थित कुटीर उद्योगों से ख़रीदे गये कम्बलों का मूल्य इस प्रकार था :—

पानीपत	३,५३,५२० रुपये
श्रीनगर	३,०८,७५० रुपये

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) कम्बलों के सम्बन्ध में, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योगों को ।

कुटीर उद्योग

११४२. **श्री एच० जी० वैष्णव :**
श्री जनार्दन रेड्डी :
श्री एन० बी० चौधरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य को इन कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कोई विशेष अनुदान दिये गये थे :—

(१) पैठन का ज़रतारी उद्योग,

(२) औरंगाबाद का हिमरू मशरू कपड़ा,

(३) बीदरी मीनाकारी उद्योग;

(४) निर्मल उद्योग ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक के लिये दी गई धन राशि ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १२**]

बाईसिकिल के पुर्ज

११४३. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योग प्रणाली के आधार पर बाईसिकिलों के विभिन्न भागों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). देश में बाईसिकिल के पुर्ज़े कुटीर उद्योग आधार पर नहीं बनाये जा रहे हैं अपितु छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के एककों द्वारा बनाये जा रहे हैं । सरकार ने बाईसिकिल के पुर्ज़ों के कोटे पैमाने के एककों द्वारा उत्पादित किये जाने को प्रोत्साहन देने के लिये कई कार्यवाहियां की हैं । उन में से अधिक महत्वपूर्ण यह हैं :—

(१) लुधियाना में एक परिरूपण तथा परीक्षण केन्द्र की स्थापना;

(२) विशेषज्ञ प्रविधिक परामर्श और क़िस्म प्रमाणपत्र योजना का लागू किया जाना;

(३) छोटे पमाने के एककों के लिये पुर्ज़े जोड़ कर पूरी बाईसिकिलें बनाने के लिये अभ्यंश का सुरक्षण;

(४) कच्चे माल इत्यादि के आयात तथा वित्त के सम्बन्ध में सहायता।

प्रव्रजन

११४४. **श्री जे० आर० मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) ३१ जुलाई, १९५५ तक कितने हिन्दू प्रव्रजक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये;

(ख) भारत से पूर्वी पाकिस्तान गये कितने मुसलमान प्रव्रजक उक्त कालावधि में भारत वापस लौटे;

(ग) उन मुसलमानों, पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले मुसलमान प्रव्रजकों सहित, की संख्या क्या है जो उक्त कालावधि में भारत से पूर्वी पाकिस्तान गये;

(घ) पश्चिमी पाकिस्तान के सम्बन्ध में उक्त आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) इस प्रव्रजन के परिणामस्वरूप दोनों जगहों की जनसंख्याओं में कुल कितना फ़र्क पड़ा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ). भारत तथा पाकिस्तान के बीच प्रव्रजकों के आवागमन सम्बन्धी आंकड़े १५ अक्तूबर, १९५२, जब कि पारपत्र तथा दृष्टांक प्रणाली चालू की गई थी, से ही नियमित रूप से रखे जा रहे हैं। इससे पहले की कालावधि के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी है, परन्तु यह सम्पूर्ण या ठीक नहीं है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। जिसमें, भारत सरकार को उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १३]**

प्रकाशनों का पुनः मुद्रण

११४५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग (पब्लिकेशन्स डिवीज़न) ऐसे प्रकाशनों को पुनः मुद्रित करने के लिये कार्यवाही कर रहा है जो अब स्टाक में नहीं रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जिन प्रकाशनों की मांग होने की सम्भावना है उनको यथाशक्य शीघ्र पुनः मुद्रित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

कागज का कारखाना

११४६. **श्री रणदमन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विन्ध्य प्रदेश के सहडोल ज़िले के उमरिया नामक स्थान में कागज़ का कारखाना खोलने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये सरकार कितनी राशि देगी;

(ग) इस कारखाने का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा वह कब से कार्य करने लगेगा; और

(घ) इस कारखाने से प्रति वर्ष अनुमानतः कितने मूल्य का कागज़ तैयार होने की आशा है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क), (ग) और (घ). जी, हां। यह योजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) सरकार (केन्द्रीय अथवा राज्य) द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार नहीं है।

विदेशी प्रैस

११४७. **श्री एस० एन दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में भारत सरकार के हैड-क्वार्टरों में विदेशी प्रैसों के कितने अधिकृत प्रतिनिधि (विभिन्न विदेशों के अलग-अलग) थे; और

(ख) उसी कालावधि में विदेशी प्रैस के प्रतिनिधि और संवाददाता के रूप में कितने भारतीय काम कर रहे थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ३१ मार्च, १९५५ को भारत सरकार के मुख्य कार्यालयों (हैड क्वार्टर्स) में विदेशी अख़बारों और सम्वाद समितियों के ६१ प्रमाणित सम्वाददाता थे। इनका विवरण निम्नलिखित है :—

यूनाइटेड किंगडम . .	१५
यू० एस० ए० .	१३
यू० के० और य० एस० ए० .	३
पाकिस्तान . .	२
पाकिस्तान और हौंगकौंग .	१
यूगोस्लाविया . .	१
फ्रान्स . . .	३
रशा . . .	४
चाइना . . .	२
जापान . . .	७
जर्मनी . . .	३
जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड .	१
स्विट्ज़रलैंड . .	१
साउथ अफ्रीका . .	१
ईस्ट अफ्री . .	१
नार्वे और फिनलैंड . .	१
कनाडा और स्विट्ज़रलैंड .	१
सीलोन . . .	१
जोड़ .	६१

(ख) इन में से २१ भारतीय थे जो विदेशी अख़बारों और सम्वाद समितियों के प्रतिनिधि या सम्वाददाता की हैसियत से काम कर रहे थे।

राजनैतिक शरण

११४८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में अब तक, प्रत्येक वर्ष, कितने व्यक्तियों ने भारत में राजनैतिक शरण मांगी;

(ख) कितने व्यक्तियों को भारत में राजनैतिक शरण दी गई; और

(ग) कितने व्यक्तियों की प्रार्थनाएं अस्वीकृत की गईं और उसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क)

१९५३ . .	किसी से नहीं।
१९५४	एक ने।
१९५५	चार ने।

१९५५ में जिन व्यक्तियों को शरण दी गई उन में से तीन यूरोपीय पुर्तगाली सैनिक हैं जो गोआ से भारतीय राज्य-क्षेत्र में आ गये हैं। इनके अलावा इनमें से एक सैनिक की पत्नि को भी शरण दी गई।

(ख) ४ व्यक्तियों को।

(ग) १ व्यक्ति की जांच करने पर यह पता चला कि शरण की प्रार्थना राजनैतिक कारणों पर आधारित नहीं थी।

गुड़

११४९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे गुड़ उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जहां

बिजली उपलब्ध है, गुड़ के उत्पादन में बिजली का उपयोग करने के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है और किन-किन स्थानों में कार्यान्वित की गई है; और

(ग) बिजली की सहायता से उत्पन्न गुड़ की प्रति मन अनुमानित लागत क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) गुड़ के उत्पादन में केवल गन्ना पेरने के लिये ही बिजली का प्रयोग किया जा सकता है । किसी विशेष स्थान में, गन्ने की किस्म और कीमत, मजदूरी की दर और बिजली के दाम पर ही गुड़ बनाने की लागत निर्भर करेगी ।

शीरे का निर्यात

११५०. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ८ सितम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जुलाई, १९५५ के अंत तक कुल कितने शीरे का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : लगभग ३,००० टन ।

पटसन की कीमत

११५१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू मौसम से पटसन खरीदने के लिये और पटसन-उत्पादकों को निश्चित न्यूनतम कीमत देने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यरूप में कब परिणत किया जायेगा ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

चम्बल परियोजना

११५२. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में चम्बल जल-विद्युत परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ख) इस परियोजना से कब तक बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस परियोजना की प्राथमिक अवस्था (फर्स्ट स्टज), जिस में गांधी सागर बांध से जल विद्युत उत्पादन भी सम्मिलित है सन् १९५९–६० तक पूर्ण होने की आशा है ।

(ख) सन् १९५९–६० में ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड

११५३. **श्री कामत :** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राक्कलन समिति के १३वें प्रतिवेदन के पृष्ठ २५ पर उल्लिखित इस टिप्पणी पर गया है कि "मामले के ब्यौरे (ठेकेदारों का चुनाव तथा गवर्नमेंट हाउसिंग फैक्टरी पर हुई हानि की जिम्मेदारी) पर एक टैक्निकल कमेटी द्वारा विचार किया गया है";

(ख) यदि हां, तो टैक्निकल कमेटी की उपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन उपत्तियों तथा सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या टैक्निकल कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह : (क) से (घ). प्राक्कलन समिति ने अपने १३वें प्रतिवेदन के पैरा ८२ में गवर्नमेंट हाउसिंग फैक्टरी के सम्बन्ध में जो टिप्पणी की है उसे मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है । मैं माननीय सदस्य के प्रश्न की रोशनी में सारी स्थिति की जांच करूंगा ।

विज्ञापन

११५४. डा० सत्यवादी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी समाचारपत्रों को १९५४–५५ में सरकारी विज्ञापन दिये गये हैं; और

(ख) उन्हें कितनी धनराशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ५३ विदेशी समाचारपत्रों पत्रिकाओं सहित, यात्रा तथा व्यापार प्रकाशनों को पर्यटकों को आकर्षित करने तथा ७ समाचारपत्रों को विदेशों में हथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से विज्ञापन दिये गये ।

(ख) ९९,५०० रुपये ।

विज्ञापन

११५५. डा० सत्यवादी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी भाषाओं के उन साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाओं (भाषावार) की संख्या कितनी है जिन्हें १९५४–५५ में सरकारी विज्ञापन दिये गये थे; और

(ख) प्रत्येक समाचारपत्र और पत्रिका को उन विज्ञापनों के प्रकाशित करने के लिये कितनी राशि दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इसका एक विवरण सभा-पलट पर रखा जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) ठीक-ठीक आंकड़े बताना सम्भव नहीं होगा ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के मकान

११५५. श्री राम दास : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें (१) १५१ रुपये से २५० रुपये प्रतिमास तक और (२) २५१ रुपये से ५०० रुपये प्रतिमास तक वेतन मिलता है और जो १९४४ से काम कर रहे हैं परन्तु जिन्हें अभी तक दिल्ली और नई दिल्ली में रहने के लिये सरकारी मकान नहीं दिये गये;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के कितने क्वार्टर आजकल बनाये जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे कितने क्वार्टर ३१ मार्च १९५५ तक बन कर कर्मचारियों को दिये जाने के लिये तैयार हो जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जिन सरकारी कर्मचारियों (श्रेणी ४ के कर्मचारियों को छोड़ कर) को (१) २५० रुपये से कम परन्तु १५० रुपये से अन्यून और (२) ५०० रुपये से कम परन्तु २५० रुपये से अन्यून मासिक वेतन मिलता है उनके बारे में जानकरी तत्काल मिल सकती है । एक विवरणा, जिस में

यह जानकारी दी गयी है, सभा-पलट पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित तिथि को ३१ मार्च, १९५६ मानते हुए अपेक्षित जानकारी भी प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उक्त विवरण में दे दी गयी है । **[देखिय परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १५]**

नेकोवाल सीमा दुर्घटना

११५७. **श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने प्रतिकर देना मान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितना ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) ७ मई, १९५५ को नेकोवाल के पास जो दुर्घटना हुई थी, पाकिस्तान सरकार ने उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रतिकर देना स्वीकार नहीं किया है ।

1st

लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
२६ सितम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दशम सत्र, १९५५

Preservation Unit
1/11/83
Fumigated
On 18/1/80
Parliament Library

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये**—भाग १)

१२-०१ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्र से वित्त पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं में ३१ अगस्त, १९५५ तक हुई प्रगति के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एस०-३४२/५५]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या ८ (२०)-सी टी (ए)।५५, दिनांक १ जुलाई, १९५५ [पुस्तकालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एस०-३४१/५५]

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या २४ (२२)-सी टी (ए) ५५-१, दिनांक १३ जुलाई, १९५५ [पुस्तकालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एस०-३४३/५५]

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या ५।१४। ५४—एफ० सी०। सी० सी० आर० ए-एम १५, दिनांक १० सितम्बर, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या ३३८/५५]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को सूचित करना है कि इन विधेयकों पर, जिन्हें संसद् के दोनों सदनों ने चालू सत्र में पारित कर दिया था, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है।

१. अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक, १९५५,

२. भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक, १९५५,

३. बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक, १९५३,

४. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५५।

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : वैदेशिक कार्य उपमंत्री की ओर से मैं निम्न वक्तव्य देता हूं :

सरदार इकबाल सिंह के १३ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया था कि केनिया में माऊ माऊ आतंकवादियों द्वारा अब तक मारे गये भारतीयों की संख्या ६ थी। ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका स्थित भारत सरकार के आयुक्त द्वारा इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि अक्टूबर, १९५२ में आपति प्रारम्भ होने के बाद अब तक माऊ माऊ, आतंकवादियों द्वारा मारे गये भारतीयों की संख्या ३३ है।

समितियों के लिय निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : शिक्षा मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य ऐसी रीति से चुनें जिसे अध्यक्ष निर्धारित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य ऐसी रीति से चुने जिसे अध्यक्षा निर्धारित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि गत्रेषणा परिषद् के नियम २ (६) और नियम ६ (६) के अनुसार इस सभा के सदस्य स्वर्गीय श्री हीरा सिंह चिनारिया के स्थान पर भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का सदस्य बनाने के लिये अपने में से एक सदस्य ऐसी रीति से चुनें जिसे अध्यक्ष निर्धारित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के नियम २ (६) और नियम ६(६) के अनुसार इस सभा के सदस्य स्वर्गीय श्री हीरा सिंह चिनारिया के स्थान पर भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का सदस्य बनाने के लिये अपने में से एक सदस्य ऐसी रीति से चुनें जिसे अध्यक्ष निर्धारित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विद्युत संभरण (संशोधधन) विधेयक

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (संभरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत (संभरण) अधिनियम, १९४८ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५ को लेगी। इस विधेयक के लिये तीन घंटे आवण्टित किये गये हैं जिसका मतलब यह ह कि यह विधेयक ३ बज समाप्त हो जायेगा। उसके

बाद अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगें ली जायेंगी। सभा ६ बजे तक बैठेगी।

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषित कर चुका कि अब सभा पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक को लेगी।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि पुरस्कार प्रतियोगिताओं के विनियमन और नियंत्रण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह विधेयक छोटा-सा और साधारण-सा है। इसके लिये कोई विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह विधेयक पुरस्कार प्रतियोगिता के नियमन और नियंत्रण का उपबन्ध करता है। यह उत्पात बहुत बढ़ गया है और इससे बहुत भय बढ़ गया है। पुरस्कार प्रतियोगिता के नियमन और नियंत्रण का प्रश्न सरकार के सामने काफी समय से है। इस बीच में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था और सभी राज्य इस प्रकार के एक विधान के पक्ष में थे। उसी आधार पर यह विधेयक बनाया गया और इस सभा में पेश किया गया है।

यह वर्ग पहली प्रतियोगिता प्रणाली एक संगठित जालसाजी के रूप में हो गयी है। इसके चलाने वाले सीधी साधी जनता को आकर्षित करके बहुत धन कमाते हैं। मानव समाज में ही आसानी से और जल्दी से धनी बन जाने की कमजोरी है। यह प्रतियोगितायें इसी प्रकार का लालच लोगों को देती हैं। जो आदमी जितना ही ग़रीब होता है वह उतना ही थोड़े समय में बहुत अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। अतः इसके शिकार अधिकतर ग़रीब लोग होते हैं, न कि अमीर। इस प्रणाली से मध्यम वर्ग और भी ग़रीब हो जायेगा और कभी कभी विद्यार्थी भी इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। अनपढ़ और निरक्षा लोग इसमें कम दिलचस्पी लेत हैं क्योंकि वह इन पहेलियों को हल नहीं कर सकते। अतः पढ़े-लिखे लोग ही, जिनका भाग्य बहुत अच्छा नहीं होता इस चक्कर में फंसते हैं।

यह प्रतियोगितायें बिल्कुल लाटरी की भांति होती हैं। एक साधारण पहेली प्रकाशित की जाती है। उसका प्रचार किया जाता है और उसके हल मांगे जाते हैं। उस पहेली के कई हल होते हैं और उसके संगठन कर्त्ता मनमाने तौर पर एक ही हल को ठीक मानते हैं और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कितने भी हल भेज सकता है। इस आशा से कि कोई न कोई हल ठीक ही निकलेगा। कई व्यक्ति आठ-आठ या दस-दस हल भेजते हैं। उनमें से एक को छांट लिया जाता है और अधिकांश लोगों का वह हल नहीं निकलता। अतः, वही व्यक्ति पुरस्कार पाता है जिसका हल सही निकलता है। यह बात ऐसी है जैसे ६, ७ या १० टिकटों को एक थैले में रखकर एक व्यक्ति से एक टिकट निकालने को कहना। अतः वर्ग पहेली प्रतियोगिता और लाटरी में कोई अधिक अन्तर नहीं है। अतः सीधे-साधे आदमियों को इससे बचाने के लिये कुछ उपाय करना आवश्यक है।

यह व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया है। मेरे पास देश के एक महत्वपूर्ण नेता का एक पत्र है जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्ग प्रतियोगिता का उत्पात बहुत भयानक है। उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ लोग तो इसमें पागल से हैं इससे वह निर्धन ही नहीं होते बल्कि इससे सारे समाज को बहुत खतरा हो जाता है। हर हालत में इससे नैतिक पतन

[पंडित जी० बी० पंत]

होता है और चूंकि इससे देश के नवयुवकों पर उलटा प्रभाव पड़ता है अतः यह बात और भी बुरी है।

इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि कोई भी वर्ग पहेली जो एक महीने में १,००० रुपये से अधिक पुरस्कार देती है उसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। १,००० रुपये से अधिक की वर्ग पहेली पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा और इससे कम वाली वर्ग पहेलियों के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा और उनकी प्रक्रियाओं का भी नियमन किया जायेगा। इससे उचित प्रकार की प्रतियोगिताओं की, जिनमें थोड़ा पुरस्कार होगा और अधिक लोग आकर्षित नहीं होंगे, आवश्यकता पूरी हो जायेगी। अतः यह उपबन्ध किया गया है कि १,००० तक की पुरस्कार प्रतियोगिता की अनुमति दी जायेगी पर उसके लिये भी अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना आवश्यक होगा और उस पर भी ऐसी शर्तें लगायी जायेंगी जिससे कोई गन्दी बातें न फैलने पावें जैसा कि अब तक होता रहा है।

हमारे पास आंकड़े हैं जिनमें बताया गया है कि कुछ लोगों ने साझेदारी या सहयोग से एक वर्ष में ४० लाख रुपये तक कमाये हैं। कुछ राज्यों में वर्ग पहेली प्रतियोगिताओं के संगठन-कर्त्ताओं से उनकी आय पर काफी कर लिया जाता है। अतः इन प्रतियोगिताओं का नियमन करना बहुत आवश्यक है।

स्पष्ट है कि इन पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। ऐसी अवस्था में भी यह सम्भव है कि वर्ग पहेली प्रतियोगिता का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाये कि उसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े और जो लोग इसके हलों में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिये भी रास्ता खुला रहे। अब केवल ऐसी पहेलियों को ही निकालने दिया जायेगा जिनका हल निकालने के लिये बुद्धि की आवश्यकता हो और इसमें अभी तक जो बुराइयां पैदा होती जा रही हैं उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा और आगे उन्हें पैदा नहीं होने दिया जायेगा।

साधारणतया जनता ने इस विधेयक के उपबन्धों का स्वागत किया है। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें सीधे-साधे लोगों को लूटने वाला कहा जाता है, किसी ने भी इस विधेयक के उपबन्धों का विरोध नहीं किया है। अतः उन लोगों के अलावा जो नासमझ लोगों, विद्यार्थियों, नवयुवकों तथा मध्यम वर्ग के अन्य व्यक्तियों से धन कमाते हैं, अन्य कोई भी इस व्यापार के करने वालों से कोई सहानुभूति नहीं रखता।

अतः मैं आशा करता हूं कि यह सभा इस विधेयक को सर्व-सम्मति से स्वीकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का एक संशोधन है। वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं साथ ही मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपना स्थान न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से उनके अनुपस्थित होने का भ्रम हो जाता है इस विधेयक के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने तीन घंटे निश्चित किये हैं। मेरे विचार से २ घंटे विचार करने के लिये तथा एक घटा अन्य स्थितियों के लिये पर्याप्त होगा। जो सदस्य अपना औचित्य प्रश्न रखना चाहें वे उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। किन्तु उन्हें बहुत विस्तृत रूप से भाषण नहीं देना चाहियें। डा० कृष्णास्वामी अपना औचित्य प्रश्न रख सकते हैं।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : मैं औचित्य प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि अधिकांश सदस्य पुरस्कार प्रतियोगिताओं पर नियंत्रण के पक्ष में है,

तथापि प्रश्न इतना ही नहीं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि यह विधान, संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन राज्यों द्वारा दिये गये अधिकारों के आधार पर निर्मित हो रहा है। तथापि स्थिति यह है कि राज्यों के इस विधान निर्मित करने के अधिकार को बम्बई के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। उच्च न्यायालय ने अधिक दाताओं की बात मान ली है। इस पर बम्बई सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है और अभी यह विषय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। यदि बम्बई सरकार ने उच्चतम न्यायायल में अपील न की होती और केवल संसद् को अधिकार प्रदत्त कर दिया होता तो बात कुछ और थी। यदि उच्चतम न्यायालय ने इस विषय को राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया तो यह सारी बात ही निराधार और निरर्थक हो जायेगी।

यदि संसद् विचाराधीन विषय पर कानून बनाती है तो वह न्यायपालिका के अधिकार में हस्तक्षेप करती है। इस से सर्व साधारण की दृष्टि में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा घटती है। यह वास्तव में बुरी बात है।

इसी पहलू पर विचार कर आप के पूर्वाधिकारी श्री पटेल ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर चर्चा नहीं की थी। नियम ३३२ में भी उल्लिखित है कि कोई सदस्य न्यायालय में विचाराधीन विषय का जिक्र नहीं करेगा। क्या हम इस विधेयक पर बिना विचाराधीन बातों का जिक्र किये ही चर्चा कर सकते हैं। इस पर यह कहा जा सकता है कि यह नियम केवल प्रस्तावों पर लागू हो सकता है, विधेयक पर नहीं, किन्तु मे के 'पार्लियामेंटरी प्रोसीजर' में स्पष्ट लिखा हुआ है "कि न्यायालय के द्वारा विचाराधीन विषय को सभा में चर्चा के लिये प्रस्ताव अथवा किसी अन्य रूप में न लाया जाये" यह हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष का आदेश है। आयकर अधिनियम का संशोधन करते समय भी इसी बात को आधार माना गया था।

सर्वोत्तम तो यह होता कि बम्बई सरकार इस मामले को उच्चतम न्यायालय से वापस ले लेती और यदि सरकार अब भी इसे वहां वापस ले तो ठीक रहेगा। इस बात के कई महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। अतः यदि आप इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आदेश दें तो अच्छा रहेगा जिस से कि विधान-सभाओं तथा न्यायपालिका दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं ने श्री कृष्णास्वामी के तर्कों को ध्यान से सुना है। उन्हों ने कहा है कि यह विषय सूची २ की प्रविष्टि २४ के अन्तर्गत आ जाता है। प्रविष्टि संख्या ३४ बाजी लगाने व जुए से सम्बन्ध रखती है। तथा मेरे विचार से यह विधेय बाजी लगाने तथा जुए के अन्तर्गत नहीं आता है। क्योंकि यदि किसी खेल में बुद्धि का थोड़ा-सा भी अंश प्रयुक्त किया जाता है, तो वह जुआ नहीं रहता है। मेरे विचार से यह पहिली सूची में भी नहीं आता। तो हम केवल अनुच्छेद २४८ के द्वारा ही जिस के अन्तर्गत संसद् को अवशेष सभी विषयों पर विधान बनाने की शक्तियां हैं, इस पर विधान बना सकते हैं। श्री पटेल ने जो आदेश दिया था वह व्यापक अर्थों में भी इस मामले पर लागू नहीं होता। निःसन्देह नियम ३३२ के अनुसार हम उस बात का जिक्र नहीं कर सकते जो कि किसी न्यायालय में विलम्बित हो, किन्तु यहां हम किसी विशेष मामले को नहीं ले रहे हैं। प्रस्तुत एक सामान्य बुराई को ले रहे हैं जिस के सम्बन्ध में राज्यों ने जनहित को देखते हुए नियंत्रण की शक्तियां ले ली हैं। निःसन्देह हम उस मामले के तथ्यों का जिक्र नहीं करेंगे जो

[श्री एस० एस० मोरे]

कि इस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है; किन्तु जहां तक इस विषय की बुराई तथा हानिकारक पहलू का सम्बन्ध है, मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इसे दूर करने में अपने दायित्व का पूर्ण रूपेण पालन करें।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : सभा के सभी सदस्यों को आज प्रातः एक याचिका प्राप्त हुई होगी जिस में वे सभी बातें थीं जो मैं कहना चाहता हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं डा० कृष्णास्वामी से सहमत नहीं हूं। यह अखिल भातीय विधेयक है। बम्बई अधिनियम का सम्बन्ध कुछ प्रदेशीय बातों से था, जिस में कुछ वैध जटिलतायें पैदा हो गई और परिणाम यह हुआ कि वह अब भी उच्चतम न्यायालय में है। इसलिये मेरे विचार से इस विधेयक की चर्चा में कोई औचित्य नहीं है। यदि उन बातों पर, जो कि उच्चतम न्यायालय में विलम्बित हैं; जिक्र किया भी जायेगा तो वह इस ढ़ंग से किया जायेगा कि उन की प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं लगेगा। जैसा कि श्री मोरे ने भी कहा है, यह विधेयक हर प्रकार से बम्बई अधिनियम से भिन्न प्रकार का है। अतः हम इस पर विधान बना सकते हैं। इसीलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इसे स्वीकृत करने का आदेश दें।

श्री कामत (होशंगाबाद) : हम में से अधिकांश इस बात पर सहमत हैं कि पुरस्कार प्रतियोगिता पहेलियां अच्छी नहीं हैं। केवलमात्र कठिनाई यह है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़ा हुआ है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण की कंडिका १ में यह लिखा हुआ है कि यद्यपि इन खेलों को बुद्धि का खेल कहा जाता है। फिर भी यह एक प्रकार का जुआ है। लेकिन चूंकि बम्बई के उच्चतम न्यायलाय में एक न्यायाधीश ने इस के विरुद्ध निर्णय दिया था तथा अपील न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर व्यापार पर लिया जाने वाला कर है, इसलिये इसे उच्चतम न्यायालय में भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि यदि उच्चतम न्यायालय इसे जुआ करार देता है तो इस पर हमारा विधान बनाना ठीक है अन्यथा जब यह जुआ करार ही नहीं दिया जाता तब इस पर विधान बनाने की क्या आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आदेश के द्वारा इस सम्बंध में हमारा पथप्रदर्शन करेंगे।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मुझे इस विषय में कोई सन्देह नहीं कि संसद् इस सम्बन्ध में विधि निर्मित कर सकती है। जब विधि को परिवर्तित करने का हमें अधिकार है तो यह अधिकार स्वतः ही उस के अन्तर्गत आ जाता है। इस बात का भी कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह राज्यों की सूची में है अथवा केन्द्र की क्योंकि हमें राज्यों की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इस के अलावा इस विधि के पारित होने से उस व्यक्ति को भी, जिस की अपील उच्चतम न्यायालय में निलम्बत है, हानि होने की कोई आशा नहीं। इस बात से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी होने की भी कोई संभावना नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार करना उचित ही है।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम (गुण्टूर) : डा० कृष्णास्वामी ने मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने पर इस पर औचित्य प्रश्न उठाया है। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रतियोगिता जुआ है या नहीं। यदि उच्चतम न्यायालय यह निर्णय दे दे कि राज्यों को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है तो भी इस से संसद के अधिकार में कोई अन्तर न ही पड़ता, और वह मेरे विचार से इस सम्बन्ध में विधान निर्मित करने में समर्थ है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिंहा (हजारी बाग—पूर्व) : मेरे विचार से दो प्रश्न उठाये गये हैं। पहिला तो यह है कि मामला न्यायाधीन है और दूसरा यह कि राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या ३४ के अन्तर्गत आता है।

जहां तक मुझे ज्ञात है, इसी सभा में इस सम्बन्ध में एक पूर्ववादिता भी है। जब कि बिहार के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में अपील पड़ी हुई थी। इस समय यहां संविधान में एक संशोधन पारित कर उस को वैध बता दिया गया।

मैं आप के इस सम्बन्ध में इंग्लैंड के लार्ड चीफ जस्टिस का एक निर्णय बताता हूं। जो कि उन्हों ने १९३५ में वर्ग पहेली पर दिया था। उन्होंने कहा कि यह बुद्धि का खेल नहीं प्रत्युत अवसर (मौके) का खेल है।

अतः मेरे विचार से संसद् इस सम्बन्ध में विधान बनाने में पूर्ण समर्थ है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़): औचित्य के हेतु मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं। इस से पहला प्रश्न भी स्पष्ट हो जायेगा। कारण और उद्देश्य विवरण की कण्डिका २ से यह भ्रम हो जाता है कि संविधान की अनुसूची ७ की सूची २ क संख्या ३४ में वह उपबन्ध भी दिया गया है जिस का प्रस्तुत विधेयक में उल्लेख है जब कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वहां पर केवल शर्त लगाने और जुआ खेलने का ही जिक्र आया है। अतः मैं कण्डिका २ को हटा कर इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद २४६ के उपबन्धों को अन्तर्गत लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब किसी तर्क की जरूरत नहीं है। इस विषय पर मैं ४५ मिनट तक खूब सुन चुका हूं। माननीय मंत्री अपना उत्तर दे सकते हैं।

पंडित जी० बी० पन्त : आप ने मुझे डा० कृष्णास्वामी के तर्कों का उत्तर देने का अनुरोध किया है अतः मैं कुछ कहे देता हूं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं तो सही निर्णय चाहता हूं। डा० कृष्णास्वामी का भाषण मैं ने बड़े आनन्द और विस्मय के साथ सुना है। बस मुझे सिर्फ यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में जरा सी बात के लिये बड़े बड़े तर्क दिये गये हैं। श्री राघवाचारी ने ठीक ही कहा है कि इस का निर्णय अदालतें करेंगी कि पुरस्कार प्रतियोगिता को जुआ खेलना या शर्त लगाना कहा जाये या नहीं। प्रश्न तो यह है कि जब तक एक अपील का मामला अदालत में चल रहा है तो क्या इस समय इस विधेयक पर विचार करना उचित होगा। उस अपील का विषय यह है कि क्या बम्बई सरकार को इस प्रकार की प्रतियोगिताओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार है या नहीं? पहली अदालत ने यह फैसला दिया कि उसे अधिकार प्राप्त नहीं और दूसरे ने कहा कि उसे अधिकार प्राप्त है। यह विषय अब उच्चतम न्यायालय में भी पहुंच सकता है। चाहे बम्बई सरकार को इस बिषय में कोई अधिकार हो या न हो, जहां तक हमारे अधिकार का प्रश्न है, हमें पूर्णतया यह अधिकार प्राप्त है। डा० कृष्णास्वामी इस बात को बिलकुल भूल ही गये। इसी प्रकार हम उस विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसे उन्हों ने निर्णयाधीन बताया है। वह निर्णय एक विशेष घटना से सम्बन्धित है कि जब बम्बई सरकार ने पुरस्कार प्रतियोगिता चलाने के लिये किसी को अनुज्ञप्ति दी थी तो क्या वही सरकार उसे जुआ बता कर उस के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती थी या नहीं। अतः इस पर मुझे कोई विनिर्णय देने की जरूरत नहीं है। सभा में हम स्वतन्त्र रूप से पुरस्कार प्रतियोगिता के प्रश्न पर बहस कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि हमें अपनी चर्चा में उस विशेष मामले का उल्लेख करने

[अध्यक्ष महोदय]

की आवश्यकता नहीं है जो अभी निर्णयाधीन है ।

संसद् को यह अधिकार है कि वह लोक कल्याण के लिये विनियमन करे, चाहे अदालत में उस सम्बन्धित विषय की कोई अपील हो या न हो । श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा ने अभी यह बताया है कि जब संविधान का सभा में संशोधन किया जा रहा था तब बिहार उच्च-न्यायालय ने बिहार अधिनियम को शक्ति परस्तात् सिद्ध किया था ।

पुरस्कार प्रतियोगिता की अपील जब बम्बई में चल रही थी, उस समय इसी सभा में एक सदस्य ने इस विषय में एक विधेयक प्रस्तुत किया था । सरकार ने उस पर इस लिये ध्यान नहीं दिया था कि सरकार स्वयं यह विधेयक लाना चाहती थी । अतः संसद् को बहस करने का अधिकार है ।

अब मैं कारण और उद्देश्य विवरण सम्बन्धी तर्कों को लेता हूं । प्रथम तो वह एक गौण विषय है क्योंकि अदालत में मूल अधिनियम की भाषा ही विचाराधीन होती है । कारण और उद्देश्य को कोई नहीं देखता । यह ठीक है कि कारण और उद्देश्य भी स्वस्थ भाषा में लिखे जाने चाहियें । यहां पर मूल विधेयक के किसी उपबन्ध पर कारण और उद्देश्य की भाषा का आधिपत्य नहीं है और मैं उस भाषा में कोई त्रुटि भी नहीं समझता । अतः ये सब तर्क निराधार हैं । मैं ने संक्षेप में सभी बातें बता दी हैं अतः अब हम अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं ने १४ अगस्त, १९५३ को सभा में इसी विषय में एक विधेयक पुरःस्थापित किया था जिस पर २४ दिसम्बर, १९५४ को विचार किया गया था । जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तब डा० काटजू ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस विषय पर एक सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । तदानुसार मैं ने अपना विधेयक वापस ले लिया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे इस बात का हर्ष हुआ है कि सरकार ने अपना विधेयक प्रस्तुत कर दिया है । मैं तो चाहता था कि पुरस्कार प्रतियोगिता को देश में से सर्वथा हटा दिया जाय, किन्तु सरकार ने अभी इतना ठोस कदम नहीं उठाया है।

मैं पहेली प्रतियोगिताओं का विस्तृत इतिहास नहीं बताना चाहता । केवल इतना अवश्य बता दूं कि ब्रिटेन में पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में हेम्सवर्थ नामक एक पत्रकार ने अपने पत्र के अधिक प्रचार के लिये अनेक प्रश्नों के अनेक प्रकार के पुरस्कार घोषित करना प्रारम्भ किया था । उस पत्र के पाठकों को सिग्रेट, चाकलेट, कैमरे आदि दिये जाने लगे । धीरे धीरे वर्ग पहेलियों का भी जन्म हुआ और ये पहेलियां अब तो सारे विश्व में छाई हुई हैं ।

सन १९३५ में कोल्स बनाम ओड्हेम्स प्रेस लिमिटेड के मामले में इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया वह प्रशंसनीय है । उस के बाद ब्रिटेन ने यह महसूस किया कि ऐसी प्रतियोगिताओं को जड़ से उखाड़ देना चाहिये । इस निर्णय को इतने वर्ष हो गये किन्तु हम ने अभी तक उस से कोई लाभ नहीं उठाया है । हमें चाहिये कि हम भी अपने देश में इस बुराई को सर्वथा दूर कर दें ।

मुझे याद है कि दिल्ली से 'अमर ज्योति' नामक पत्र ने एक पहेली पर ६०,००० रुपये का पुरस्कार घोषित किया था और पटना से एक व्यक्ति ने उसे सही रूप में हल कर के भेजा था किन्तु उसे साठ हजार तो क्या

साठ रुपये भी प्राप्त नहीं हुए। उसने बहुत से तार दिये और बहुत सी चिट्ठियां लिखीं किन्तु कुछ नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता को धोखा दिया जा रहा है। कहते हैं कि ये पहेली वाले प्रतिवर्ष ८ करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में वितरित करते हैं। इसका अर्थ तो यह है कि वे प्रति वर्ष इससे तिगुनी चौगुनी रकम कमा लेता है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आज के युग में इतनी रकम को इस प्रकार नष्ट होने से बचाया जाना चाहिये और इस विकास और निर्माण के काम में लगाया जाना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २ (घ) में पुरस्कार प्रतियोगिता की जो परिभाषा दी गई है, क्या उसमें चित्र प्रतियोगिता भी सम्मिलित है।

पंडित जी० बी० पन्त : जी. हां। वह भी इस उपखण्ड के अन्तर्गत आ जाती है।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी पश्चिम) : इस में कोई सन्देह नहीं है कि यह बहुत छोटा सा बिल है और सिम्पिल भी है। लेकिन जिस वक्त यह बिल यहां पर शुरू हुआ, उस वक्त यह तय करने में ४५ मिनट लग गये कि यह बिल सही है या गलत, इस को पास होना चाहिये या न होना चाहिय। लिहाजा मालूम तो ऐसा होता है कि यह बहुत छोटा सा बिल है लेकिन इस बिल के अन्दर बहुत ऐसी बातें हैं जो कि जरा सोचने वाली हैं।

इस बिल को देख कर हमें यह मालूम होता है कि असल में साप्ताहिक अखबारों में जो प्राईज कम्पीटीशन बढ़ रहा है उसको सरकार कम करने चली है। लेकिन सवाल हमारे सामने यह आता है कि यह जो प्राईज कम्पीटीशंज हैं चाहे यह हजार रुपये के हों और चाहे पांच हजार रुपये के हों और चाह पचास हजार के हों यह ठीक नहीं है, क्योंकि, कितना ही आप कहें कि इस में स्किल है इंटैलिजेंस है, लेकिन इसके अन्दर एक गैम्बलिंग की स्पिरिट जरूर है और वह स्पिरिट है एक दूसरे रूप में, एक सूक्षम रुप में। मैं समझती हूं कि अच्छा होगा अगर हम उस प्राईज कम्पीटीशन बिल के जरिये से इस जुए को हम बिल्कुल बन्द कर दें क्योंकि हम ये देखते हैं कि यह बिल जो है यह इस वास्ते है कि हमारे जो विभिन्न प्रान्त हैं, जो अलग अलग स्टेटस् हैं वहां यह जल्दी से जल्दी लागू हों और इस तरह हम उन की मदद करें। अगर हम को इस बिल को रेगुलेट करना है या बन्द करना है तो हम को सारे भारत में इसको लागू करना चाहिये न केवल कुछ शहर में या प्रान्तों में।

इस के बाद मुझे यह कहना है कि जो १,००० की लिमिट रखी गई है इस से भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं समझती हूं कि जो रयीस आदमी हैं वह केवल पांच पर सेंट हैं और वे इस की परवा नहीं करेंगे मगर जो बाकी के ९५ फीसदी लोग हैं वह गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और वह जरूर कोशिश करेंगे कि हम को एक हजार रुपया जो इनाम का रखा गया है मिल जावे। तो वह जो ईविल है इससे हमें निजात नहीं मिलती है।

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं ने देखा है कि बम्बई में हम ने जो प्राहिबिशन लागू कर दी। लेकिन वहां पर जो कुछ हो रहा है वह आप सब को मालूम है। अगर आप गौर से देखें और घर घर जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर व इन स्मगल हो रही है। बम्बई में तो हमने प्रोहिबिशन लागू कर दी लेकिन चूंकि हमने इसे हैदराबाद में लागू नहीं किया और जो दूसरे उसके पास के इलाके हैं वहां पर लागू नहीं किया और इसका

[श्रीमती उमा नेहरु]

नतीजा यह हुआ है कि उन इलाकों से वाइन यहां पर स्मगल की जाती है। इसलिये मैं चाहती हूं कि अगर आप को कोई कानून बनाना है तो आप को सारे हिन्दुस्तान के लिये अगर आप बनायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और इस से लाभ भी होगा। अगर हम ने इस बिल को चन्द शहरों या चन्द जगहों पर ही लागू किया तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है।

इस बिल को देखने से मुझे पता चला है कि एक लाइसेंस ईशू किया जायेगा और जो आदमी लाइसेंस देगा उसी के सामने जो लोग जुर्म करेंगे उनको अपील भी करनी होगी और वही उनको सजा भी देगा। मैं समझती हूं कि यह ज्यादा अच्छा होता और यह ज्यादा मुनासिब बात होती अगर हम जिस तरह से कि मोटर लाइसेंस के बारे में होता है कि मोटर लाइसेंस एक देता है अगर कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट आफ ला में लोग जाते हैं और जो आफिसर लाइसेंस ईशू करता हूं उसी के सामने नहीं जाते है। मैं चाहती हूं कि इसी तरह से अगर कोई ज्यूडिशल इन्क्वारी हो तो ज्यादा मुनासिब होगा।

बात असल में यह है कि जितने भी यह खेल है, क्रासवर्ड पज्जल हैं, ब्रिजहै, पौकर है, या और ताश के खेल हैं यह बड़े इटलिजेंस के गेम्ज होते हैं लेकिन इनमें जुए बाजी का अंश जरूर पाया जाता है। मैंने अक्सर रेस्टोरा में भी देखा हे कि जो जैक पाट मशीन होती है वहां पर भी जुए का खेल होता है। इसलिये अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने अनेकों रूप आयेंगे जिन में कि जुआ खेला जाता है। हमें इन सब को बन्द कर देना है ताकि समाज उन्नति कर सके, तरक्की कर सके।

इस के साथ ही साथ मेरे सामने एक ईविल और भी है कि क्या यह घोड़ों की जो रेसिस है या यह जो घुड़दौड़ होती है क्या यह भी एक प्रकार का जुआ है या नहीं क्योंकि मैंने इन घुड़दौड़ों में घर तबाह होते देखे हैं। इस के साथ ही साथ मैंने तांगे वालों को देखा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत उन के पास होता है वह भी वे लोग इस में लगा देते हैं यह सब अगर बन्द कर दिये गये तो क्या जो डरबो के टिकिट यहां बिकते हैं या जो यह आइरिश स्वीप के टिकिट यहां बिकते हैं क्या यह भी बिकने बन्द हो जायेंगे या इन पर भी कोई रोक लगा दी जायेगी। यह रुपया बाहर से आता है। तो यह सब रूप हम इस ईविल के देखते हैं। मैं तो समझती हूं कि चाहे देखने में यह बिल एक छोटा सा है लेकिन मैं नहीं समझती कि यह एक सिम्पिल बिल है या नहीं क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूं लेकिन मैं यह ज्यादा मुनासिब समझती हूं अगर इस बिल को एक सिलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और वहां पर इन सब मामलों पर विचार किया जाये तो ज्यादा अच्छा है।

मेरी अपनी राय तो यह है कि चाहे इनाम १,००० रखा जाये या ५,००० रखा जाये या ५०,००० रखा जाये, यह एक ईविल है और ईविल ही रहता है। मैं समझती हूं, कि १,००० रखना भी उतना ही बड़ा ईविल है जितना बड़ा ईविल कि पचास हजार रुपये रखने का है। जैसे हम ने प्रोहिबिशन लागू कर दी है उस के बाद अगर हम यह कहें कि हम ने एक बोतल शराब की पीना बन्द किया है लेकिन जो छोटा पैग है इसका पीना हम ने बन्द नहीं किया है और उस को हम ठीक समझते हैं। जैसे यह बात ठीक नहीं है वैसे थोड़े इनाम का रखा जाना भी ठीक नहीं है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इस ईविल को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : यह जो प्राइज कम्पीटीशन्ज बिल आज सदन के सामने है इस का अभिप्राय है देश में जुआखोरी को बन्द करना। इस कारण मैं इस को बहुत उचित और समयानुकूल भी समझती हूँ। इस प्राइज कम्पीटीशंज के पर्दे में हमारे देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता है। जिस तरह से शराबखोरी को हम बुरा समझते हैं उस प्रकार जुआखोरी एक दुर्व्यसन और बुरी बात है। जिस से आज हमारे देश में सैंकड़ों घर बरबाद हो रहे हैं। समाज को इस दुर्व्यसन से बचाना और उस की आत्मा और उस के चरित्र को उस बुरी लत से छुड़ाना, ऊपर उठाना सरकार का कर्तव्य है। हमारे देश में आज कल जितने भी साप्ताहिक अखबार और मैगजीन हैं उन सभी में यह क्रासवर्ड पजल रहते हैं और मैं समझती हूँ कि अधिकतर लोग तो इन अखबारों को इसी वर्ग पहेली के कारण ही खरीदते हैं और इन्हीं को भर-भर कर भेजने में अपना सारा समय और धन नष्ट करते हैं : वे ऐसा इसलिये करते हैं इस आशा में कि कभी न कभी हम को सफलता अवश्य प्राप्त होगी और किसी न किसी दिन हम को यह प्राइज मिलकर ही रहेगा। अपना अनमोल जीवन और मेहनत की कमाई इस जुए में बरबाद करते हैं लेकिन सिवाय अफसोस के और कुछ भी उन के हाथ नहीं आता है क्योंकि यह प्राइज तो कभी किसी विरले मनुष्य को ही मिल पाते हैं। यह प्राइज कम्पीटीशन चलाने वाले कितना अधिक धन इकट्ठा करते हैं यह कोई नहीं जानता। जबकि बाज बाज समय तो एक लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया जाता है फिर यह भी निश्चित नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन प्रतियोगिताओं को ईमानदारी से चलाया जाता है या यह इनाम केवल अपने ही घेरे में लोगों में या अपने ही यार दोस्तों में बैठ कर बांट लिये जाते हैं। और इस प्रकार से जनता को बेवकूफ बना कर लूटा जाता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह जो कम्पीटीशज हैं यह गेम्ज आफ स्किल हैं और योग्यता बुद्धिमानी और विवेक के खेल हैं। और इन से हिन्दी व अँग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ता है मैं समझती हूँ यह बात बिल्कुल निस्सार व निर्मूल नहीं है इस में कुछ तथ्य अवश्य है : मैं यह भी मानती हूँ कि इन को बन्द कर देने से हमारे देश के अखबारों को भी बहुत हानि होगी। आजकल हमारे देश के जो अखबार हैं वह कोई बहुत प्राफिट पर नहीं चल रहे हैं। उन की अल्प आय इन को बन्द कर देने से और भी कम हो जायेगी : यह विधेयक जो कि हमारे सामने लाया गया है उस से सरकार ने केवल १,००० रुपये तक इनाम रखने की आज्ञा दी है। यह रकम इतनी थोड़ी है कि अधिक लोगों का तो इस से उत्साह ठंडा पड़ जायगा और फिर उन को क्रासवर्ड पजल साल्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं रह जायेगी। तो फिर ऐसी प्रतियोगिताओं के लिये जैसे अत्कुम कहानी लेख निबन्ध लिखना आदि के लिये जो कि योग्यता बढ़ाने वाली चीजें हैं यदि सरकार थोड़ी बहुत और रकम बढ़ा दे तो मैं समझती हूँ कि इस से न कोई हमारे समाज को नुकसान पहुँचेगा और न इस से देश को कोई धक्का पहुँचेगा : बल्कि इस से जो थोड़ी बहुत समस्यायें हैं उन का समाधान हो जायेगा :

दूसरी बात यह है कि मैं अपनी सरकार से यह चाहती हूँ कि क्रासवर्ड पजल बनाने वाली कम्पनियां पर यह कानून लागू किया जाय कि जब वे इनाम बांटे तो उस का रुपया किसी को नकद न दें बल्कि उस के नेशनल स्माल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद कर दें : फिर सरकार इस पर कुछ कम सूद भी कर सकती है, जैसे दो तीन रुपये का सूद। यह रुपया जो उन लोगों को मिलेगा वह उन का अपना लगाया रुपया नहीं है इस कारण

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

यदि इस पर उनको कुछ सूद कम भी मिल जायगा तो उस से उनको और लाभ ही होगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह चाहती हूं कि जो लोग क्रासवर्ड पजल साल्व करते हैं उन के लिये यह नियम बनाया जाये कि वे दो से ज्यादा एंट्रीज़ न दे सकें । आम तौर पर होता यह है कि एक एक आदमी पन्द्रह, पन्द्रह-बीस बीस, पच्चीस पच्चीस या तीस तीस एंट्रीज एक एक क्रासवर्ड पजल की बनाता है और उन में से कुछ को अपने नाम से, कुछ को अपनी बीवी के नाम से और कुछ को बच्चों के नाम से भेजता है। जितने भी उस पजल के हल हो सकते हैं उन सब के लिये इस प्रकार से एंट्रीज भेजी जाती हैं। इस में बहुत रुपया भी खर्च हो जाता है तो उन को उस की परवाह नहीं होती क्योंकि उन को इस बात का पूरा विश्वास रहता है कि जब हमने इस के सभी प्रकार के हल बना कर भेज दिये हैं तो इन में से एक न एक हल अवश्य ही सही होगा और हम को यह इनाम जरूर ही मिल जायेगा। इसलिये यदि ३० या ३५ हजार का प्राइज मिलने वाला है उस के लिये कोई सौ रुपये भी खर्च कर देता है तो वह उस को कोई बड़ी बात नहीं समझता। लेकिन उन को अफसोस तो तब होता है जब उन में से कोई हल सही नहीं निकलता और वे कामयाब नहीं होते और उन को कोई, प्राइज नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे लोगों के मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ जाता है, क्योंकि उन को पूरा विश्वास होता है कि हम ने जब सभी प्रकार के हल निकाल कर भेज दिये हैं तो यह निश्चय है कि हमारा एक न एक हल अवश्य सही होगा और हम को जरूर प्राइज मिलेगा। ऐसे लोग पहले से ही अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं कि जो रुपया मिलने वाला है उस का मोटर खरीदेंगे, विलायत जायेंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन जब वे कामयाब नहीं होते हैं तो उन को बड़ा पश्चात्ताप व शाक (धक्का) होता है इस का असर उन के मस्तिष्क पर होता है और उन का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी भी मनुष्य को दो से ज्यादा एंट्रीज एक पजल के लिये भेजने की इजाजत नहीं होनी चाहिये ।

अगली बात मैं यह कहना चाहती हूं कि क्रासवर्ड पजल बनाने वालों को जो पब्लिक से प्राइज देने के लिये धन प्राप्त होता इस धन का हिसाब पूरा पूरा और ठीक ठीक रखा जाये और इस के ऊपर सरकार अपना पूरा पूरा नियंत्रण रखे ।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि यह जो प्राइस कम्पिटीशन चलाया जाये इस को सही सही और ईमानदारी के साथ चलाया जाये । इसकी भी हमारी सरकार जांच पड़ताल करे और उस पर अपना कठोर नियंत्रण रखे ।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् बोलेंगे । इस विषय में आंध्र बम्बई और पैप्सू के लोगों को पहले अवसर दिया जायेगा ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंम्: माननीय गृह मंत्री के भाषण से तो मैंने यह अनुमान लगाया था कि वे पुरस्कार प्रतियोगिता का पूर्णरूपेण उन्मूलन कर देंगे । हम जानते हैं कि इन प्रतियोगिताओं द्वारा जनता को किस प्रकार लूटा जा रहा है । माननीय मंत्री ने भी कहा है कि मध्यम श्रेणी की जनता पर इन का सब से अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है।

इस का मूल कारण यह है कि देश की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण निर्धन व्यक्ति ऐसे उपायों से धन प्राप्ति के लिये बाध्य हो जाते हैं और वहां भी उन के कुछ हाथ नहीं लगता । इस बुराई को तो आज से कई वर्ष पहले दूर कर दिया जाना चाहिये था ।

विधेयक के उपबन्धों पर ध्यान देने से पता चलता है कि एक अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया जायेगा जिसे इन प्रतियोगिताओं की अनुज्ञप्ति को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा । वास्तव में हमें ऐसा कार्य किसी प्राधिकारी की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिये । इस से बड़ी गड़बड़ हो जायेगी । यदि हम यह चाहते हैं तो हमें इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध कर देना चाहिये कि किन कारणों से प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा ।

इसी प्रकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अपील स्थानीय सरकार को न की जानी चाहिये बल्कि जिला दण्डाधिकारी अथवा उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश को की जानी चाहिये ।

जब हम इस विधेयक में यह उपबन्ध कर रहे हैं कि यदि इस के अन्तर्गत कोई अपराध होगा तो जिला दण्डाधिकारी उस का फैसला करेंगे तो फिर यह उपबन्ध करने में क्या आपत्ति है कि अपील भी उन्हीं के पास की जाये ।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सब बातों पर ध्यान देंगे । मैं इस विधेयक का सहर्ष स्वागत करता हूं और सरकार से यही निवेदन करता हूं कि पुरस्कार प्रतियोगिताओं को जल्दी से जल्दी पूर्णतया बन्द कर दिया जाये ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं पुरस्कार प्रतियोगिता का नियंत्रण और विनियमन करने वाले इस विधेयक का स्वागत करता हूं, यद्यपि मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि सरकार ने इन कथित पुरस्कार प्रतियोगिता पर पहले ही क्यों नहीं प्रतिबन्ध लगाया क्योंकि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उस ने स्वयं स्वीकार किया है कि बौद्धिक मनोरंजन कही जाने वाली इन प्रतियोगिताओं का बहुत से लोगों पर हानिकर प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह एक प्रकार का जुआ है ।

सब से अधिक बुरा प्रभाव तो इन प्रतियोगिताओं का यह पड़ता है कि लोग बड़ी आसानी से धन पैदा करना चाहने लगते हैं आज शहरों में ही नहीं, गांवों तक में वृद्ध, युवा, छात्र, अध्यापक और सरकारी कर्मचारी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्गों के लोग इस में भाग लेते हैं । बिना प्रयत्न के ही लखपति और करोड़पति बन जाना चाहते हैं ।

आज देश में 'देदीत्यमान सन्चाई लखपति' 'दीपोत्सवी व्यूह', 'दंपति व्यूह' आदि नाम की विभिन्न पुरस्कार प्रतियोगितायें निकलती हैं जिन में ५ आने से ले कर १० आने का प्रवेश शुल्क रहता है और लाखों रुपयों के पुरस्कार, घोषित किये जाते हैं । इतना ही नहीं जनता को प्रलोभन देने के लिये ये इन में न जाने क्या क्या छपा रहता है ।

एक बार विनोद में श्री महादेव भाई और सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी बम्बई से प्रकाशित होने वाली एक पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लिया था । कहने का तात्पर्य यह कि जब उन जैसे लोगों को भी पुरस्कार नहीं मिला तो फिर यह कौशल क्रीड़ा किस प्रकार कही जा सकती है ।

मैं यह नहीं समझता कि इन प्रतियोगिताओं को बिल्कुल ही क्यों नहीं बन्द कर दिया जाता । विधेयक में यह उपबन्ध है कि १००० रुपये पुरस्कार के रूप में एक मास में दिये जा सकते हैं । मैं तो यह सुझाव देता हूं कि यह राशि घटा कर ५०० रुपये प्रतिमास कर दी जानी

[श्री डाभी]

चाहिए । इस संबंध में मैं संशोधन भी रख चुका हूं ।

जब हम यह कहते हैं कि ये पुरस्कार प्रतियोगितायें एक प्रकार का जुआ हैं तो फिर पुरस्कार की राशि में कमी कर के हम इसे बौद्धिक मनोरंजन किस प्रकार बना सकते हैं । फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । और आशा करता हूं कि एक दिन देश से हम इस को बिल्कुल ही समाप्त कर सकेंगे ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : गृह मंत्री जी ने जो आज इस विधेयक को बहस के लिये सदन के सामने पेश किया है, उस का मैं स्वागत करता हूं । हम बहुत दिनों से एक ऐसे विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसा कि अभी हमारे मित्र ने इस सदन में बतलाया कि एक ऐसा ही विधेयक दो वर्ष पहले उनके द्वारा इस सदन में प्रस्तावित हुआ था । उस समय उन तमाम पहलुओं पर काफी बहस हुई थी जिन का सम्बन्ध इस विधेयक से है तथा जो अच्छे और बुरे इस के परिणाम हम अपने देश में देख रहे हैं । और अन्त में हमारी सरकार ने यह वादा किया था कि वह इस प्रकार का विधेयक जल्द से जल्द इस सदन के सामने लायेगी । तो अब जब कि यह विधेयक सदन के सामने आया है तो हर एक व्यक्ति, जो उस समय भी महसूस करता था और अब भी महसूस करता है कि इस तरह का विधेयक आना चाहिये, इस का स्वागत करेगा ।

यह विधेयक बहुत छोटा सा है और मैं समझता हूं कि उन तमाम पहलुओं पर इस विधेयक में ध्यान नहीं दिया गया है जो हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक प्राइज कम्पीटीशन या क्रासवर्ड कम्पीटीशन या पिक्चर कम्पीटीशन के रूप में फली हुई बिद्दत से सम्बन्धित है । हमें देश की संस्कृति या मर्यादा का ध्यान करते हुए और यह देखते हुए कि आने वाली सन्तान को अच्छे उसूलों पर चलाना ह, अच्छे मार्ग पर ले जाना है, देखना पड़ेगा कि इस प्राकार के कम्पीटीशन हमारे देश में न चलें । अगर यह चलते हैं तो यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है । बहुत सारे पत्र इन कम्पीटीशन के द्वारा अपने आप को कायम रखने में कुछ समर्थ हो जाते हैं, लेकिन इस का जो परिणाम होता है वह उस के मुकाबले में कहीं ज्यादा हानि होती है ।

इस विद्दत या इस प्रकार के कम्पीटीशन्स का मार्ग पिछले १५, २० वर्षों में बहुत ज्यादा खुला है, और जैसा कि अभी कुछ भाइयों ने सदन के सामने आंकड़े वगैरह दे कर और पत्रों में से भी पढ़ कर बताया इन में बहुत बड़े बड़े फिगर रक्खे जाते हैं इनाम वगैरह के क्योंकि जितनी बड़ी रकम एक अखबार ऐनाउन्स करता है, उतने ही ज्यादा लोग उस के अन्दर फंसते हैं । आम तौर से साधारण आदमियों की प्रवृत्ति होती है कि किसी न किसी तरह वह धन प्राप्त करें और पैसे को अपनी तरफ खींचे । यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस प्रकार के कम्पिटीशन्स गेम आफ स्किल होते हैं । उन में स्किल का अंश शायद ही ५ प्रतिशत होता हो, ९५ प्रतिशत तो केवल ऐसे कम्पीटीशन्स होते हैं जो अखबार की अधिक बिक्री के लिये होते हैं, या इसलिये कि एक व्यक्ति या एक संस्था बड़े बड़े इनाम मुकर्रर कर के आम लोगों की जेबों से हजारों रुपये निकाल ले और उस का कोई हिसाब भी न दे तथा उस को अपने उपयोग में लायें । अगर आप इस प्रकार की संस्थाओं की शुरुआत को तथा उन की आज की अवस्था को देखेंगे तो उस से आप को स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि उन लोगों ने बहुत थोड़ी रकम लगा कर ऐसा कम्पीटीशन शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता लाखों और करोड़ों

रुपये उन के पास आ गये । वह हिन्दुस्तान के पत्रों में भी समय समय पर ऐसी घोषणायें करते हैं जिन में वह जनता से कहते हैं कि १० लाख रुपये, पांच लाख रुपये या १ या २ लाख रुपये प्राइज के तौर पर लोगों को इनाम दे देंगे । पर आखिर में न तो यह पता चलता है कि वह इनाम किस को मिला न इस का ही पता चलता है कि किस को नहीं मिला । अगर किसी को मिलता भी है तो उस को १ लाख में से १० हजार या ५ हजार दे दिया जाता है बाकी संस्था खुद ले लेती है । इस प्रकार की प्रणाली आज खूब चल रही है । और बहुत सारी संस्थायें इस प्रकार की बन गई हैं जो छोटे छोटे लोगों से, जो कि धन अपने पास नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करती हैं और अन्त में उस सारे रुपये को अपने ही उपयोग में ले लेती हैं । बहुत कम रकम इनामों में तकसीम की जाती है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।

पहली बात तो यह है कि देश में ऐसी भावना पैदा हो गई है कि नौजवानों की प्रवरत्तियों को उभारें और इस प्रकार जो थोड़ा बहुत धन उन के पास है उस को ऐसे कामों में लगाने का प्रोत्साहन दें । अगर हमारी सरकार चलने देती है तो यह उस के लिये कहां तक उचित होगा, यह बात सदन के सामने है । इसलिये इस प्रकार का विधेयक बहुत मुनासिब और सामयिक है और हम तो समझते थे कि यह बहुत जल्द आयेगा, लेकिन, खैर, अब आया है और इस रूप में आया है, तब भी हम इस का स्वागत करते हैं एक नये रास्ते पर चलने के लिये हमारे वास्ते यह एक नया अनुभव प्रदान करेगा । मैं यह मानता हूं कि बहुत मुमकिन है कि कुछ अखबार वाले या कुछ संस्थायें इस विधेयक की पकड़ में आ जायेंगी और उन का कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि इस का बहुत अच्छा असर सारे मुल्क पर और मुल्क के नौजवानों पर पड़ेगा और जो मेहनत से कमाया हुआ धन आज आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जेबों से निकलता है और एक व्यक्ति या एक संस्था के पास चला जाता है, वह रुक जायेगा और जिस बात का अभी हमारे एक भाई ने इशारा किया कि उस से देश का बहुत नुकसान होता है, और जो एक बहुत बुरी बात है, अर्थात् एक एक इनाम १०, १० और ५, ५, लाख रुपये का घोषित होता है तो एक एक आदमी एक एक हजार और पांच पांच सौ ऐन्ट्रीज भेजता है, वह समझता है कि अगर एक एन्ट्री सही नहीं होगी तो दूसरी होगी, दूसरी नहीं सही होगी तो तीसरी होगी, इस तरह से उस की आकांक्षा खत्म नहीं होती और वह एन्ट्रीज पर एन्ट्रीज भेजता है, वह भी रुक जायेगी । एक एक आदमी जिस वक्त ५००, ५०० या १०००, १००० रु० एन्ट्री भेज कर इस उम्मीद पर बैठा रहता है कि जिस इनाम की घोषणा किसी व्यक्ति, अखबार या संस्था ने की है, वह उसे मिलेगा, उस समय वह धन का भी अपव्यय करता है और समय भी खराब करता है । मैं ने कई ऐसे मित्रों को भी देखा है कि जब उन को इस प्रकार का रुपया मिला है तो जो उनका जीवन स्तर था वह बजाय ऊपर उठाने के गलत रास्ते पर चला गया । जो रुपया उन्हें मिला था उस से उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बुराइयां करनी शुरू कर दीं जिन से बहुत शीघ्र ही सारी रकम उन के हाथ से जाती रही और उन को बजाय फायदे के नुक्सान हुआ ।

तो जहां हम इस बिल का स्वागत करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि इस को पास किया जाय वहां हम यह भी चाहते हैं कि इस के अन्दर वह संस्थायें भी आ जायें जिन को कि हम ने इस में छूट दी है कि वह १००० या ५०० रु० का कम्पीटीशन

[श्री राधा रमण]

रख सकती है और उस से ऊपर हम उनको लाइसेंस देंगे । अगर उन को भी रोका जाये तो ज्यादा अच्छा होगा और इस का बहुत अच्छा असर पड़ेगा । लेकिन अगर सरकार यह समझती है कि यह आवश्यक है कि किसी न किसी रूप में हमारे देश में इस प्रकार के कम्पीटीशन चलते रहने चाहियें और इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि सिर्फ तजुर्बा कर के देखा जाये कि इस से क्या हानि या लाभ होता है तो भले ही आप इस विधेयक को इस रूप में रखें, अन्यथा सारे भारत में इस का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिये । इस विधेयक को हम ने सिर्फ चन्द सूबों में और पार्ट सी स्टेट्स में ही लागू किया है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा होना चाहिये कि जिसे सारे देश में लागू किया जा सके और इसे इतना पूर्ण बनाया जाये कि सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के कम्पीटीशन्स न किये जा सकें जिस के कारण आज हमारे यहां के बहुत से नर और नारी फंसते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया इनमें हिस्सा लेते हैं और जब अन्त में उन को कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह कहने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था कि यह इनाम मिले । हालांकि कोई भी यह नहीं जानता कि वह किसी को मिला भी या नहीं ।

इस लिये इस विधेयक का स्वागत करते हुए मुझे इस बात की पूर्ण आशा है कि हमारे गृह मंत्री जी ने जिन भावनाओं से इस विधेयक को यहां रक्खा है उन को देखते हुए इस में जो अपूर्णतायें हैं वह भी दूर की जायेंगी और सारा भारतवर्ष इस बिद्दत से बच सकेगा । जिस से कि हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों का इतना अहित होता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री एम० डी० जोशी : (रत्नगिरी–दक्षिण) : वर्ग पहेलियां भोली भाली जनता को ठगने का एक संगठित रूप है । आज के विभिन्न समाचारपत्र जहां एक ओर जनता की ज्ञान वृद्धि करते हैं वहीं दूसरी ओर बड़ा जहर फैला रहे हैं । और लाखों करोड़ों रुपया गरीब जनता से इन पहेलियों के द्वारा कमा रहे हैं । अतः इस पर नियंत्रण लगाना बडा अनिवार्य था । मेरे मित्र श्री डाभी के अनुसार पुरस्कार की राशि १००० रुपये कर के इस चीज को बिल्कुल समाप्त कर कुछ न कुछ रोक लगा दी गई है । अतः इस से लोगों की अधिक आर्थिक हानि नहीं होगी । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार यह बुराई कैसे दूर हो सकेगी । विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । जिस से पूर्तियों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित की गई हो । इस संबंध में मैं अपने एक मित्र का दष्टांत सुनाऊंगा ।

मेरे एक क्लर्क मित्र ने १४४ पूर्तियां एक रुपया प्रति पूर्ति के हिसाब से भेजी थीं और परिणाम घोषित होने पर उन की एक पूर्ति उस से मिल गई किन्तु उन्हें उक्त पहेली से कोई पुरस्कार नहीं मिला । अन्त में मुझे भी इस का पता लगा और उस पत्र को और मेरे उन मित्र को १४४ रुपये दे कर समझौता करने की बात कही और अन्त में विवश हो कर उन्हें वह समझौता स्वीकार करना पड़ा । आज हजारों लाखों की संख्या में वह लोग इन पहेलियों के चक्कर में पड़ कर अपना पैसा फूंक रहे हैं ।

इतना ही नहीं पत्र वाले ज्ञानेश्वर आदि के उद्धरण विज्ञापणों में प्रकाशित करते हैं । अतः पूर्तियों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाना अत्यन्तावश्यक है । प्रत्येक बार पहेली के प्रकाशित होने पर पत्र वाले २०,००० रुपये या १५,००० रुपये के पुरस्कार बांट देते हैं जब कि उन्हें इस से कहीं अधिक राशि पूर्ति शुल्क के रूप में प्राप्त होती है जब तक पूर्तियों

की संख्या पर रोक नहीं लगाई जाती तब तक १,००० रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में निश्चित कर देने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो पहले चलाने वाले को और भी अधिक लाभ होगा अन्यथा गरीबों को और भी हानि होगी।

लोगों को प्रलोभन देने के लिये वे फोटो छापते हैं। लोग अपने बच्चों आदि के नाम से पूर्तियां भेजते है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर आंशिक रूप से प्रतिबन्ध लगाने के बजाय इसे पूर्ण रूपेण निषेध कर दें।

श्री एस० एस० मोरे : मैं दो तीन महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। मैं औचित्य प्रश्न उठाये जाने के समय इस पर कह चुका था। मेरा विचार यह है कि कुछ प्रतियोगितायें इस प्रकार की भी हो सकती हैं जो जुआ या शर्त लगाने वाली न हों और जो लोगों को प्रलोभन दें कि लोग उन में भाग लें। ऐसे प्रलोभनों के शिकार तो मध्यम श्रेणी के लोग या गरीब हो सकते हैं। वैसे तो हमारा जीवन और राजनीति भी एक प्रकार का जुआ है और बहुत से लोग इस के शिकार हो जाते हैं। ऐसा होने से तो लोग राजनीति में भाग लेने से भी डर सकते हैं।

यदि कुछ प्रतियोगिताओं को कौशल क्रीड़ा समझा गया तो वे प्रविष्टि ३४ के अधीन नहीं आयेंगी और ऐसा न होने पर अन्ततोगत्त्वा कुछ मामलों में अपराधी बच भी सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वे इस मामले को अवशिष्ट अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद २४८ के अधीन लेकर सभी राज्यों में लागू करें।

बम्बई ने तो इस प्रकार का संकल्प पारित कर दिया है किन्तु अन्य राज्य ऐसा करने के लिये नहीं भी तैयार हो सकते हैं। इस कारण प्रतियोगिता का व्यापार करने वाले तत्काल ही उस स्थान में चले जायेंगे जहां इस प्रकार का विधान नहीं होगा और इस प्रकार उस स्थान के लोग इसके शिकार बनेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को अविशिष्ट अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद २४८ के अधीन लेकर इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर दें।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि यदि शर्त लगाना और जुआ खेलना एक बुराई है तो वह न केवल १,००० रुपये से अधिक पुरस्कारों के लिये है वरन् वह तो चाहे ५ रुपये का पुरस्कार हो, उसके लिये ही बुराई ही कही जायेगी।

यह विधान जुआ आदि को बिल्कुल बन्द कर देने के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा बनाये गये विधानों के विरुद्ध हो सकता है। राज्य अधिनियम के अनुसार पुरस्कार प्रतियोगिताओं को बन्द किया जा सकता है जबकि इस अधिनियम के द्वारा जहां १,००० रुपये के लिये जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त है ऐसी प्रतियोगितायें चलती रहेंगी। अतः हमें इस विषय को अनुच्छेद २४८ के अन्तर्गत लाना चाहिये और इसे सभी राज्यों पर लागू करना चाहिये।

खंड ९ और १५ एक साथ आने चाहियें। खंड १५ यह कहता है कि यदि किसी समाचार पत्र में कोई ऐसी चीज प्रकाशित होती है या विज्ञापन दिया जाता है तो सरकार उसे जब्त कर लेगी। किन्तु विज्ञापन के प्रकाशन को दाण्डिक अपराध नहीं माना गया है। यह एक कमी है। मैं समझता हूं कि ऐसे अंक जब्त किये जा सकते हैं जब विज्ञापन के प्रकाशक को दण्ड नहीं दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह चीज खण्ड ११ में नहीं आ जाती।

श्री एस० एस० मोरे : प्रकाशक खण्ड ११ के अधीन नहीं आता है।

[श्री एस० एस० मोरे]

खण्ड ११ ो उन सारे व्यक्तियों पर लागू होगा जो उस को छपवाते, प्रकाशित करवाते अथवा उस का वितरण करवाते हैं। मैं समझता हूं कि यह चीज उस खंड में नहीं आयेगी क्योंकि यह समाचार पत्रों में विज्ञापनों के सम्बन्ध में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह चीज इस खण्ड में आ जाती है ।

श्री एस० एस० मोरे : तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं माननीय मंत्री से एक बात यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक भारत से बाहर जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका आदि से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों पर भी लागू होता है अथवा नहीं ? यदि नहीं होता है तो प्रेस आयोग के सदस्य के नाते मैं जानता हूं कि ये लोग क्या करेंगे । ये इन पत्रों का मुख्यालय उन्हीं देशों में बना कर वहां से पत्र निकालना आरम्भ कर देंगे। अतः में गृह कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में वह क्या करेंगे ? विधेयक का उद्देश्य इन सब चीजों को रोकना है जहां प्रतियोगिता राशि १,००० रुपये से अधिक है। मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह विधेयक पर इस दृष्टि से भी विचार करे। अभी तक यह बात किसी ने नहीं कहीं थी। इसी कारण मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या पाकिस्तान और श्रीलंका आदि के लिये वित्त मंत्रालय सभी प्रकार से रुपये भेजने की अनुमति दे देता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इस का उत्तर गृह कार्य मंत्री। देंगे। यह प्रश्न तो उस समय उत्पन्न होगा जब कि यह विधेयक सारे भारत में लागू होगा । अन्य भी अनेक प्रश्न हैं जिन का उत्तर हमें गृह कार्य मंत्री से मिलेगा ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिमजातियां) : मान लीजिये कि ये लोग अपना मुख्यालय इस देश से बाहर ले जाते हैं तो हम क्या करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें देश से बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, वे अन्य राज्यों में जा सकते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : दूसरे राज्य में जाने की अपेक्षा दूसरे देश चले जाने से वे अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक अपने कार्य कर सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सारे भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाये तो वे कहीं भी जायें हमारी बला से ।

श्री टी० एन० सिंह : प्रतिबन्ध लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार समाचार पत्र किसी भी देश, जैसे अमरीका, इंगलैंड या पाकिस्तान से आ सकते हैं । हमारे पत्र भी वहां जाते हैं। प्रश्न तब उठता है जब कि यह पत्र पुरस्कार प्रतियोगिता चलाते हैं और वे यहां आते हैं । मुझे अनेक ऐसे पत्रों के बारे में मालूम है जिन में पुरस्कार प्रतियोगितायें प्रकाशित होती हैं और जो यहां छपते हैं । वे धन इकट्ठा कर रहे हैं । इस स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाये यह मैं नहीं जानता । इस का उपाय तो गृह-कार्य मंत्री ही बतायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गुरुपादस्वामी का इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ सदस्यों से बनी एक प्रवर समिति को यह विधेयक इस निर्देश सहित सौंपा जाये कि वह ३० सितम्बर, १६५५ को या इस से पूर्व प्रतिवेदन दे दें

हम देखते हैं कि भारत में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग वर्ग पहेली या अन्य प्रकार की पहेलियां भेज कर अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को कुछ लाभ मिल पाता है। स्वतन्त्रता के पश्चात ही हर व्यक्ति इस प्रकार धन कमाने की सोचने लगा। मैं इस खब्त को पूंजीवादी समाज का एक चिह्न समझता हूं। समाजवादी व्यवस्था में कहीं भी इस के लिये स्थान नहीं कि इन जाली तरीकों से धन कमाया जाये। मैं प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की ओर सभा सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस में कहा गया है कि यह एक बुराई है और कुछ मामलों में उस ने ५०० रुपये की सीमा निर्धारित कर दी है। विधेयक में यह राशि १,००० रुपये रखी गई है। मैं माननीय मंत्री के इस साहसपूर्ण और स्पष्ट भाषण के लिये आभारी हूं।

मैं उन माननीय सदस्यों के कथन से सहमत हूँ कि सारी प्रतियोगिताओं को एक दम बन्द क्यों न कर दिया जाये क्योंकि यदि अधिक पुरस्कार रखा जायेगा तो स्वाभाविक है कि लोगों को आकर्षण होगा ही। गृह कार्य मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार प्रतियोगितायें समाज में जाल फैलाती हैं यदि ऐसा है तो वे उन्हें चलने ही क्यों देते हैं? उन्होंने पुरस्कारों की अधिकतम राशि १,००० रुपये कर दी है :

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारी बातें तो कही जा चुकी हैं। अतः माननीय सदस्य को यह बताना चाहिये कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के क्या कारण हैं?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: प्रवर समिति इन सारी बातों के गुणावगुणों पर विचार करेगी। यह १०००रु पये की राशि अधिक है इस में कमी की जानी चाहिये। किन्तु मेरी समझ से जब तक सरकार सारी प्रतियोगिताओं को बन्द करने को तैयार नहीं होती तब तक इस राशि को कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

विधेयक में पूर्तियों की सँख्या पर कोई रोक नहीं लगाई गई है इसका परिणाम यह होगा कि पूर्तियां और अधिक सँख्या में भेजी जायेंगी और अधिक ऐसी प्रतियोगितायें आरम्भ करेंगे। इस कारण बेईमानी और भी अधिक बढ़ेगी क्योंकि पुरस्कार की राशि कम होगी।

मैं प्रवर समिति की सिफारिशों का आधार समझ नहीं पाता हूँ किन्तु पुरस्कार की राशि उन्होंने सीमित कर दी है जिस पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये।

इस के अतिरिक्त सरकार को कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया है जैसे अनुज्ञप्ति धारी द्वारा दिया जाने वाला शुल्क और अनुज्ञप्ति की कालावधि निश्चित करना। विधेयक में ही इन सब का उपबन्ध किया जाना चाहिये था।

एक आवश्यक बात मुझे इस संबंध में और कहनी है कि अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति न दी जाने की दशा में अपील सीधे सरकार के पास ही क्यों की जाये। इस के लिये क्या न्यायिक प्राधिकार नहीं होना चाहिये। इस संबंध में मेरी अपनी कोई निश्चित सम्मति नहीं है। और मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये। प्रवर समिति को इन सब बातों पर विचार कर के ३० तारीख तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये। जिस से हम १ अक्तूबर तक इस विधेयक को पारित कर सकें :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय मंत्री।

पंडित जी० बी० पन्त : मुझे आम बहस का उत्तर देना है या सारी बहस का?

उपाध्यक्ष महोदय : आम बहस का और विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये संशोधन का।

पंडित जी० बी० पन्त : हम ने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना है और मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि सदन की आम राय विधेयक के पक्ष में है। वर्ग पहेलियों की जो प्रथा आज कल लागू है उस पर प्रतिबन्ध लगाने के सुझाव का प्रत्येक वक्ता ने समर्थन किया है। वर्ग पहेलियों पर १,००० रुपये प्रतिमास से अधिक इनाम न दिये जाने की पाबन्दी लगाई गई है। लेकिन इन वर्ग पहेलियों की अनुज्ञप्तियों के बारे में विचारों में कुछ मतभेद है। इस संबंध में कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि अच्छा होता यदि पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाता।

वास्तव में देश के सभी राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् इस विधेयक को पेश किया गया था। मूल विचार यह था कि १,००० रुपये की न हो कर अधिक से अधिक इनाम की शर्त १०,००० रुपये होगी और १,००० रुपये से कम इनाम की प्रतियोगिता के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं ने सोचा कि यह भी कुछ भय की बात है। इसलिये हम ने १०,००० के आंकड़ों को कम कर के १,००० रुपय कर दिया और यह प्रयत्न किया कि १,००० रुपये से कम की प्रतियोगितायें भी राज्य प्राधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों के अधीन रहें। यह सारी योजना एक साथ ली जानी चाहिये।

अब तक हिसाब रखने का भी कोई आभार नहीं था। इस सम्बन्ध में लज्जाजनक जालसाजी की जाती रही है। पहले हिसाब रखने की कोई प्रणाली नहीं थी। इस समय जो स्थिति है उस के अनुसार ये पुरस्कार प्रतियोगितायें जुआ हैं और पुरस्कार की बड़ी बड़ी राशि से प्रलोभित हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। यदि आप एक विज्ञापन निकालते हैं। "चार आने में तीन लाख रुपये कमाइये।" स्वाभाविक ही है कि बहुत से लोग इस से प्रलोभित हो जायेंगे। यदि पुरस्कार की राशि ३ लाख से घटा कर एक हजार कर दी जायेगी तो उस का उतना असर नहीं होगा।

यह एक हजार रुपये की सीमा भी हमेशा के लिये नहीं है। यदि अनुभव हमें यह बतायेगा कि ऐसी धोखाधड़ी बँद नहीं हुई है या सारवान रूप से कम नहीं हुई है तो हम एक अन्य विधेयक द्वारा पूर्ण रोक भी लगा सकते हैं।

इस विधेयक के अन्तर्गत जुए का सिद्धान्त बना रहेगा। एक हजार रुपये के इनाम वाली पुरस्कार प्रतियोगितायें भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करके संचालित की जा सकेंगी। मैं आशा करता हूँ कि अनुज्ञप्ति की शर्तें ऐसी रहेंगी कि कोई यों ही ऐसी प्रतियोगिता नहीं चलाना चाहेगा। मुझे यह भी आशा है कि इस बात का समुचित ध्यान रखा जायेगा कि अनुज्ञप्तियां केवल ऐसी पुरस्कार प्रतियोगितायें चलाने के लिये दी जायें। जिन में दिमाग लगाना पड़े। यदि इस बात का ध्यान रखा जाये तो इस छोटी सी राशि के रखे जाने पर मेरी समझ में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। जैसा कि अभी बताया गया, प्रेस आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। और कहा था :

"हम ऐसी सब प्रतियोगिताओं पर भी रोक लगाना चाहते हैं, परन्तु यह बात हमारे क्षेत्र के बाहर है। हां, हम उन प्रतियोगिताओं का उल्लेख करेंगे जिन के लिये पूर्ति शुल्क लिया जाता है और जिन में जीतने वालों को काफी धन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यदि पहेलियां केवल पाठकों के मनोरंजन के लिये छापी जायें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें पता है कि जहां तक बौद्धिक मनोरंजन का संबंध है, थोड़ा बहुत पुरस्कार लोगों को पहेलियां हल करने में उत्साह देता है और ऐसे पुरस्कार बहुत सी पत्रिकाओं द्वारा, जिनका पत्रिकारित का स्तर

ऊँचा है, दि। जा रहा है। परन्तु हम चाहते हैं कि ऐसे पुरस्कार की सीमा ५०० ५ये प्रति मास निश्चित कर दी जाये ।"

तो स्थिति यह है। आयोग ने ५०० रुपये की सीमा निश्चित की जाने की सिफारिश की। हम ने सब राज्यों से परामर्श कर के सीमा १,००० रुपये रखी। मुझे इस में कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ा। और, जैसा कि में ने अभी अभी कहा, यदि हमें बाद में यह अनुभव हुआ कि हमारी आशायें पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम एक संशोधक विधेयक द्वारा इस सीमा को भी समाप्त कर देंगे। मुझे विश्वास है कि अनुज्ञप्तियां इस प्रकार जारी की जायेंगी कि प्रतियोगितायें बौद्धिक मनोरंजन तक ही सीमित रहें, उन में दाव की भावना न आये। यदि यह ध्यान रखा गया तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने सरकार के पास अनुज्ञप्ति देने या अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति होने पर आपत्ति की। परन्तु यह आपत्ति सभा के सामान्य रुख के अनुकूल नहीं है। सामान्य राय यह है कि अनुज्ञप्तियां बिल्कुल ही न दी जायें, और यदि कोई अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाती है तो शायद वे इस का स्वागत ही करेंगे। इसलिये मैं नहीं समझता कि कार्यपालिका को इस शक्ति से क्यों वंचित किया जाये। नियमानुसार, अनुज्ञप्तियां कार्यपालिका द्वारा जारी की जाती हैं, और वे प्रशासक पदाधिकारियों द्वारा ही रद्द की जाती हैं। अतएव इन परिस्थितियों में जब कि सभा की समान्य रूप से राय यह है कि जो कुछ गुंजाइश अभी भी रह गई है वह भी दूर की जाये--यह भय व्यक्त करना अनुचित है कि प्रशासनीय अधिकारी बिना कारण ही किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकते हैं। इसलिये मेरी राय में यह चिन्ता निराधार है ।

यह सुझाव दिया गया है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। यह एक सीधा-सादा सा विधेयक है। इस में कोई जटिलता नहीं है। इसलिये मैं नहीं चाहता कि प्रवर समिति इस पर विचार कर के समय नष्ट करे।

सदस्यों ने एकमत से विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उन में से कुछ ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण के कुछ भागों पर आपत्ति की है। परन्तु उस पर भी राय अलग-अलग है। यह बड़े दुख की बात है कि लोग प्रायः विधेयक के किसी खंड को ले कर बैठ जाते हैं और उस पर आपत्ति करते हैं; इस के विपरीत कुछ अन्य लोग उस की अपेक्षा करते हैं और दूसरे खंड पर आपत्ति करते हैं। यदि सारे विधेयक पर एक साथ विचार किया जाये तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होगा। केवल इतना ही नहीं, यह लाभकारी भी सिद्ध होगा ।

श्री सिंह ने कहा कि इस विधेयक से विदेशों से आने वाले पत्रों सम्बन्धी कठिनाई हल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि विधेयक के खंड ११ में इस की उचित व्यवस्था है। फिर भी, मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड ११ में "in contravention of the provisions of this Act" ["इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके"] शब्दों के स्थान पर "except in accordance with the licences given under this Act" ["सिवाय इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्तियां के अनुसार"] शब्द रखे जायें। इस से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। पूर्तियां चाहे भारत से प्रकाशित होने वाले किसी पत्र द्वारा मांगी जायें या विदेशों में छपने वाले पत्रों द्वारा यदि प्रतियोगिता इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार नहीं है तो खन्ड ११ लागू होगा ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड १५ की ओर भी दिलाऊंगा

[श्री टी० एन० सिंह]

जो समाचारपत्रों व प्रकाशनों के जब्त किये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनिताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण–पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर): वह बहुत जरूरी है ।

श्री टी० एन० सिंह : यदि खंड १५ में भी उसी भावना से थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाये तो मैं समझता हूं स्थिति और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगी ।

पंडित जी० बी० पन्त : हम खंड १५ में भी वे शब्द रख सकते हैं । निस्सन्देह, सभी की यह इच्छा है कि विधेयक में कोई कमी न रहे । यदि हम अपने देश के लोगों द्वारा लूटे जाने को तैयार नहीं हैं तो निश्चय ही हम यह नहीं चाहेंगे कि विदेशी लोग हमें लूटें ।

कुछ वक्ताओं ने यह शंकायें व्यक्त की हैं कि यह विधेयक देश भर में लागू होगा भी या नहीं । मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि प्रत्येक राज्य ने इस विधेयक को लागू करना स्वीकार कर लिया है । जिन राज्यों के नाम प्रस्तावना में नहीं हैं और जो पहले ही संकल्प पास कर चुके हैं उन में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल भी हैं । आशा है कि बाकी राज्य भी अगले कुछ सप्ताह में ऐसे ही संकल्प पास कर देंगे । इसलिये इस सम्बन्ध में कोई चिन्ता या डर नहीं होना चाहिये । हम ने यह विधेयक इसलिये लोक सभा में रखा है कि यह मामला ऐसा है जिस में केन्द्र को समन्वय करना चाहिये । जब तक सारे देश में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं होगा, तब तक इस विधेयक के प्रयोजन असफल ही रहेंगे । इस लिये इस सम्बन्ध में हम देश के किसी भाग को छोड़ेंग नहीं । हम इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि देश में प्रत्येक राज्य में यह विधेयक प्रस्थापित हो, पास किया जाये और सावधानी से लागू किया जाये ।

श्री मोरे ने कुछ कानूनी आपत्तियां उठाई हैं । वे आपत्तियां नहीं हैं बल्कि सुझाव हैं । मेरा विचार है कि इस समय कानूनी बहस में पड़ना जरूरी नहीं है । विधेयक जैसा भी है हमारे सामने है और यह अनुच्छेद २५२ के अन्तर्गत पुरःस्थापित किया गया है । इसलिये यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि विधेयक वैध है या नहीं । यदि किसी समय कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हम आवश्यक परिवर्तन कर देंगें । परन्तु किसी को विश्वास के साथ यह नहीं कह देना चाहिये कि किसी अन्य अनुच्छेद के पुरःस्थापित किये जान पर क्या नई समस्यायें उठ खड़ी होने की सम्भावना है । अभी तो हम कुछ काल्पनिक दोष ही देख रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि कोई अन्य बात स्वीकार कर ली जाये, अर्थात्, यदि किसी अन्य खण्ड की ओर निर्देश किया जाये, तो अच्छा रहेगा । परन्तु जब हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो सम्भव है कि चलते पुर्जे लोग प्रस्तुत विधेयक की अपेक्षा उस में कुछ और अधिक त्रुटियां ढूंढ निकालें । जहां तक मुझे मालूम है इस विधेयक में त्रुटियां नहीं हैं । हम ने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों कीर ाय ले ली है और हमें विश्वास दिलाया गया है कि यह दोषरहित है और जहां तक इस के प्रयोजनों का सम्बन्ध है वे निश्चय ही प्रशंसनीय हैं । मुझ आशा है कि सारी सभा इसे स्वीकार कर लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुरस्कार प्रतियोगिताओं के विनियमन और नियंत्रण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—परिभाषायें

श्री वीर स्वामी (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इस खंड में अपना संशोधन संख्या ३५ रखना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि "चैक" शब्द के बाद "बैंक ड्राफ़्ट" भी रखा जाये ।

पंडित जी० बी० पन्त : मेरे विचार में "धन" शब्द में सब चीजें आ जाती हैं ; यदि न भी आती हों, तो भी ह में इस में परिवर्तन नहीं करने चाहियें ।

श्री वीर स्वामी : "बैंक ड्राफ़्ट", "चैक" और "मनी आर्डर" से भिन्न हैं । मेरा विचार है कि यह शब्द इस में रख देना चाहिये । जिस से कि भ्रम न हो ।

पंडित जी० बी० पन्त : सभा तो चाहती है कि यह उपबन्ध और कड़ा बना दिया जाये, वह इसे अधिक नरम या उदार नहीं बनाना चाहती ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार संशोधन को स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिये मैं इसे सभा के सामने नहीं रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(निर्वचन)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने संशोधनों की पूर्व सूचना दे रखी है और उन्हें रखना चाहते हैं, वे उन्हें रखें ।

श्री सी० डी० पांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

कि पृष्ठ २ पंक्ति १० में—

"words" ["शब्दों"] के स्थान पर "letters, words or figures" ["अक्षर, शब्द या अंक"] रखा जाये ।

पंडित जी० बी० पन्त : इन सभी शब्दों का दोहराया जाना आवश्यक है । इसलिये मैं संशोधन स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

कि पृष्ठ २, पंक्ति १० में—

"words" ["शब्दों"] के स्थान पर, "letters, words or figures" ["अक्षर, शब्द या अंक"] रखा जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा का संशोधन रखे जाने की अनुमति दी गई क्योंकि वह उपरोक्त संशोधन जैसा ही था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(पुरस्कार प्रतियोगिताओं का प्रतिषेध आदि)

श्री डाभी : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २, पंक्ति १७ में "एक हजार रुपये" के स्थान पर "पांच सौ रुपये" रखा जाये ।

श्री के० एल० मोरे : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २, पंक्ति १७ में "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो सौ रुपये" रखा जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २ में—

खण्ड ४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये :—

"4. No person shall promote or conduct any prize competition or competitions in which the total value of the prize or prizes (whether in cash or otherwise)

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

to be offered in any month exceeds one thousand rupees;"

["४. कोई व्यक्ति ऐसी कोई पुरस्कार प्रतियोगिता या प्रतियोगितायें प्रवर्तित या संचालित नहीं करेगा जिन में किसी एक महीने में दिये जाने वाले पुरस्कार या पुरस्कारों (नकदी में या अन्य रूप में) का कुल मूल्य एक हजार रुपये से अधिक हो; "]

श्री एम० डी० जोशी : मैं अपना संशोधन संख्या ६४ रखना चाहता हूं जो मैं ने अभी दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब यह पूर्व सूचना न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं स्वयं भाषा के स्पष्टीकरण के लिये एक संशोधन रखना चाहता हूं । यदि माननीय सदस्य का सशोधन मेरे संशोधन जैसा ही हो तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २—पंक्ति १७ में "एक हजार रुपये" के स्थान पर "तीन सौ रुपये" रखा जाये ।

श्री राधा रमण : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २, पंक्ति १७ में "एक हजार रुपये" के स्थान पर "केवल एक सौ रुपये" रखा जाये ।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी बोलनगिरी) : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २, पक्ति १७ में "किसी मास में" शब्दों के स्थान पर "किसी एक पुरस्कार प्रतियोगिता में" शब्द रखे जायें और इस पंक्ति के बाद यह परन्तुक जोड़ दिया जाय कि कोई व्यक्ति एक महीने में ऐसी चार से अधिक प्रतियोगिताएं प्रवर्तित या संचालित नहीं करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सदन के सामने हैं । यदि माननीय मंत्री श्री एम० डी० जोशी का संशोधन स्वीकार करने को तैयार हों तो पूर्व सूचना की शर्त हटाई जा सकती है ।

श्री जी० बी० पन्त : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो श्री जोशी इसे रख सकते हैं ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि पृष्ठ २ में, पंक्ति १७ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and in every prize competition the number of entries shall not exceed two thousand."

["और प्रत्येक पुरस्कार प्रतयोगिता में पूर्तियों की संख्या दो हजार से अधिक नहीं होगी ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि पृष्ठ २ में पंक्ति १७ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and in every prize competition the number of entries shall not exceed two thousand"

["और प्रत्येक पुरस्कार प्रतियोगिता में पूर्तियों की संख्या दो हजार से अधिक नहीं होगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री डाभी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

पंडित जी० बी० पन्त: मैं संशोधन संख्या ५२ को स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान खंड में यह त्रुटि रह जाती है कि प्रत्येक प्रतियोगिता १००० रुपये को होगी और यदि ३० दिन तक लोग प्रति दिन इतने ही मूल्य की प्रतियोगिता चलाते रहें तो कुल मूल्य

३०,००० रुपये तक पहुंच जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस खण्ड के गलत निर्वचन की सम्भावना ही न रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २ में—

खण्ड ४ के स्थान में निम्नलिखित को रखा जाये :—

"4. No person shall promote or conduct any prize competition or competitions in which the total value of the prize or prizes (whether in cash or otherwise) to be offered in any month exceeds one thousand rupees.

[४. कोई व्यक्ति ऐसी कोई पुरस्कार प्रतियोगिता या प्रतियोगितायें प्रवर्तित या संचालित नहीं करेगा जिन में किसी एक महीने में दिये जाने वाले पुरस्कार या पुरस्कारों (नकदी या अन्य रूप में) का कुल मूल्य एक हजार रुपये से अधिक हो;"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री के० एल० मोरे का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

पंडित जी० बी० पन्त : संशोधन संख्या १६ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में दिन प्रति दिन हिसाब कौन रखेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य इस पर जोर नहीं दे रहे हैं।

श्री राधा रमण : मैं अपने संशोधन संख्या ३७ पर आग्रह नहीं कर रहा हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने संशोधन संख्या ५५ पर आग्रह नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४, संशोधित रूप म, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—(पुरस्कार प्रतियोगिताओं का अनुज्ञापन आदि)

श्री के० एल० मोरे : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २, पंक्ति २० में "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो सौ रुपये" रखा जाय।

श्री सी० डी० पांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि पृष्ठ २ में पंक्ति १८ और १६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"5. Subject to the provisions of section 4, no person shall promote or conduct any prize competition or compititions in which the total value of the prize or prizes (whether in cash or otherwise) to"

"५. धारा ४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति ऐसी कोई पुरस्कार प्रतियोगिता या प्रतियोगितायें प्रवर्तित या संचालित नहीं करेगा जिन में पुरस्कार या पुरस्कारों (नकदी या अन्य रूप में) का मूल्य"।]

पंडित जी० बी० पन्त : मैं संशोधन संख्या ५३ को स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री के० एल० मोरे का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २ में पंक्ति १८ और १६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

"5. Subjcet to the provisions of section 4, no person shall promote or conduct any prize competition or

[उपाध्यक्ष महोदय]

competitions in which the total value of the prize or prizes (whether in cash or otherwise) to"

["५. धारा ४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति ऐसी कोई पुरस्कार प्रतियोगिता या प्रतियोगितायें प्रवर्तित या संचालित नहीं करेगा जिन में पुरस्कार या पुरस्कारों (नकदी या अन्य रूप में) का मूल्य"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह ह ।

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया बया ।

खंड ६–(पुरस्कार प्रतियोगिताओं के लिये अनुज्ञप्तियां)

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : मेरा संशोधन यह है कि पष्ठ २ में पंक्ति २६ से २८ के स्थान पर यह रखा जाये कि ऐसा प्रार्थना पत्र मिलने पर अनुज्ञप्ति वाला प्राधिकारी इस बात का समाधान होने पर कि पुरस्कार प्रतियोगिता जनहित के विरुद्ध नहीं ह, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति देगा ।

श्री कामत : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २, पंक्ति २८ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये कि ऐसा आदेश प्रार्थना पत्र मिलने के तीस दिन के भीतर दिया जायेगा ।

मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि आदेश जारी किये जाने म देरी न हो । यदि माननीय मंत्री यह आश्वासन नहीं देते हैं कि ऐसे मामलों में जल्दी आदेश जारी किये जायेंगे तो यह उपबन्ध अवश्य करना चाहिये ।

पंडित जी० वी० पन्त : मैं चाहता हूं कि सरकार का सारा काम व्यावहारिक ढंग से हो । यह बात इन मामलों पर भी लागू होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का संशोधन मतदान के लिये रखा और अस्वीकृत हुआ ।

पंडित जी० बी० पन्त : जहां तक संशोधन संख्या ८ का सम्बन्ध है, ऐसा उपबन्ध विधेयक में नहीं दिया जा सकता । परन्तु मुझे आशा है कि अनुज्ञापन पद्धति बनाते समय राज्य सरकारें इस संशोधन के सिद्धान्त का ध्यान रखगी ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : माननीय मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं इसे सभा के सामने नहीं रखूंगा ।

प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य नये खण्ड ६ के रखे जाने के सम्बन्ध में अपने संशोधन संख्या ४१ पर आग्रह करते हैं ।

श्री राधा रमण : मैं यह संशोधन इस लिये रखना चाहता हूं कि मेरे विचार में विधेयक में उन लोगों के लिये शर्तें रखी जानी चाहियें जो पुरस्कार प्रतियोगिताये चलाना चाहते हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार हे कि नियम बनाने का काम तो राज्य सरकारों का है ।

श्री राधा रमण : वह तो केवल अनुज्ञापन के सम्बन्ध म है ।

पंडित जी० बी० पन्त : इस संशोधन से किसी को कोई लाभ नहीं होगा । आप का कहना यह है कि जब तक कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित शर्तें पूरी न करता हो उसे अनुज्ञप्ति न दी जाये । उसे अनुज्ञप्ति मिलने के बाद कुछ शर्तें पूरी करनी हैं न कि अनुज्ञप्ति मिलने से पहले । अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर जो आधार हैं व उन्हें पूरा न करें तो अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है । अनुज्ञप्ति देने से पहले कोई शर्तें पूरी नहीं करनी हैं ।

श्री राधा रमण : परन्तु इस से पहले भी कुछ शर्तें होनी चाहियें । संशोधन का उद्देश्य यही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह खण्ड २० के अन्तर्गत है जिस के अनुसार नियम आदि बनाये जायेंगे । मेरे विचार में इस संशोधन को मतदान के लिय रखना आवश्यक नहीं है ।

श्री राधा रमण : मैं औपचारिक रूप से इसे रख ही नहीं रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब हम खण्ड ७ पर आते हैं । संशोधन संख्या २२ ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं इसे नहीं रख रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८—(अनुज्ञप्तियों के निरसन या निलम्बन की शक्ति)

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ३, पंक्ति १ में यह जोड़ दिया जाये "कि पुलिस या किसी अन्य से सूचना मिलने पर" ।

पंडित जी० बी० पन्त : मेरे विचार में वर्तमान खंड में यह जोड़ने से कुछ बनेगी नहीं । सूचना पुलिस से या किसी अन्य सूत्र से मिलेगी । "पुलिस से या किसी अन्य से" जोड़ देने से कोई भेद नहीं पड़ता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये मेरा विचार है कि इसे मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ९—(कोई पुरस्कार प्रतियोगिता प्रवर्तित या संचालित करने के लिये दन्ड)

श्री राधा रमण : मेरा एक संशोधन यह है कि पृष्ठ ३, पंक्ति १५ और १६ में "तीन महीने" के स्थान पर "६ महीने" रख दिया जाय और दूसरा संशोधन यह है कि पंक्ति १६ में "एक हजार रुपये" के स्थान पर दो हजार रुपये" रख दिया जाये ।

श्री वीरस्वामी : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ३, पंक्ति १५ में "कठोर" शब्द जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि कठोर कारावास का दण्ड दिया जाय ।

पंडित जी० बी० पन्त : मेरे विचार में जब तक परिवर्तन में कोई सार न हो, परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कारावास कठोर हो या नहीं, इस का निर्णय न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाता है । मेरे विचार में माननीय सदस्य इस संशोधन पर आग्रह नहीं करते । मैं इसे सभा के सामने नहीं रख रहा हूं ।

श्री राधा रमण : हम चाहते हैं कि दण्ड ऐसा दिया जाय जिस से लोग ऐसा काम करने से बाज आयें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हमारे इस उपबन्ध के अनुकूल होना चाहिये कि ऐसा मुकदमा

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रथम श्रेणी का दण्डाधीश या जिला दण्डाधीश ही सुन सकता है। तीसरी श्रेणी का दण्डाधीश तीन महीने से अधिक सजा दे ही नहीं सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक आदमी का मुकदमा नहीं, बहुत से लोग दोषी पाये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : दण्डाधीश पर यह आभार नहीं डाला गया कि वह अधिकाधिक दण्ड देगा ।

पंडित जी० बी० पन्त : मेरे विचार में वर्तमान उपबन्ध काफी है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राधा रमणका संशोधन मतदान के लि रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १०—(हिसाब किताब न रखने या न देने पर दंड)

श्री डाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ३ में—

(१) पंक्ति २३ में–"punishable" ("दण्डनीय") के बाद निम्नलिखित रखा जाय: "with imprisonment which may extend to one month or,, ["कारावास का जो कि एक महीन तक हो या']', और

(२) पंक्ति २४ में— "rupees" ("रुपयों") के बाद "or with both" ("या दोनों का") रखा जाये ।

खण्ड १० के बारे में हाशिये में यह टिप्पणी दी हुई है "हिसाब किताब न रखने या न देने पर दण्ड" । यह भ्रममूलक है क्योंकि इस खण्ड में गलत हिसाब देने पर भी दण्ड की व्यवस्था है। मेरा निवेदन यह है कि यह अधिक बड़ा अपराध है और इस के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ के अन्तर्गत ७ साल तक की सजा दी जा सकती है। इसलिये गलत हिसाब दिये जाने की दशा में न्यायालय को यह शक्ति होनी चाहिय कि वह चाहे तो जुर्माना और कारावास–ये दोनों दण्ड दे सकें ।

पंडित जी० बी० पन्त : हाशिये में दी गई टिप्पणी खण्ड का अंग नहीं है। यह तो केवल यह बताती है कि खण्ड में क्या दिया गया है। यह व्यापक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि गलत हिसाब देनें के लिये दण्ड संहिता में कड़े दण्ड का उपबन्ध है। वह चाहते हैं कि एक महीना कारावास का दण्ड दिया जाये ।

पंडित जी० वी० पन्त : वह कारावास का उपबन्ध रख कर खुश हैं तो ऐसा कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३ में—

(१) पंक्ति २३ में—"punishable' ("दंडनीय") के बाद निम्नलिखित रखा जाये।:

"with imprisonment which may extend to one month or" ["कारावास का जो कि एक महीने तक का हो या"]; और

(२) पंक्ति २४ में--

"rupees" ["रुपयों"] के बाद "or with both" ["या दोनों का"] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ११--अन्य अपराधों के लिए दंड)

पंडित जी० बी० पन्त : खंड ११ का एक संशोधन है ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

पृष्ठ ३, पंक्ति २७ में--

"in contravention of the provisions of this Act." ["इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके"] शब्दों के स्थान पर यह रखा जाये :

"except in accordance with a licence given under the provisions of this Act" ["सिवाये इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार"]

इस से अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या क्या है ?

श्री एस० सी० सामन्त : यह नया संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं ।

"except in accordance with a licence given under the provisions of this Act." ["सिवाये इन अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार"] और "or in contravention of the provisions of this Act." ["या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके"] दोनों रह सकते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे विचार में "in contravention of the provisions of this Act." ["इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके"] शब्द ही पर्याप्त रहेंगे ।

पंडित जी० बी० पन्त : बात वास्तव में यह है । यह अधिनियम पाकिस्तान या बर्मा में लागू नहीं हो सकता । यदि कोई पत्र वहां से निकलता है तो हम उसके विरुद्ध इस आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते कि यह इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है, क्योंकि इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू नहीं होते । अत: इस शंका को दूर करने के लिये मैं इन शब्दों को पसन्द करता हूं :"except in accordance with a licence given under the provisions of this Act" ["सिवाये इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार"]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा ख्याल है कि "in connection with any prize competition promoted or conducted in contraventions of such provisions ["ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करके प्रवर्तित या संचालन की गई किसी पुरस्कार प्रतियोगिता के सम्बन्ध में"] शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पंडित जी० बी० पन्त : ये शब्द अधिक व्यापक हैं । अत: यह रह जाने चाहियें ।

श्री एस० एस० मोरे : किसी ऐसे देश में जहां यह अधिनियम लागू न हो, संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करती है ।

पंडित जी० बी० पन्त : इसी कठिनाई को दूर करने के लिये तो मैं यह कह रहा हूं कि ये शब्द रहने चाहियें : "If any person with a view to the promotion or conduct of any prize competition except in accordance with a licence given under the provisions of this Act." ["यदि कोई व्यक्ति किसी पुरस्कार प्रतियोगिता के प्रवर्तन या संचालन की दृष्टि से, सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार"]

श्री एस० एस० मोरे : इस उपबन्ध से भी कठिनाई दूर नहीं होगी ।

पंडित जी० बी० पन्त : क्यों नहीं ?

श्री एस० एस० मोरे: अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) ऐसे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को दी जायेगी जहां पर अधिनियम लागू होता हो ।

पंडित जी० बी० पन्त : उसके विरुद्ध हम धारा ११ के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय ; अब मैं श्री एस० सी० सामन्त का संशोधन , परिवर्तित रूप में, मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति २९ में—

"provisions" ["उपबन्ध"] के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Or except in accordance with a licence given under the provisions of this Act" ["या सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित जी० बी० पन्त : यदि आप इस संशोधित खंड में कोई शब्दिक संशोधन और करना चाहें तो कर सकते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा प्रस्ताव है कि उपखण्ड (घ), (ङ), (च) और (छ) शब्द "Knowingly" ["जान बूझकर"] बढ़ा दिया जाये ।

होता यह है कि अनुज्ञप्ति दिल्ली में या किसी अन्य स्थान में दी जाती है । यह अपराध ऐसे हैं जो हो सकता है कि दिल्ली से बहुत दूर कलकत्ता, बम्बई या किसी अन्य स्थान में किये गए हों । जब तक कि कोई व्यक्ति दिल्ली न आये और स्वयं अनुज्ञप्ति को न देखे या इस बात का पता न लगाय कि वह अनुज्ञप्ति निलम्बित तो नहीं कर दी गई या वापस तो नहीं ले ली गई है वह इस अपराध का उत्तरदायी बन जायेगा । यदि वह उस व्यक्ति का विश्वास कर ले तो भी वह उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा । मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि यदि किसी काम के करने के लिए किसी को अपराधी ठहराया जाये तो सापराध इच्छा का होना आवश्यक है । उसने जान बूझ कर कोई अपराध किया हो या किसी से कराया हो तभी वह विधि के अनुसार अपराधी ठहराया जावे । मैं चाहता हूं कि किसी बेगुनाह व्यक्ति को परेशान न किया जाये । मानलीजिये कि कोई व्यक्ति कलकत्ते के किसी पत्र में कुछ प्रकाशित कराता है तो स्वभावतः ही वह अन्य व्यक्तियों को टिकट कूपन इत्यादि के विक्रय अथवा वितरण के लिये लिखने को प्रोत्साहित करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की जेब में टिकट तभी जायेगा जब कि वह उसे दाम देकर खरीदेगा ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : जो अपराधी बनाया जाये उसे यह ज्ञात होना चाहिये कि उस ने अमुक काम किया है जो कि अपराध है । मान लीजिये कि मैं सुगम वर्ग पहेली का विज्ञापन करना चाहता हूं । मैं उसे बम्बई के एक व्यक्ति के पास भेज देता हूं और उस से कहता हूं कि वह उसे अपने पत्र में विज्ञापित कर दे । तो जो प्रकाशक है या इस काम को करता है उसे यहां आकर यह पता लगाना चाहिये कि मेरे पास अनुज्ञप्ति है या नहीं है और मेरी अनुज्ञप्ति निलम्बित तो नहीं कर दी गई है । मान लीजिये कि मेरे पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं है परन्तु मेरे कहने पर विश्वास कर के वह उसे प्रकाशित कर देता है या उस का विज्ञापन करता है तो वह अपराधी हो जायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं समझता हूं कि विधि के अनुसार "मुद्रण और प्रकाशन" का एक विशेष अर्थ होता है और मुद्रणा में ही भाव विहित है कि मुद्रक ने सब बातों की जांच कर ली है । इसलिये 'जान बूझ कर' का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है । यदि यह शब्द 'जान बूझ कर' यहां रख दिये जायेंगे तो इसका अर्थ वह नहीं होगा जो कि सामान्य विधि के अनुसार "मुद्रणा और प्रकाशन" से अपेक्षित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझता हूं इस विधि के अनुसार अपराधी वही होगा जो इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किसी को इस में भाग लेने के लिये प्रेरित करता है । मान लीजिये उत्तर प्रदेश में कोई इसे प्रकाशित करता है तो वह इस अधिनियम की पकड़ में नहीं आयेगा । यदि दिल्ली का कोई व्यक्ति वहां जा कर इस का टिकट या कूपन ले आता है तो अपराधी वह होगा । यदि हम वास्तव में ऐसा विधान बनाना चाहते हैं जो इस पर कड़ाई के साथ नियंत्रण रखे तो इस में ऐसी बोलें, जैसी कि इस प्रकार के शब्दों को स्थान देने से उत्पन्न हो जायेंगी, रखने से कोई लाभ नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो कार्य प्रवर्तक या उस के सहयोगी द्वारा किये गये हों उन के लिये तो इस में कोई आपत्ति की बात नहीं है परन्तु उन व्यक्तियों के लिये वास्तव में इस में आपत्ति का विषय है जिन को कुछ पता भी नहीं होता है, और फिर भी उन को इस शब्द-जाल में फांस लिया जाता है । ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिये मैं ने यह संशोधन रखा है । यह ठीक है कि किसी भी अपराध को रोकने के लिये उस से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को फांसा जाना चाहिये परन्तु यह उचित नहीं है कि उन व्यक्तियों को भी फांसा जाये जो बिल्कुल बेगुनाह हैं और जिन को बहुत दूर रहने के कारण इन बातों का पता लगाना असम्भव है ।

पंडित जी० बी० पन्त : जहां शब्द "जान बूझ कर" की आवश्यकता थी वहां इसे पहले ही रख दिया गया है । यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को मंगाता है या भेजता है तो समझा यह जाता है कि उस ने "जान बूझ कर" ऐसा किया है । यदि वह चाहे तो यह साबित कर सकता है कि वह किसी जाल का शिकार हो गया था या वह धोखे से फांस लिया गया था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सिद्ध कर देने पर भी उसे छोड़ा नहीं जायेगा क्योंकि उस का क्रियात्मक भाग अपराध है ।

पंडित जी० बी० पन्त : यदि शब्द "जान बझ कर" रखा जायेगा तो बहुत से लोग जो जान बूझ कर अपराध करने वाले है वह भी यही कहेंगे कि उन को पता नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ११ का जो भाग हम पारित कर चुके हैं उस से संबंधित सरकारी प्रारूपक का तयार किया हुआ प्रारूप मेरे पास है। संशोधन स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा परित्राण भी होना चाहिये। इसे आरम्भ में, मध्य में या अन्त में स्थान दिया जाये उस पर विचार किया जायेगा । और यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष को यह अधिकार दे दिया जायेगा कि वह उसे उचित स्थान पर रख दे ।

पंडित जी० बी० पन्त : सभा की ओर से प्रार्थना की जाती है कि आप जैसा उचित समझें करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ संशोधित रूप में विधेयक का अग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२—(निगमों द्वारा अपराध)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने, अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक में स्वयं ही दो संशोधन किये थे जो बिल्कुल यही संशोधन थे जो कि मैं ने रखे हैं । ऐसे कार्यों के लिये उत्तरदायित्व केवल ऐसे ही व्यक्ति पर रखा जा सकता है जो समवाय का हो और जो इस के लिये उत्तरदायी हो । प्रायः उपेक्षा को अपराध नहीं माना जाता है । अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक में भी उपेक्षा को अपराध नहीं बनाया गया था । हम समवाय विधेयक पास कर चुके हैं और जो भी प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध निदेशक इत्यादि होंगे वे वही होंगे जिन को सरकार मंजूर करेगी । समवाय किसी को भी अवैध कार्य करने का अधिकार नहीं देता है । तब फिर मीलों दूर बैठे हुए अंशधारियों को अकारण ही क्यों फांसा जाये ? इसलिये "समवाय भी" तथा "जिस का कारण उस के द्वारा की गई उपेक्षा हो सकती हो" यह वाक्यांश निकाल दिये जायें । जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं उन्हें दण्ड दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है वह समवाय की ओर से काम कर रहा हो ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : समवाय कभी किसी को अवैध काम करने का प्राधिकार नहीं देता है । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि प्रभारी व्यक्ति भी जिम्मेदार नहीं बनाये जा सकते हैं जब तक कि उन के विरुद्ध अपराध साबित न कर दिया जाये । यह तो हम एक अपवाद बना रहे हैं ।

श्री राने (भुसावल) : समवाय रुपया कमाता है इसलिये इन शब्दों का रखा जाना आवश्यक है ।

पंडित जी० बी० पन्त : यह ऐसे समवाय नहीं हैं जिन को अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं । यह तो एक व्यक्ति वाले समवाय हैं ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : मैं उपेक्षा के संबंध में माननीय मंत्री के विचार जानना चाहता हूं । उपेक्षा को अपराध कैसे बनाया जा सकता है । खण्ड १२ के उपखण्ड (२) के अन्तर्गत सहमति या चश्मपोशी के लिये दण्ड दिया जाये तो मैं उसे ठीक समझ सकता हूं । सापराध इच्छा होने मात्र से ही कोई कार्य दण्डनीय हो सकता है । उपेक्षा का अर्थ है कि उस ने परिणाम पर विचार नहीं किया .....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी व्यक्ति को अपनी भूमि पर कोई व्यक्ति मरा हुआ मिले, तो क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार

थान में उसकी रिपोर्ट करना उस का कर्तव्य नहीं है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : सापराध इच्छा का हमेशा ही होना आवश्यक होता है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है । मैं समझता हूं पंडित ठाकुर दास भार्गव के तर्क में भी बहुत कुछ सच्चाई है । हो सकता है कि कोई निदेशक बहुत दूर रहता हो और उस का इस अपराध से कोई भी संबंध न हो, तो उसे अपराधी कैसे बनाया जा सकता है । उपेक्षा निश्चय ही कोई अपराध नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : चश्मपोशी या सहमति के सम्बन्ध में मैं इस तर्क को मान सकता हूं परन्तु जहां तक उपेक्षा का सम्बन्ध है प्रतिनिधायी उत्तरदायित्व को यहां तक लागू करना उचित नहीं है कि जो व्यक्ति उस स्थान पर न भी हो उस को जिम्मेदार बनाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में क्या हर्ज है जो हम यह कहें कि "जानकारी में या चश्मपोशी से किया गया हो ।" जानकारी होना ही पर्याप्त है, समवायों में प्रतिनिधायी उत्तरदायित्व तो होता ही है ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं इतना मान सकता हूं कि शब्द "any" ["कोई"] के स्थान पर शब्द "gross" ["नितान्त"] रखा जाये यानी जहां उपेक्षा है वहां "नितान्त उपेक्षा" कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने अभी अभी एक संशोधन रखा है ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ ४, पंक्ति ३३ में

शब्द "any neglect" ["किसी उपेक्षा"] के स्थान पर शब्द "gross neglect" ["नितान्त उपेक्षा"] रखा जाय ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३३ में,

शब्द "any neglect" ["किसी उपेक्षा"] के स्थान पर शब्द "gross neglect" ["नितान्त उपेक्षा"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नवीन खंड १२क

श्री राने ने अवैध रसीदों अथवा आय को जब्त करने के लिये एक नया खण्ड १२ क बढ़ाये जाने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया ।

पंडित जी० बी० पन्त : इस के लिये पुराना खंड ही पर्याप्त है । एक नये खंड की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहे हैं ।

खण्ड १३ के सम्बन्ध में और कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४—(प्रवेश करन तथा तलाशी लने का अधिकार)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति २१ के अन्त में जोड़ दिया जाये :

"Who are concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned with the user of such premises for purposes connected with or with the promotion or conduct of any prize competition in contravention of the provisions of this Act."

["जो कि किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध है जो किसी ऐसे स्थान को इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी पुरस्कार प्रतियोगिता के लिये अथवा उस के प्रवर्तन अथवा संचालन से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये काम में लाता है, अथवा जिस के विरुद्ध कोई युक्ति-युक्त शिकायत की गई है, अथवा कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है अथवा उस स्थान के प्रयोक्ता से सम्बन्ध रखने के बारे में पर्याप्त सन्देह विद्यमान है।"]

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति २५ में शब्द "searches" ["तलाशियां"] के बाद "and arrests" ["और गिरफ्तारियां"] शब्द रखे जायें ।

खण्ड १४ द्वारा एक पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता होने पर किसी स्थान विशेष में बलात प्रवेश कर के तलाशी ले सकता है और जो लोग वहां हों उन्हें गिरफ्तार कर सकता है । मैं इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है तथा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के विरुद्ध है । उस स्थान पर कोई अतिथि भी हो सकते हैं, तथा उन के बच्चे भी वहां हो सकते हैं इस खण्ड के अन्तर्गत उन सब को गिरफ्तार किया जा सकता है । इसलिये मैं ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५४ के शब्द यहां रखे हैं । इन का उद्देश्य यह है कि गिरफ्तारी केवल उन्हीं लोगों की हो जो कि इस काम के संचालन अथवा सम्वर्धन में सम्मिलित हों । मैं यह नहीं चाहता कि यों ही ऐसे लोगों को जो बेगुनाह हों पकड़ा धकड़ा जाये । इस के साथ ही बेईमान पदाधिकारी इस का दुरुपयोग भी कर सकते हैं ।

धारा ६३ के बारे में मैं चाहता हूं कि इस में "गिरफ्तारियां" शब्द जोड़ा जाये ताकि यह दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप हो जाये ।

पंडित जी० वी० पन्त : मैं समझता हूं कि यदि पंडित भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो सम्भवतः शब्द "ऐसा" हटाना पड़ेगा । इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यह इस प्रकार हो जायेगा ". . . . . उन तमाम व्यक्तियों को जो कि सम्बन्धित हैं, गिरफ्तार करे और दण्डाधिकारी के सामने पेश करे. . . . ." । इस के बाद यह वैसे ही होगा जैसा कि आप ने संशोधन में दिया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह धारा किसी स्थान की तलाशी से सम्बन्धित है । वहां पर होने वाले सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है । यदि "ऐसा" शब्द न रखा गया तो इस का अर्थ यह होगा कि किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर गिरफ्तार किया जा सकता है ।

पडित जी० वी० पन्त : यदि आप इसे ठीक समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि गिरफ्तारी से सम्बन्धित उपबन्ध भी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही हों । तलाशी भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिये ।

पंडित जी० बी० पन्त : सरकार ऐसा कैसे कर सकती है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आप शब्द "कोई" रखेंगे तो यह ठीक नहीं होगा । तलाशियां तथा गिरफतारियां उन्हीं उपबन्धों के अनुसार की जानी हैं ।

पंडित जी० बी० पन्त: कतिपय मामलों में जैसे कि जुए के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है गिरफ्तारियां सदैव दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार की जाती हैं । यह व्यर्थ है—बात यह नहीं है कि मैं इस का विरोध करता हूं बल्कि यह कि इस का कोई अर्थ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा । यहां यह कहा गया कि अन्त में जोड़ा जाये, किन्तु अन्त में यह नहीं रखा जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह "गिरफ्तार करने. . . . . ." के बाद आना चाहिये । मैं ने गलती की है । "दंडाधिकारी के सामने पेश करे" शब्द बाद में आने चाहियें ।

पंडित जी० बी० पन्त : इस से बहुत भद्दा प्रतीत होगा । पंक्ति २१ में "ऐसे व्यक्ति तथा" के स्थान पर "ऐसे व्यक्ति जो सम्बद्ध है" शब्द रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति २१ में "such persons" ["ऐसे व्यक्तियों"] के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"As are concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of their having been concerned with the user of such premises for purposes connected with or with the promotion or conduct of any prize competition in contravention of the provisions of this Act."

["जो किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध है, जो किसी ऐसे स्थान को इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी पुरस्कार प्रतियोगिता के लिये अथवा उस के प्रवर्तन अथवा संचालन से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये काम में लाता है, अथवा जिस के विरुद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है, अथवा कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है अथवा उस स्थान के प्रयोक्ता से सम्बन्ध रखने के बारे में पर्याप्त सन्देह विद्यमान है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या ६३ आता है ।

पंडित जी० बी० पन्त : गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार होती हैं । तलाशियां पुलिस पदाधिकारी कभी कभी स्वयं कर लेते हैं । इस में यह सुझाव है कि उस के लिये अधिपत्र की आवश्यकता होगी । इसलिये यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं क्योंकि पहला संशोधन स्वीकार कर लिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १५—(पुरस्कार प्रतियोगिताओं वाले पत्रों तथा प्रकाशनों की जब्ती)

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५, पंक्ति २८ तथा २९ में "in contravention of the provisions of this Act ["इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल"] के स्थान पर, यह रखा जाये :

"Except where such competition is promoted or conducted in accordance with the licence given under this Act."

["उस के अतिरिक्त जहां ऐसी प्रतियोगिता इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार प्रवर्तित अथवा संचालित की जाती हो ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

पंडित जी० बी० पन्त : यह वास्तव में यहां आता है । "यदि किसी पत्र अथवा अन्य प्रकाशन में पुरस्कार प्रतियोगिता हो" तो उसके बाद यह होना चाहिये "इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसरण प्रवर्तित अथवा संचालित ।"

उपाध्यक्ष महोदय : तो "इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल" ये शब्द तो रहेंगे ।

पंडित जी० बी० पन्त : नहीं श्रीमान् । यह शब्द हटा दिये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं समझता हूं कि सभा पुनः प्रारूपित रूप में इस संशोधन को स्वीकार करती है । अध्यक्ष को इसे बाद में पुनः प्रारूपित करने के लिये अधिकृत किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६—(अपीलें)

श्री कामत और श्री एस० वी० एल० नरसिंहन् ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री कामत: माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि क्योंकि सभा तो पुरस्कार प्रतियोगिताओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये तैयार है इसलिये हमें राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देनी चाहियें । यदि इसी तर्क को हम मद्यनिषेध के मामले में रखें तो बहुत से राज्य पूर्ण मद्य निषेध चाहते हैं । किन्तु हम ने उस सम्बन्ध में यह उपबन्धित किया है कि वहां अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों का पुनरीक्षण न्यायपालिका करे । इसी प्रकार यदि कहीं गोली कांड के बारे में जांच किये जाने का सभा विरोध करती हो तो क्या वहां न्यायिक जांच नहीं करानी चाहिये ? इसलिये यह तर्क कि इस मामले में न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप किया जाये, उपयुक्त नहीं है ।

हम सब यहां सट्टे का विरोध करते हैं । इस से जो हानि होती है उस से भी हम परिचित हैं । इस पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता ? इसलिये जब तक कोई विधि है, उस के विरुद्ध निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार न्यायपालिका

को होना चाहिये । इस समय तो विधि के अनुसार १,००० रु० तक की पुरस्कार प्रतियोगिताओं की आज्ञा है,—इस समय सभा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना नहीं चाहती । यदि सरकार यहां पूण प्रतिबन्ध का प्रश्न लेकर आती तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था । किन्तु अब चूंकि हम ने केवल कुछ सीमा तक कमी की है और अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकार स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकता है, इसलिये यह आवश्यक है कि न्याय की दृष्टि से अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिये राज्य सरकार में नहीं ।

राज्य सरकारें स्वेच्छापूर्वक कार्यवाही कर सकती हैं । जनता की जितनी श्रद्धा उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में है उतनी राज्य सरकारों में नहीं है । उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि अभी बम्बई विधान-सभा में वहां के मुख्य मंत्री ने एक गोलीकांड के बारे में कहा था कि उस विषय में न्यायपालिका द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

वहां भी सरकार ने कुछ लोगों पर इस दंगे के कारण अभियोग चलाये । वहां के दण्डाधिकारी ने उन को छोड़ दिया है और कार्यपालिका के कार्य के विरुद्ध अपने निर्णय में असंतोष प्रकट किया है । इस से मेरा आशय यह है कि राज्य सरकारें स्वेच्छापूर्वक कार्यवाही भी कर सकती हैं । इसलिये जब तक यह विधि है तब तक न्यायपालिका को ही पुनरीक्षण का अधिकार दिया जाये ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं समझता हूं कि श्री कामत का अपनी गरिमा में इस से अधिक विश्वास है जितने से कि वह अब इन्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस कार्य का अनुभव है । उन्हें स्वयं इस का अनुभव है और मुझे विश्वास है कि यह काम स्वेच्छापूर्वक तथा अन्यायपूर्ण ढंग से नहीं किया जायेगा । मैं समझता हूं कि उन्हें सहकारियों पर भरोसा करना चाहिये ।

श्री कामत : मैं यहां विधान मंडल में हूं ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं आप को आप के भूतकाल का स्मरण दिला रहा हूं । उच्च-न्यायालयों में पहले ही बहुत अधिक काम है और यदि यह साधारण मामले भी उन्हें सौंप दिये गये तो उन के पास बकाया काम बहुत हो जायेगा । किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मामलों का निपटारा शीघ्र ही हो तो इस प्रणाली का भी परीक्षण कर लिया जाये ।

श्री कामत : केवल परीक्षण ही के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७ से १९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २०—(नियम बनाने के अधिकार)

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति १४ में शब्द "application" ["आवेदन पत्र"] के स्थान पर, शब्द "licence" ["अनुज्ञप्ति"] रखा जाये ।

खण्ड २० के द्वारा सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं । इसी खण्ड के उपखण्ड (२) के अधीन एक अधिकार यह भी दिया गया है कि सरकार अनुज्ञप्तियों के आवेदनों तथा शुल्क के फार्म के बारे में भी नियम बना सकती है । इस प्रकार संविधान

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

के अनुच्छेद ११० के अधीन यह एक वित्त विधेयक हो जायेगा और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है ।

अनुच्छेद ११० के अधीन शुल्क तथा अनुज्ञप्तियों के लिये कतिपय विमुक्तियां हैं । इस का अर्थ यह है कि उपखण्ड (४) और खण्ड ६ के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियों के लिये शुल्क सम्बन्धी की विमुक्ति है । किन्तु मैं उस शुल्क के बारे में कह रहा हूं जिसे अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के लिये दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर वसूल किया जायेगा । यदि यह शुल्क इस दृष्टि से ली जाती है कि उस के बदले में उन्हें कोई सेवा दी जायेगी तो दूसरी बात है अयन्था यह एक कर बन जाती है ।

उपाध्यश्र महोदय : क्या अनुज्ञप्तियां सेवाओं के अधीन नहीं आती हैं ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यहां पर तो यह प्रश्न है कि आवेदन करने पर जो शुल्क लिया जायेगा वह एक प्रकार का कर है । उच्चतम न्यायालय ने अभी मद्रास न्यास सम्बन्धी मामले आदि जैसे कई मामलों में हाल ही में निर्णय दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या आवेदन पत्रों पर लिया जाने वाला शुल्क अवैध घोषित किया गया था ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : ५ प्रतिशत के एक उपकर को कर माना गया था क्योंकि इस के बदले में कोई सेवायें नहीं दी जानी थीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो अनुज्ञप्तियों के आवेदनों पर लिये जाने वाले शुल्क के बारे में कह रहा हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरी प्रार्थना यह है कि अनुज्ञप्ति के लिये लिये गये शुल्क के बारे में तो विमुक्ति है किन्तु अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन देने पर जो शुल्क लिया जायेगा वह स्वयं एक प्रकार का कर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

पंडित जी० बी० पन्त: मैं तर्कों को ठीक प्रकार से समझा नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पृष्ठ ६ पर खण्ड २० के उपखण्ड (२) को देखें । संविधान के अनुच्छेद ११० के अधीन किसी वित्त विधेयक के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है । उसमें कुछ शुल्कों के संबंध में विमुक्ति भी दी गई है । माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि आवेदन पत्रों पर शुल्क नहीं होना चाहिये । वह चाहते हैं कि "आवेदन शुल्क" के स्थान पर "अनुज्ञप्ति शुल्क" आदिष्ट किया जाये ।

पंडित जी० बी० पन्त : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति १४ में "application" ["आवेदन पत्र"] के स्थान पर शब्द "licence" ["अनुज्ञप्ति"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

***खण्ड २० संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

खण्ड १—(विधेयक का नाम आदि)

पंडित जी० बी० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में शब्द "Bombay" ["बम्बई"] के बाद

*सभा द्वारा खण्ड २० के उपखंड (२) के भाग (ख) के बारे में दिये गये संशोधन की दृष्टि से "ऐसे शुल्क जिनका भुगतान करने पर" शब्द व्यर्थ थे और उन्हें अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार, प्रत्यक्ष गलती समझ कर, हटा दिया गया ।

Madras, Orissa, Uttar Pradesh, Hyderabad, Madhya Bharat" ["मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत"] रखे जायें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस प्रकार संशोधित रूप में इस खण्ड से यह प्रकट होगा कि अब चार राज्यों के स्थान में आठ राज्य होंगे । यह सच है कि किसी विधि की मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले न्यायालय उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को नहीं देखते हैं—इसी प्रकार सामान्यतः वह प्रस्तावना को भी नहीं देखते हैं ।

प्रस्तुत खण्ड की रचना ऐसी है कि यह प्रतीत होता है कि यह सूची संख्या दो की मद संख्या ३४ के अधीन आता है । परन्तु एक ओर तो हम यह कहते हैं कि यह बुद्धि और निपुणता का प्रश्न है और इस प्रकार यह सूची संख्या २ की मद संख्या ३४ के अधीन नहीं आता है । अतः यह प्रस्तावना असंगत ठहरती है । इस प्रकार से यह विधि उपबंधों से शक्ति परस्तात् होगी, अतः इस विधि को बनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है । इसलिये अच्छा यही है कि हम इस उपबन्ध को निकाल ही दें जो यह कहता है कि यह विधि केवल कुछ एक राज्यों पर ही लागू होगी । मेरा सुझाव यह है कि यह विधि सारे देश पर ही लागू हो नहीं तो हम से वकीलों की बात आयेगी और और विधि विरोधी कार्यवाहियां की जायेंगी । अतः यह विधि समस्त भारत पर लागू की जाये ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं इस के बारे में पहले भी बता चुका हूं । इस भाग को छोड़ देना और इसे सारे भारत पर लागू करना हानिकारक सिद्ध होगा । हम ने एक विशेष मार्ग का अवलम्बन लिया है । और हमारे विधि वेताओं ने हमें बताया है कि यही मार्ग सर्वोत्तम है । इसलिये हमें विधेयक की योजना पर दृढ़ रहना ही हो होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में "Bombay" ["बम्बई"] के बाद "Madras, Orissa, Uttar Pradesh, Hyderabad, Madhya Bharat" ["मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत"] रखे जायें ।

पंडित जी० बी० पन्त : और "Pepsu" ["पैप्सू"] के बाद "Saurashtra" ["सौराष्ट्र"] भी ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । मैं इसे संशोधित रूप में प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में (१) "Bombay" ["बम्बई"] के बाद "Madras, Orissa, Uttar Pradesh, Hyderabad, Madhya Bharat" ["मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत"] और (२) "Patiala and East Punjab States Union" ["पटियाला, तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ"] के पश्चात् "Saurashtra" ["सौराष्ट्र"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १५

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावना पर विचार करने से पूर्व मैं खण्ड १५ के पुनर्प्रारूप को पढ़ कर सुनाये देता हूं ।

पृष्ठ ५ की पंक्ति २८ और २९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"competition promoted or conducted in contravention of the provisions of this Act or in ccordance with the provisions of a licence under this act or any advertisement in relation thereto"

["इस अधिनियम के उपवन्धों के प्रतिकूल अथवा इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति के उपबन्धों के अतिरिक्त, अथवा इस के सम्बन्ध में किसी विज्ञापन के बिना प्रवर्तित अथवा संचालित प्रतियोगिता"]

मैं समझता हूं कि इसे सभा का समर्थन प्राप्त है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

खंड ११

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ११ के बारे में भी सभा द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि संशोधन ६५ में भी आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे । परिवर्तन किये गये हैं और उस का पुनर्प्रारूप मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं ।

पृष्ठ ३ की २६ से २९ तक की पंक्तियों के स्थान पर यह रखा जाये :

11. If any person with a view to the promotion or conduct of any prize competition except in accordanc with the provisons of a licence under this Act or in contravention of the provisions of this Act or in connection with any prize competition promoted or conducted except in accordance with such provisions"

["११. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसरण के अतिरिक्त अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल अथवा ऐसे उपबन्धों के अनुसरण के अतिरिक्त प्रवर्तित अथवा संचालित किसी पुरस्कार प्रतियोगिता प्रारम्भ करने की दृष्टि से कोई पुरस्कार प्रतियोगिता प्रवर्तित अथवा संचालित करता है. . . . . "]

मैं समझता हूं कि इसे सभा का समर्थन प्राप्त है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

प्रस्तावना आदि

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावना के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में (१) "Bombay" ["बम्बई"] के बाद "Madras, Orissa, Uttar Pradesh, Hyderabad, Madhya Bharat" ["मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत"] और (२) "Patiala and East Punjab States Union" ["पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ"] के बाद "and Saurashtra" ["और सौराष्ट्र"] रखा जाये ।

—[पंडित जी० बी० पन्त

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावना संशोधित रूप में,, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधयक में जोड़ दिये गये।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

हम ने पहले ही पर्याप्त समय ले लिया है। मैं अब और समय नहीं लेना चाहता। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा १६५५-५६ के सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेगी। मैं प्रत्येक मांग को बारी बारी से लूंगा और इन मांगों तथा कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि नीति विषयक मामलों से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक कि मांग किसी ऐसे विषय के लिये न हो जिसे आयव्ययक में सम्मिलित नहीं किया गया था ।

दूसरी बात यह है कि मितव्ययता सम्बन्धी कटौतियों के बारे में पर्याप्त कारण बताये जाने चाहियें और यह भी बताया जाना चाहिये कि बचत कैसे की जा सकती है ।

तीसरी बात यह है कि सभा का ध्यान किसी मामले विशेष की ओर आकर्षित करने के हेतु सांकेतिक कटौतियां प्रस्तुत की जाती हैं । परन्तु नीति विषयक मामलों पर ऐसे कटौती प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते हैं ।

इन माप दण्डों के अनुसार तो ये कटौती प्रस्ताव नियमित नहीं हैं। मेरा यही अस्थायी विनिर्णय है कि यह कटौती प्रस्ताव नियमित नहीं हैं ।

मांग संख्या २२	कटौती प्रस्ताव संख्या २७
मांग संख्या २५	" ३१
मांग संख्या ६१	" ३४
मांग संख्या १३८	" ३८

जब तक सदस्य इनके पक्ष में अपने तर्क उपस्थित नहीं करते तब तक मैं इन्हें अनियमित घोषित करता हूं ।

मांग संख्या २२—वैदेशिक-कार्य

वर्ष १६५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की यह मांग* प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२२	वैदेशिक कार्य	२०,६०,००० रुपये

मैं जानना चाहता हूं कि इस मांग पर कौन कौन से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं —

कटौती प्रस्ताव संख्या १

श्री रामचन्द रेड्डी (नेलोर) : मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तावित कटौती प्रस्ताव संख्या २६ तथा २७ ।

श्री एस० एल० सक्सेना : यह धन राशि कम्बोडिया के अकाल पीड़ितों को ५०००

*राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत की गई ।

[श्री एस० एल० सेक्सेना]

टन चावल भेजने के लिये निश्चित की गई है। मैं इस का समर्थन करता हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे पड़ौसी देश नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिये भी इतनी ही धन राशि निर्धारित की जाये। इसलिये मैं ने यह सांकेतिक कटौती प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बड़ा विचित्र सा कटौती प्रस्ताव है। नेपाल की सहायता तो की जानी चाहिये। परन्तु कम्बोडिया की सहायता के लिये दी जा रही राशि की मांग पर कटौती प्रस्ताव किस लिये प्रस्तुत किया जा रहा है? यह तो एक नीति विषयक मामला है, इसलिये इस के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिये यह प्रस्ताव अनियमित है। माननीय सदस्य केवल कम्बोडिया के सम्बन्ध में ही बोल सकते हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं केवल कम्बोडिया के बारे में ही बोलूंगा। मुझे इस बात का हर्ष है कि कम्बोडिया के अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिये यह धन दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता और सहयोग के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी सहायता पड़ौसी देशों को दी जाये। हमारे देश के बाढ़ पीड़ितों को भी बाहर से इसी प्रकार की सहायता मिली है अब यह धन राशि अवश्य दी जानी चाहिये। परन्तु मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि ऐसे ही अनुदान नेपाल और भूटान जैसे पड़ौसी राष्ट्रों को भी दिये जायें।

राजस्व और रक्षा व्ययमंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं माननीय सदस्य को स्मरण करा दूं कि सरकार ने कुछ ही मास पूर्व नेपाल को भी ऐसा ही अनुदान दिया था।

श्री एस० एल० सक्सेना : मंत्री महोदय का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि हम न नेपाल की सहायता की है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर वर्षा के कारण इतनी भीषण बाढ़ें आई हैं कि उतनी सहायता पर्याप्त नहीं है। इसीलिये मेरा सुझाव है कि नेपाल को भी उतना ही अनुदान दिया जाये जितना कम्बोडिया को दिया जा रहा है।

मुझे इस बात का भी अत्यन्त हर्ष है कि नेपाल के राष्ट्रीय नेता डा० के० आई० सिंह को वापिस आने की अनुमति दे दी गई है। अब वह भारत के प्रति कटु नहीं हैं और मुझे आशा है कि वह नेपाल के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से भारत और नेपाल के सम्बन्ध नित्य प्रति अधिक से अधिक मित्रतापूर्ण बनते जायें। इसीलिये मैं ने यह सुझाव रखा है कि नेपाल की बाढ़ पीड़ित जनता की हमें अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिये।

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : इस मांग की आवश्यकता इसलिये उत्पन्न हुई कि कम्बोडिया में इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण चावल के उत्पादन में बहुत कमी हो गई है और इसी लिये भारत सरकार ने अपनी सद्भावना दिखाने के हेतु ५,००० टन चावल मुफ्त देने का निश्चय किया है। हम अन्य पड़ौसी देशों की भी आवश्यकतानुसार इसी प्रकार सहायता करेंगे।

यह एक अनावर्तक खर्च है। इस के लिये २०,६०,००० रुपयों की आवश्यकता है। आशा है कि यह मांग स्वीकृत की जायेगी।

श्री ए० सी० गुह : अन्य देशों की सहायता करने के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार भूटान और सिक्किम की सहायता करती रही है। भारत सरकार ने ब्रह्मा सरकार की भी कई अवसरों पर सहायता की है। हाल ही में हमने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की भी सहायता

की है। इस प्रकार से भारत सरकार पड़ोसी देशों की सहायता करती रही है। हम ने नेपाल की भी सहायता की है।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं इसे मानता हूं, परन्तु मैं चाहता हूं कि नेपाल को और अधिक सहायता दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह मांग-मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक मांग-संख्या २२ (वैदेशिक कार्य) मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या २४--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

वर्ष १९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह *मांग प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
२४.	वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधीन विविध व्यय	१,६०,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्यो इस मांग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२४	श्री कामत	चीन की सरकार के साथ दावों का निर्णय करने का प्रयत्न	१०० रुपये
२४	श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाना)	प्रत्यावासित भारतीय राष्ट्रजनों के न्यायोचित दावों के निपटारा करने में हुआ विलम्ब	१०० रुपये

श्री कामत : शंघाई की पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद् के भारतीय कर्मचारियों का प्रश्न बहुत देर से निलम्बित पड़ा हुआ है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैदेशिक कार्य उपमंत्री ने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में चीन की नई सरकार से बात चीत की जा रही है। मैं सभा-सचिव महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन भारतीय कर्मचारियों के दावों के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और चीन की सरकार का उनके दावों के प्रति कैसा रुख है ?

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा चीन की सरकार के साथ इतना मैत्रीपूर्ण संबन्ध होते हुए भी अभी तक इन दावों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। मैं सरकार से पूछना चाहता हुं कि चीन की सरकार इस छोटे से मामले का निर्णय करने में इतनी देर क्यों लगा रही है। हमारी सरकार तो चीन की सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिये कई प्रकार के प्रयत्न कर रही है, परन्तु यदि वह हमारे छोटे छोटे मामलों का भी निर्णय नहीं करती है तो हमारे इतने उदार होने से क्या लाभ है। प्रश्न यह है कि तिब्बत के सम्बन्ध में जब करार पर हस्ताक्षर किये गये थे तो क्या यह मामला चीन की सरकार के ध्यान में लाया गया था। यदि नहीं लाया गया था तो उस का क्या कारण था ? हम भारतीय राष्ट्र जनों से सम्बन्ध रखने वाले इस छोटे से मामले के सम्बन्ध में निर्णय क्यों न करा सके ?

मुझे यह शोक से कहना पड़ता है कि हम अपने वैदेशिक कार्यों में अन्य देशों के प्रति सीमा से भी अधिक उदार बन जाते हैं।

*राष्ट्रपति को अनुमति से प्रस्तूत को गई।

[श्री कामत]

प्रस्तुत मामला इस का जीता जागता उदाहरण है। यदि हम चीनी की सरकार से गम्भीरता पूर्वक यह मांग करते तो कोई कारण नहीं था कि यह कार्य न हो गया होता।

इसी प्रकार से हम पाकिस्तान को तो समय समय पर विभिन्न दावों का भुगतान करते रहे हैं परन्तु पाकिस्तान न ऐसा कभी भी नहीं किया है। अभी हाल ही में जम्मू और काश्मीर म निकोवाल में हुई दुर्घटना के लिये पाकिस्तान से प्रतिकर की मांग की गई थी परन्तु पाकिस्तान ने अभी तक कोई ध्यान तक नहीं दिया है।

जब हम चीन की सरकार के प्रति इतने उदार हैं तो उसे भी अपनी उदारता दिखानी चाहिये परन्तु उस ने भारतीय राष्ट्रजनों के दावों का अभी तक फैसला ही नहीं किया है। अत: मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्य-वाही करे और शंघाई नगरपालिका परिषद् के इन भूतपूर्व कर्मचारियों के इस मामले का शीघ्र ही निर्णय कराये।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : मैं आप को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चीन स्थित भारतीय राजदूत ने भारत की सरकार को ७ वा ८ लाख रुपये के लिये वाक्बद्ध कर दिया है। मैं नहीं जानता भारतीय राजदूत भारत सरकार को ऐसी वित्तीय वाक्बद्धता से बाध्य कर सकता है अथवा नहीं। यहां हमें उन भारतीयों को जिन की नौकरियां चली गई हैं प्रसादत: सत्यापित अध्यर्थना का २५ प्रतिशत अर्थात् १,६०,००० रुपये देने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है। परन्तु सरकार को इतनी राशि के लिये वाक्बद्ध करने से पूर्व उन्हें सरकार की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिय थी। क्या इस १,६०,००० रुपये के प्रसादत: अनुदान का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि शेष पांच लाख भी ारत की संचित निधि से ही निकाला जायगा? क्या शंघाई सरकार से रुपया प्राप्त होने पर इतनी राशि पुन: संचित निधि में डाल दी जायेगी? मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय राजदूत भारत सरकार को वित्तीय वाक्बद्धताओं में डाल सकता है? मेरे विचार में ऐसा करना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय राजदूत ने भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उसे ७ या ८ लाख रुपये के भुगतान के लिये वाक्बद्ध कर दिया है।

श्री एस० एल० सक्सना : मैं जब पिछले वर्ष चीन गया था तो मैं ने शंघाई में लगभग २०० भारतीय देखे थे। वे प्रसन्न नहीं थे। उन को अनेकों शिकायतें थी। वे भारत को पैसा नहीं भेज सकते थे। सम्भवत: वहीं की मुद्रा का विनिमय नहीं हो सकता है। वे भारत आना चाहते थे किन्तु वे अपनी सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकते थे और न ही अपने साथ भारत रुपया ला सकते थे। चीन के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। भारत सरकार को उस से बात चीत कर के वहां के भारतीयों के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिये। उन को एक और कष्ट खाद्य वस्तुओं का है। भारतीय अधिकतर तेल और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिन का वहां राशन है। भारतीयों के खाद्य स्वभाव के अनुसार उन के लिये कुछ परिवर्तन किये जाने चाहियें। चीन स्थित भारतीय राजदूत को इस सम्बंध में कार्यवाही करनी चाहिये। वहां के भारतीयों को भारत आने की अनुमति दी जाये। यहां ये लोग चीनी भाषा का ज्ञान होने के कारण अच्छे दभाषिये का काम कर सकत हैं

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : शंघाई में रहने वाले कतिपय भारतीयों को दी जाने वाली यह धन राशि कोई बड़ी राशि नहीं है । यह केवल डेढ़ लाख रुपये की राशि है । परन्तु मेरे विचार में यह विषय लगभग पिछले १२ वर्षों से चला आ रहा है । यह कई प्रकार से पिछली सरकार के सामने भी आया था और आज वर्तमान सरकार के सामने भी है । इसमें अन्तर्ग्रस्त धन राशि का इतना प्रश्न नहीं । किन्तु उनके समक्ष ऐसे ही अन्य प्रश्न अन्य कई देशों के सम्बन्ध में भी हैं । यह भारत और चीन के मध्य इस छोटी सी राशि का प्रश्न नहीं है । मेरा विचार है—परन्तु इस आशय के मेरे पास कोई तथ्य नहीं है—कि सरकार को ऐसे ही विषयों के सम्बन्ध में अन्य सरकारों से भी व्यवहार करना होता है । अतः जो कोई भी निश्चय वह करती है वह दूसरे मामलों पर भी लागू होते हैं इसीलिये इसमें इतना समय लग गया है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि चीन की सरकार यथा-सम्भव शीघ्र इस विषय का निपटारा करना पसन्द करेगी । हम अनेक अवसरों पर उसे इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाते आये हैं और हम तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक इस विषय में कुछ कार्यवाही नहीं की जाती है । चीन में बड़े भारी परिवर्तन हुये हैं । उन्होंने सर्वत्र उलट फेर ला दिया है । किन्तु क्योंकि वहां पर बहुत कम भारतीय अथवा भारतीय हित थे अतः उन परिवर्तनों का अपेक्षाकृत भारतवर्ष पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है । चीन स्थित दूसरे विदेशी हितों पर उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । माननीय सदस्य श्री एस० एल० सक्सेना ने अभी शंघाई में रह रहे २०० भारतीयों की बात कही है । मैं भी उनमें से अधिकांश से मिला था । उन्होंने ठीक ही कहा है कि वे लोग वहां अधिक प्रसन्न नहीं हैं । मेरे विचार में उनके पहले व्यवसायों और नौकरियों का समाप्त हो जाना इसका मुख्य कारण है । अब तो वे जैसे तैसे समय काट रहे हैं । यदि वे चाहें तो भारत आ सकते हैं । किन्तु वे आना नहीं चाहते हैं । वे वहीं पर रहना चाहते हैं क्योंकि वे वहां पर वर्षों से रह रहे हैं । उनका भारत में कोई आश्रय नहीं है । उनमें से अधिकांश बूढ़े हैं, कुछ तरुण भी हैं । जब वहां पर नियन्त्रण आदि है तब चीन की सरकार को उन्हें विशेष खाद्य वस्तुयें देना कठिन है । सभी अन्य देशों के व्यक्तियों को उसी भांति रहना पड़ता है । संभव है कि कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकें । हमारे राजदूत तथा शंघाई स्थित महा-समुपदेष्टा आदि इस विषय में वहां के शासक से बातचीत करते रहते हैं और उनको सहायता पहुंचाने के लिये प्रयत्न करते रहते हैं ।

श्री कामत : क्या भारतीय अपनी पुरानी नौकरियों अथवा प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन की पुरानी नौकरियां ? उन की अधिकांश पुरानी नौकरियों का तो आज अस्तित्व भी नहीं रहा है । उन नौकरियों के किसी दूसरे को दे दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है । उदाहरणार्थ उन में से बहुत से व्यक्ति अंग्रेजी शासन काल में पुलिस में थे । परन्तु अब स्पष्ट है कि चीन में भारतीयों को पुलिस में नहीं रखा जा सकता है । उस समय की और आज की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर आ गया है ।

श्री एस० एल० सक्सेना : उन्हें अपनी सम्पत्तियों को बेच कर यहां आने की अनुमति मिलनी चाहिये ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : भारतीय राजदूत ने आश्वासन दिया है कि वह वहां के सब भारतीयों को उन का धन मूल्य दे देंगे । उन्होंने यह कार्य भारत सरकार की सहमति से

[श्री एन० आर० मुनिस्वामी]

किया है अथवा नहीं इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस का धन मूल्य ?

श्री एन० आर० मनिस्वामी : अब हम जो प्रसादतः १,६०,००० रुपये दे रहे हैं उन्होंने उस के विषय में वहां भारतीयों को आश्वासन दे रखा कि वह रुपया उन्हें दे दिया जायेगा। क्या वह इस प्रकार पहले से ही भारत सरकार को वित्तीय वाक्बद्धता में डाल सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। भारतीय राजदूत ने उन्हें आश्वासन दिया है और हम उस आश्वासन को पूरा कर रहे हैं। यह हमारी ओर से किया गया था ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : क्या उन्होंने यह कार्य भारत सरकार की सहमति से किया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता। मेरा अनुमान है उन्होंने अवश्य अनुमति प्राप्त कर ली होगी ।

श्री एस० एल० सक्सेना : यह बहुत पहले १९४३ में प्राप्त की गई थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह आश्वासन कब दिया गया था ?

श्री ए० सी० गुह : साम्यवादी शासन के स्थापित होने से पहले और भारत के स्वतंत्र होने से पहले।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तब तो बहुत समय बीत गया है ।

सभापति महोदय : हम तो केवल उस आश्वासन को पूरा कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान चीनी सरकार ने हमें—अथवा रेडक्रास के द्वारा हमें—बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये तथा दूसरे कार्य के लिये इससे कहीं अधिक धन दिया है। अतः यह अन्तर्ग्रस्त धन की परिमात्रा का प्रश्न नहीं है, किन्तु मेरे विचार में यह दूसरे देशों के दावों से सम्बन्ध रखता है। कदाचित वह कोई पग नहीं उठाना चाहते हैं जो दूसरे देशों से उसका मनमुटाव कर दे। सम्भवतः इस में कोई ऐसी ही बात है ।

सभापति महोदय : मैं अब कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या २४ (वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय) मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह मांग* प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२५	वित्त मंत्रालय	३,८७,००० रु०

मांग संख्या २५ पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	अधीक्षक कर्मचारीवृन्द में कमी	६०,००० रुपये
श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा)	वर्तमान अतिरेक कर्मचारी-वृन्द से काम लेकर अधिक व्यय किये जाने की संभावना	१०० रुपये

* राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत की गई ।

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
श्री कामत	समवाय-विधि प्रशासन विभाग के लिए पदाधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति	१०० रुपये
श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम)	एक नये विभाग "समवाय विधि प्रशासन विभाग" की स्थापना	१०० रुपये

सभापति महोदय : ये कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : यह विभाग समवाय विधि के प्रशासन से सम्बन्ध रखता है । हम यह अनुभव करते हैं कि इस विभाग को इतना सुदृढ़ बनाया जाये जिस से कि यह अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सके । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पंजीयक पहले की भांति ही आय व्यय के विवरणों इत्यादि की पड़ताल करते रहेंगे अथवा इस कार्य के लिये यहां केन्द्र में एक बड़े अधीक्षक कर्मचारिवर्ग की आवश्यकता होगी । मंत्रालय ने जो टिप्पणी भेजी है उस में बहुत अधिक वेतन प्राप्त अधिकारियों की एक लम्बी सूची दी गई है । मेरे कहने का आशय यह है कि कुछ व्यक्तियों को बहुत अधिक प्राय: अत्याधिक वेतन दिये जायेंगे और क्लर्कों इत्यादि को नगण्य वेतन दिये जायेंगे । दूसरे वेतन आयोग की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि इन कम वेतन प्राप्त कर्मचारियों को उचित वेतन दिये जायें और उच्च अधिकारियों को इतना अधिक वेतन न दिया जाये ।

साथ ही हमें यह भी ज्ञान नहीं है कि इन अत्याधिक वेतन भोगी अधिकारियों के कृत्य क्या होंगे । हम इस नये प्रबन्ध में उन वास्तविक कृत्यों को जानना चाहते हैं । समवाय विधि प्रशासन के लिये हम विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकाता का अनुभव करते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस नयी व्यवस्था में हम उच्च-अधिकारियों को अत्याधिक वेतन न दें और कम वेतन प्राप्त कर्मचारियों के वेतन बढ़ायें ।

श्री राघवाचारी : मेरा कटौती प्रस्ताव ६ नई समवाय विधि के प्रशासन सम्बन्धी नये प्रस्तावित विभाग के सम्बन्ध में हैं । सरकार ने यह सुझाव दिया था कि यह विभाग आर्थिक कार्य मंत्रालय का ही एक भाग होगा तथा इस में भी उसी मंत्रालय के कर्मचारी काम करेंगे । यह प्रस्थापना की गई है कि आयव्ययक में उपबंधित राशि का नये विभाग में प्रयोग किया जायेगा । हम व्यय कम करना चाहते हैं परन्तु छंटनी के कारण बेकारी की समस्या खड़ी हो जायेगी । इसीलिये सरकार ने अनावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये नया विभाग बनाया है । इन कर्मचारियों के लिये आयव्ययक में पहले से ही व्यवस्था है, इस से कुछ अधिक व्यय नहीं किया जा रहा । इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार बचत में से ही इस विभाग के व्यय की व्यवस्था करे ।

श्री तुलसी दास : प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि इस बार सदस्यों को पूर्ण ब्योरे दिये गये हैं तथा आशा करता हूं कि भविष्य की अनुपूरक मांगों के पूर्ण ब्यौरे दिये जाया करेंगे । मेरा कटौती प्रस्ताव समवाय विधि के प्रशासन के लिये नये प्रस्तावित विभाग के व्यय सम्बन्ध में है । परन्तु मेरा विचार है कि विवरण में वर्णित कर्मचारियों की संख्य

[श्री तुलसीदास]

पर्याप्त नहीं है तथा मैं नहीं समझता कि वे किस प्रकार ३०,००० समवायों का प्रबन्ध कर सकेंगे। इस विधेयक के तृतीय वाचन के समय वित्त मंत्री ने कहा था कि इस विधेयक द्वारा सरकार इतने अधिकार ले रही है जितने अन्य विधि द्वारा कभी नहीं लिये गये हैं। परन्तु हमें इस का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि समवायों का प्रशासन करने वाले कर्मचारियों को इस का अनुभव भी है अथवा नहीं। जो व्यक्ति इस विभाग का कार्य प्रभारी होगा वह इस कार्य को १९५१ से कर रहा है। उस की देख-रेख में अब तक जो कार्य हुआ है वह हमारे विचार से संतोषजनक नहीं है। केवल धनराशि का प्रश्न नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि इस विभाग के प्रभारी पदाधिकारियों को समवाय प्रशासन का अनुभव होना चाहिये अन्यथा जो उत्तरदायित्व आप ने लिया है, वह पूर्ण नहीं होगा। परन्तु फिर भी मैं आशा करता हूं कि यह प्रशासन इस समस्या को सुलझा लेगा।

श्री कामत : मैं ने मांग संख्या २५ पर कटौती प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत किया है। सभा जानती है कि समवाय विधेयक के द्वारा कितने अधिक अधिकार ले लिये हैं। प्रस्तुत विवरण में बताया गया है कि नया विभाग वित्त मंत्रालय में होगा तथा समवाय विधि प्रशासन विभाग कहलायेगा। मेरा विचार है कि इस विभाग की नवीनता को विचाराधीन रखते हुए सरकार को तब तक के लिये दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिये जब तक यह पूर्णतया सुचारु रूप से काम न करने लगे।

इस विभाग के घोषित तथा अघोषित कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में एक विवरण रखा गया है तथा मैं दफ्तरी, चपरासी तथा जमादारों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस में २३ दफ्तरी, ५२ चपरासी, तथा ४ जमादारों की व्यवस्था है। मैं नहीं समझता कि ५२ चपरासियों की क्या आवश्यकता है। गत वर्ष सचिवालय की अधिक संख्या के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि युद्ध से पहले इन की संख्या ८०० के लगभग थी जब कि अब १८,००० है। तथा इस पर अब रोक लगानी चाहिये।, योरोप में बड़े बड़े पदाधिकारी, तथा मंत्री तक, फाइलों को अपने हाथ में ले जाते हैं। परन्तु यहां यह रिवाज हो गया है कि छोटी छोटी फाइलों को ले जाने के लिये भी चपरासी का होना आवश्यक है। मेरा विचार है कि इस रिवाज को समाप्त कर देना चाहिये तथा उन से बेगार भी नहीं लेनी चाहिये।

सभापति महोदय : यह चर्चा सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में है तथा इस समय हमें केवल अनुपूरक मांग तक भाषण को सीमित रखना चाहिये। अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय ऐसे आरोपों को नहीं लगाना चाहिये।

श्री कामत : मैं गत आयव्ययक सत्र में यहां नहीं था तथा केवल प्रधान मंत्री के विचारों का ही यहां प्रतिपादन कर रहा हूं तथा आशा करता हूं कि वह इस ओर ध्यान देंगे।

इस के अतिरिक्त मैं आशुलिपि को (स्टनोग्राफरों) तथा आशुमुद्रलेखकों (स्टेनोटाइपिस्टों) के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरा विचार है कि आशु-मुद्र लेखक ही पर्याप्त हैं। इन लोगों में भी पर्याप्त संख्या में बेकार हैं तथा वे सुगमता से मिल सकते हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को नये विभाग की स्थापना तथा कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिय एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। यह मांग बड़ी ही उचित है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथी इस से सहमत होंगे जिस से यह विभाग सुचारु रूप से काम कर सके। मैं चाहता हूं कि सरकार हमें यह बताये

कि उस का क्या विचार है तथा क्या वह चपरासियों की संख्या कम करने का विचार कर रही है अथवा नहीं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं सरकार की आलोचना न कर के कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं । इस विवरण में सचिवालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में तो बताया गया है परन्तु क्षेत्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस में कुछ नहीं दिया गया है । मेरा विचार है कि उन की संख्या सचिवालय कर्मचारियों की संख्या से बहुत अधिक होगी । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विभाग के पदाधिकारियों को सावधानी से नियुक्त करना चाहिये । एक ओर हमें कार्यपटुता का ध्यान रखना चाहिये तथा दूसरी ओर जो पदाधिकारी सेवा में हैं उन को सन्तुष्ट भी करना चाहिये । राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों के वेतन क्रम में बड़ा अन्तर है । सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने का अवसर देना चाहिये । इस प्रकार वह भी सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

ईमानदार पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना चाहिये । इस के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन नियुक्त होने वाली मंत्रणा समिति के कार्य संचालन के लिये भी इस में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है । मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री अपने उत्तर में इस पर भी प्रकाश डालें । उन्होंने यह बताया कि इस विभाग को चलाने के लिये ३३,००० रुपये पर्याप्त होंगे । परन्तु यदि उस का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देते तो उचित था ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तथा वह सचिवों के वेतन के संबंध में है । सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन आदि अधिक होते तो ठीक था परन्तु सचिवों का ३००० अथवा ४००० रुपये रखना उचित नहीं है । हमें उचित वेतन की व्यवस्था करनी चाहिये यदि यह वेतन कम कर दिये जायें तो उचित होगा । मैं अच्छे वेतनों के पक्ष में हूं परन्तु इतने अधिक वेतनों के पक्ष में नहीं हूं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : समवाय विधेयक की संयुक्त समिति ने यह सुझाव दिया था कि समवाय विधि का प्रशासन अलग विभाग को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि वर्तमान स्थिति में समवाय विधि पर बुरा प्रभाव पड़ा है । इस सम्बन्ध में मुझे यह शंका है कि संस्था के लिये निर्धारित यह राशि अन्तिम नहीं है, तथा सरकार के अनुसार ही, वह इसको बढ़ा भी सकती है । यह बड़े ही खेद का विषय है कि समवाय विधि पर एक वर्ष इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन में सचिव आदि सभी हैं, फिर भी वह यह अनुमान नहीं लगा सके कि समवाय विधि के प्रशासन में कितनी धन राशि की अपेक्षा होगी । समवाय विधेयक की आलोचना का यह भी एक तथ्य था कि इस विभाग का कार्य असंतोषजनक रहा है । इतने पर भी यह हम को व्यय की सूचना नहीं दे सका जिस से हम को कुछ संन्तोष हो सके । हम यह भी नहीं जानते कि यह धन राशि बढ़ेगी भी अथवा इस से कार्यपटुता बढ़ेगी । संभव है इस का प्रभाव विपरीत ही हो । मेरा अनुभव है कि जहां अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहां उत्तरदायित्व नहीं होती । इसलिये मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि कुल व्यय सम्बन्धी संकेत मात्र सूचना हमें मिल जाती ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं माननीय वित्त मंत्री को भारत बीमा समवाय के सम्बन्ध में कुछ सूचना देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : हम नये विभाग पर विचार कर रहे हैं । माननीय सदस्य किसी अन्य समवाय के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं पूर्ण नवीन विभाग द्वारा किये गये कुछ कार्यों की सूचना वित्त मंत्री को देना चाहता हूं । मैं भारत बीमा समवाय के कार्यों के सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : लगभग २९,००० समवाय हैं । यदि प्रत्येक की बुराइयों को बताया जाये तो माननीय सदस्य का भाषण कभी समाप्त नहीं होगा ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं आपका आदेश मानता हूं तथा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता कि माननीय मंत्री इस समवाय के कार्यों की ओर ध्यान दें ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : श्री तुलसी दास ने बताया कि कर्मचारी कम रखे गये हैं । सचिवीय कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में वर्तमान अनुमति आवर्तक वार्षिक व्यय १०,२०,००० रुपये है । यदि इस में हम क्षेत्रीय कर्मचारियों को शामिल कर लें तो यह व्यय और भी बढ़ जायेगा । मेरा वित्त मंत्री से केवल इतना सुझाव है कि वे इसका ध्यान रखें कि सचिवालय के कर्मचारियों में प्रत्येक प्रदेश के व्यक्ति हों क्योंकि समवाय समस्त देश में हैं ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से समवाय विधि के अधीन बहुत शक्तियां तथा उत्तरदायित्व ले लिया है । अधिक इस बात पर निर्भर होगा कि इस विधि का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है । श्री तुलसीदास ने ठीक कहा कि व्यापार के समस्त मामलों को जानने वाले योग्य व्यक्तियों को यह काम सौंपा जाना चाहिये, अन्यथा व्यापार की बातों को न जानने वाले कर्मचारी विधि के शब्दों के अनुसार चलते हुए अनेक कठिनाइयां और बाधायें उत्पन्न कर देंगे । केवल अनुभवी व्यक्ति ही सब मामलों में उचित और शीघ्र तथा समयानुकूल निर्णय कर सकने में समर्थ होंगे । मान लीजिये कि कोई व्यापारी समवाय आरम्भ करने की योजना ले कर सरकार के पास आता है, और अब तक उसे अनुमति मिलती है, तब तक विलम्ब हो जाने के कारण उस की समस्त योजना नष्ट हो जाती है । हमें सन्देह है कि आया ये लोग समवायों के संचालन और प्रशासन में उचित सहायता कर सकेंगे या नहीं । श्री तुलसीदास ने कर्मचारियों के गुण-प्रकार की कड़ी आलोचना की थी । अब संभव है कि श्री गुह के वहां होने के कारण कर्मचारियों के गुण-प्रकार में कुछ उन्नति हो जाये । किन्तु श्री ए० एम० थामस द्वारा गुण-प्रकार और संख्या के बारे में कही गई बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुह : अवश्य ।

श्री झुनझुनवाला : उन को विधि के शब्दों पर ध्यान न देते हुए विधि की भावना को लेना चाहिये और प्रत्येक संभव उपाय से नवीन और वर्तमान समवायों की उन्नति के लिये प्रयत्न करना चाहिये । साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि कर्मचारियों की संख्या के साथ उन का गुण-प्रकार अच्छा होना चाहिये, तभी उत्तम रीति से काम हो सकेगा ।

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के विशिष्ट तर्कों का उत्तर देने से पहले मुझे माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन का स्मरण कराना चाहिये जो उन्होंने विधेयक के पारित होने के समय दिया था । यह न्यूनाधिक इस सभा के सुझाव या इस सभा की आज्ञा के अनुसार किया गया है कि सरकार ने इस मामले में भारी उत्तरदायित्व उठाया है और संयुक्त समिति ने विधेयक के मूल उपबंधों में परिवर्तन किया है तथा सभा ने भी उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है । श्री तुलसीदास ने कहा है कि सरकार ने इस संगठन को सौंपे गए उत्तर-

दायित्वों के बारे में और इस संगठन के बारे में दी गई चेतावनी को स्वीकार किया है। वित्त मंत्री को उत्तरदायित्व और भारी कर्तव्यों का या उपयुक्त शब्दों में इस विधेयक को बनाते समय सरकार ने जो भारी काम अपनाया था, उस का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा था :

"मुझे इन आश्वासनों के देने में बड़ी प्रसन्नता होती है। जो प्रशासन के बारे में मांगा गया है : प्रथम यह कि इसमें पर्याप्त कर्मचारी होंगे, यह सक्षम होगा, लाल फीताशाही कम से कम होगी, और हमें वास्तविक विवशता की नवीन धारणा रखनी चाहिये, अर्थात हमारा उद्देश्य असावधान समवायों को सावधान करना ही नहीं होना चाहिये, अपितु उन लोगों की खूब सहायता करना होना चाहिये, जो विधि का पालन करना चाहते हैं किन्तु अपने आप को विधान की उलझन में कुछ असहाय अनुभव करते हैं ....."

बाद में उन्हों ने कहा है :

काम की मात्रा के बारे में हमें कोई भ्रान्ति नहीं है, और मैं समझता हूं कि जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है यह बढ़ता ही जायेगा।

सो, हमें उत्तरदायित्वों के बारे में कोई भ्रम नहीं है जो हमें सरकार की ओर से अपनाये हैं, और सदस्यों ने ही सरकार को ये उत्तरदायित्व उठाने को कहा है। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन कार्यरूप में परिणत करने के लिये आवश्यक कर्मचारी वर्ग रखने की सरकार की इस मांग का भी समर्थन करेगी।

श्री तुलसीदास ने अपनी आशंका या निराशावाद की पुनरुक्ति की है। वह सफल उद्योगपति और बैंकर (साहूकार) भी है। मैं उद्योगपति और साहूकार के लिये निराशावाद को अच्छा गुण नहीं समझता। उन्हें अपनी सरकार में और इस विभाग के प्रभारी नियुक्त किये जाने वाले देशवासियों में कुछ विश्वास (भरोसा) रखना चाहिये। उन्होंने कहा है कि सरकार को समवाय विधि का कुछ अनुभव रखने वाले लोगों को लेना चाहिये। राज्यों में केवल संयुक्त स्कन्ध समवायों के रजिस्ट्रार के पद हैं। वे यथापूर्व रहेंगे। संभवत उन के कर्मचारियों की संख्या में कुछ अधिक वृद्धि की जाये क्योंकि वहां काम बहुत बढ़ जायेगा। संभवतः कुछ लोगों के अतिरिक्त हम वहां से अधिक कर्मचारी नहीं ले सकेंगे, और यदि हमें संयुक्त-स्कन्ध समवायों को चलाने के लिये कोई अनुभवी आदमी लेने हैं, तो हमें श्री तुलसी दास के साथियों में से भर्ती करनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि हमें आरम्भ में ही श्री तुलसीदास को लेना होगा और वही वह स्वयं यह राय देंगे। और न ही कोई सफल उद्योगपति उस वेतन पर वह पद लेने को तैयार होगा।

कुछ सदस्यों ने वेतन-क्रमों की बात की है—श्री एन० बी० चौधरी, श्री कामत और कुछ अन्य सदस्यों ने। मैं समझता हूं श्री चौधरी ने "सामान्य दर पर" शब्दों का उपयोग किया है और कहा है कि इन पदाधिकारियों का वेतन सामान्य दर से निश्चित किया गया है। मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य को और क्या आशा थी। यह केन्द्रीय सचिवालय भी केवल एक शाखा है और वेतन क्रम केन्द्रीय सरकार के वेतन क्रमों के अनुसार ही हो सकते थे। सचिव के वेतन के बारे में चाहे कुछ भी विचार हो, मैं नहीं समझता कि श्री कामत यह राय देंगे कि जब केन्द्रीय सरकार के अन्य सचिवों को एक निश्चित वेतन मिलता है, तो इस सचिव को कम वेतन मिलना चाहिये, अथवा इस सैक्शन के छोटे कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय के अन्य सैक्शनों के छोटे कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलना चाहिये।

श्री कामत : मैं ने केवल दफ्तरियों और चपरासियों का उल्लेख किया था—सामान्य संशोधन विशेष का नहीं।

श्री ए० सी० गुह : हम स्वीकृत व्यवस्था के अन्दर रह कर ही काम कर सकते हैं और

[श्री ए० सी० गुह]

हम संद्यः स्थापित एक सरकारी विभाग के बारे में तुरन्त नई नीति नहीं बना सकते। यहां पुराने पदाधिकारी काम करेंगे। जो सचिव या सह सचिव यहां आया है वह वित्त मंत्रालय के दूसरे सैक्शन में सह सचिव था। उसे वहां जो वेतन मिलता था, उस से कम यहां नहीं दे सकते। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सब बातों के बारे में व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखेंगे और सदा केवल सैद्धान्तिक विचारों से चलायमान नहीं होंगे। मैं "निकम्मे" या ऐसे ही "नारे" आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता।

श्री कामत : मैं ने कभी नहीं कहा "अभी करो"। भविष्य में अवश्य करो।

श्री ए० सी० गुह : कुछ सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने इस विभाग संबंधी व्ययों का वृत्तान्त नहीं दिया है। मैं कह सकता हूं कि आगामी आय-व्ययक में पूरे एक वर्ष के लिये लगभग १०,००,००० रुपये का अनुमान होगा, जिस में से ९०,००० रुपये से अधिक रुपया वह होगा जो कुछ अन्य सैक्शनों पर पहले से खर्च किया गया है। अधिकारी कुछ अन्य सैक्शनों से स्थानान्तरित किये जायेंगे और कुछ अन्य सैक्शनों में कम काम होगा। अतः हम अनुमान लगाते हैं कि इस सैक्शन पर कम से कम अगले पूरे वर्ष में ६०,००० रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा को इस बात के लिये अपने आप को बधाई देनी चाहिये कि सरकार इस भारी काम को इतने सस्ते मूल्य पर करने के योग्य है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें इस प्रशासन का या व्यय ढांचा की पूरी सूचना मिलनी चाहिये। केन्द्रीय सचिवालय सैक्शन के अतिरिक्त संयुक्त स्कन्ध समवायों के तीन प्रादेशिक निदेशक और रजिस्ट्रार हैं। पश्चात् वालों पर इस वर्ष के आयव्ययक के अनुसार ८,४७,००० रुपये व्यय होंगे ; और काम बढ़ जान पर कुछ अधिक व्यय होगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी ने राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार में काम करने वालों के वेतनों में अन्तर के बारे में कहा है। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि संयुक्त स्कन्ध समवायों के रजिस्ट्रारों के कार्यालय १९५३ से केन्द्रीय सरकार ने ले लिये हैं और उन के कर्मचारियों के वेतन क्रमों में केन्द्रीय सरकार के वेतन क्रमों के आधार पर संशोधन कर दिया गया है। अब उस कारण अन्तर नहीं है। उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी समझा जाता है और तदनुसार उन के वेतन क्रमों में संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि मैं ने सब संगत बातों का उत्तर दे दिया है। इस विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने के लिये दोनों सभाओं की समिति के बारे में मैं समझता हूं कि कहीं भी ऐसी कोई समिति नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : समवाय विधेयक में पहले से परामर्शदाता आयोग का उपबंध किया गया है।

श्री ए० सी० गुह : यदि श्री कामत इस के बारे में जानने को उत्सुक हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकती। समवाय विधि में इस प्रशसान की सहायता के लिये परामर्शदाता आयोग का उपबन्ध किया जा चुका है।

इस के उपरान्त सभापति महोदय ने मतदान के लिये चारों कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 'वित्त मंत्रालय' शीर्षक के निमित्त ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ३,८७,००० रुपये की अनुपूरक राशि स्वीकृत की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।